[2022] 16 एस. सी. आर 743

ए.

मनोज प्रताप सिंह बनाम.

राजस्थान का राज्य

(आपराधिक अपील सं।910-911 2022 का) 24 जून, 2022

बी.

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

सजा/सजा-मौत की सजा-दुर्लभतम मामला-साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला- विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-आरोपी को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई।302 आई. पी. सी.- उच्च न्यायालय ने इसे 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला' पाया और दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखा-दो मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील-पहला, क्या तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है-दूसरा, क्या मृत्युदंड को बनाए रखा जाए या किसी अन्य सजा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए-आयोजित किया गया:तथ्यों पर, श्रृंखला अपने आप में इतनी पूर्ण है कि कल्पना का कोई भी विस्तार विचारण न्यायालय को आरोपित अपराधों के संबंध में अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर नहीं ले जा सकता है-इसलिए, निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष जो अपीलार्थी को दोषी ठहराते हैं, तत्काल न्यायसंगत और उचित हैं; और किसी भी तरह के हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करते हैं-जहां तक सजा का संबंध है, वर्तमान मामले में, अपराध अत्यधिक दुष्टता का था, जो विवेक को झकझोर देता है, विशेष रूप से लक्ष्य (एक साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की) को देखते हुए और फिर, हत्या करने के तरीके को देखते हुए, जहां असहाय पीड़ित का सिर शाब्दिक रूप से तोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सामने की हड्डी टूटने सहित कई चोटें आईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

एस से लेकर अपराधों के साथ कम से कम चार मामलों में शामिल पाया गया।3 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984,s.379 आई. पी. सी. और यहाँ तक कि एस.307 आई. पी. सी.- दूसरा, यह तथ्य कि वर्तमान अपराध स्वयं एक चोरी की मोटरसाइकिल की सहायता से किया गया था-तीसरा, और महत्वपूर्ण एक दोषसिद्धि के बाद का उसका आचरण है जिसमें उसने न केवल एक सह-कैदी के साथ झगड़ा करने के लिए जेल में 7 दिनों की सजा अर्जित की, बल्कि उसे एक अन्य जेल कैदी की हत्या के अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है-एक दुर्भाग्य से, उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है-अपीलार्थी के उसी अपराध में फिर से शामिल होने की संभावना और उसके सुधार/पुनर्वास की शून्य संभावना एक सीधी चुनौती है और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी खतरा है-नतीजतन, यह अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है-दंड संहिता 1860302, 363, 365 और 376 (2) (च)।सजा/सजा-मृत्युदंड-सिद्धांतों और मानदंडों का विकास-चर्चा-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस.235 और 354।

बी.

सी.

डी.

सजा/सजा-मौत की सजा-दुर्लभतम सिद्धांत-केवल चरम मामलों में मौत की सजा दिए जाने और बनाए रखने का प्रभाव, यदि कोई हो-आयोजित किया गयाःभले ही दुर्लभतम से दुर्लभतम सिद्धांत और इसके साथ जुड़े सिद्धांत, जैसा कि बचन सिंह और माची सिंह मामलों में प्रतिपादित और समझाया गया है, सजा के सवाल पर विचार करते समय देश की अदालतों द्वारा लगभग समान रूप से लागू किए गए हैं, जब कानून में मौत की सजा का प्रावधान है; और समय के साथ, बिना किसी छूट या कटौती के वास्तविक कारावास की बड़ी/लंबी अवधि का प्रस्ताव भी विकसित हुआ है, लेकिन, अदालतों द्वारा कभी भी मौत की सजा को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनावश्यक और अस्तित्वहीन बनाने का प्रयास नहीं किया गया है-ऐसे मामलों में न्याय की खोज, जिसमें मौत की सजा दी जाती है और केवल चरम मामलों में ही बनी रहती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मामले से इस तरह से संपर्क किया जाएगा और जांच की जाएगी कि मौत की सजा से बचा जाए, भले ही

ई.

एफ.

जी.

एच.

745

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए

परिस्थितियों को किसी भी धारणा या विचार के साथ नहीं लिया जा सकता था कि किसी भी तरह से, कुछ कारक पाया जा सकता है; या यदि नहीं पाया जाता है, तो किसी भी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है ताकि मौत की सजा को त्याग दिया जा सके-ऐसा दृष्टिकोण अवास्तविक, अनुचित होगा और कानून के शासन को बनाए नहीं रखेगा-कानून का शासन।

सजा/सजा-मौत की सजा-दोषसिद्धि के बाद का आचरण-प्रासंगिकता-आयोजितःअदालतों ने भीषण हत्याओं के मामलों में भी मौत की सजा देने या उसे मंजूरी देने से परहेज किया है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि दोषी के सुधार की संभावना की झलक को भी एक मौका दिया जाना चाहिए, न कि मृत्युदंड देने के बजाय, जो अपरिवर्तनीय प्रकृति का है-इस संबंध में, दोषी के जेल आचरण का समग्र विचार में अपना प्रभाव और प्रासंगिकता है; और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष जेल आचरण के मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के पक्ष में झुकाव किया है, भले ही अपराध स्वयं वीभत्स या घृणित प्रकृति का हो।

बी.

सी.

डी.

सजा/सजा-मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट-सुधार और पुनर्वास की संभावना पर रिपोर्ट-कब बुलाया जा सकता है-आयोजितःउचित मामलों में, दोषसिद्धि के बाद, न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट बुला सकता है कि क्या अभियुक्त में सुधार किया जा सकता है या पुनर्वास किया जा सकता है; और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा-ऐसी रिपोर्ट मंगाने के लिए कोई सार्वभौमिक सूत्र नहीं हो सकता है-वर्तमान मामले में, जहां अपीलकर्ता-दोषी विचाराधीन अपराध से पहले लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था; वर्तमान अपराध के वीभत्स कृत्यों को अंजाम दिया गया था; आगे एक साथी कैदी के साथ झगड़ा करने और 7 दिनों की सजा अर्जित करने सहित संदिग्ध जेल आचरण में शामिल था; और फिर एक अन्य जेल कैदी की हत्या में भी शामिल था, अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना के बारे में कोई और रिपोर्ट तभी प्रस्तावित की जा सकती है जब न्यायिक प्रक्रिया रद्द करने के लिए निर्धारित हो।

ई.

एफ.

जी.

एच.

746 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

सजा/सजा-सजा के सिद्धांत-अपराध और आपराधिक परीक्षण-गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई।

आपराधिक न्यायशास्त्र-परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला-अवशिष्ट संदेह का सिद्धांत-यदि सजा सुनाने के उद्देश्य से उपलब्ध हो-आयोजित किया गया:परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, अपराध का निष्कर्ष तभी दर्ज किया जाता है जब परिस्थितियों को एक अटूट श्रृंखला बनाते हुए पाया जाता है, जो अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी भी अन्य परिकल्पना को खारिज करने के लिए इतना सुसंगत होता है-ये कठोर मानदंड हैं, जैसा कि शरद बर्डहिचंद सारदा में व्याख्या किए गए पंचशील सिद्धांतों के आधार पर अदालतों द्वारा लगातार पालन किया जाता है, और मामले के सबूत की आवश्यकता उचित संदेह से परे है, सैद्धांतिक रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में भी किसी भी 'अवशिष्ट संदेह' के संचालन की कोई गुंजाइश नहीं है-जिन मामलों में अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को संदर्भित किया गया है, वे अपने स्वयं के तथ्यों पर खड़े थे, जहां मृत्युदंड के विकल्प को उचित माना जाता था-हालाँकि, सजा के लिए मामले को लेते समय।

बी.

सी.

डी.

ई.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों की गवाही की जांच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि उनकी गवाही में होने वाली भाषा के साथ छेड़छाड़ करने से भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मेडिकल बोर्ड में मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह या मतभेद था।दूसरे शब्दों में, डॉक्टर स्पष्ट, स्पष्ट और सुसंगत थे कि पीड़ित लड़की की मृत्यु उसके सिर पर लगी चोटों के कारण हुई थी।[पैरा **37.2**।**2**][**810**-जी-एच]

एफ.

जी.

2. परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनाने वाले अभिलेख पर संदेह से परे स्थापित तथ्य और कारक ये हैं कि:क) मृतक साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की थी;ख) मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी ए के साथ देखा गया था।

एच.

747

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए

जब उसने उसके माता-पिता के वैध संरक्षण से उसका अपहरण कर लिया;ग) अपहरण के लगभग साढ़े सात घंटे के भीतर अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था।घ) अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े खून से सने हुए थे, जिन्हें जब्त कर सील कर दिया गया था;ई) उसकी गिरफ्तारी के लगभग डेढ़ घंटे बाद, अपीलार्थी के प्रकटीकरण और जानकारी पर पीड़ित लड़की का शव दूर के स्थान पर बरामद किया गया था;च) अपीलार्थी द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल और पीड़ित लड़की द्वारा पहनी गई फ्रॉक भी अपीलार्थी के प्रकटीकरण और जानकारी पर दूर के स्थान पर बरामद की गई थी;छ) अपीलार्थी अपहरण के समय के बाद से अपने स्वयं के ठिकाने और पीड़ित लड़की के ठिकाने का हिसाब देने में विफल रहा;ज) अपीलार्थी उस स्थान/स्थानों के बारे में अपनी जानकारी का कारण दिखाने में भी विफल रहा जहाँ शव, मोटरसाइकिल और फ्रॉक बरामद किए गए थे;**(i)** अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, यह पीड़ित लड़की के क्रूर बलात्कार (गुप्तांगों पर और उसके आसपास भीषण चोटों के साथ) और निर्दयी हत्या (सिर पर भयानक चोटों के साथ) का मामला था।जे) पीड़ित के सिर पर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई;के) व्यक्ति से एकत्र किए गए रक्त और पीड़ित लड़की के कपड़ों का डी. एन. ए. प्रोफाइल अपीलार्थी के कोट, पैंट और शर्ट और मोटरसाइकिल पर पाए गए रक्त के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है।यह श्रृंखला अपने आप में इतनी पूर्ण है कि कल्पना का कोई भी विस्तार इस न्यायालय को आरोपित अपराधों के संबंध में अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर नहीं ले जा सकता है।इसलिए, अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष तत्काल न्यायसंगत और उचित हैं और इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा **39**] [**812**-बी-एफ; **813**-ए]

बी.

सी.

डी.

ई.

3. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले को साबित करने के शरद बर्डहिचंद सारदा के पंचशील सिद्धांतों का जवाब देता है।अपीलार्थी को विचारण न्यायालय ने ठीक ही दोषी ठहराया था और उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि को सही ही बनाए रखा है।अभियोजन पक्ष अपने मामले को किसी भी संदेह से परे, उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से पूरी होती है और केवल इस परिणाम की ओर ले जाती है कि अपीलार्थी वह व्यक्ति था जिसने साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी। इसलिए, अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि की जानी चाहिए।**[पैरा 40] [813-एफ-एच]**

एफ.

जी.

एच.

4. विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **235 (2)** के संदर्भ में अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया था। दोषसिद्धि का निर्णय आई. डी. **1** पर घोषित किया गया था और सजा का प्रश्न **3** स्पष्ट दिनों बाद, यानी आई. डी. **2** पर लिया गया था; और अभियुक्त-अपीलार्थी को विधिवत सुनने के बाद, उत्तेजक और कम करने वाले कारकों को विधिवत ध्यान में रखते हुए, और विशेष कारणों को विधिवत दर्ज करते हुए ही मौत की सजा दी गई थी।**[पैरा 50.1] [848-ए-बी]**

बी.

5. अपराध की जघन्य प्रकृति, वर्तमान की तरह, एक मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की के क्रूर बलात्कार और हत्या में, जो केवल साढ़े सात साल की थी, निश्चित रूप से अत्यधिक भयावह परिस्थितियों को जन्म देती है, विशेष रूप से जब बलात्कार और हत्या के दोनों प्रमुख अपराधों को करने का तरीका उच्चतम क्रम की भ्रष्टता को दर्शाता है और प्रत्यक्ष रूप से किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर देगा।पीड़ित को मारने का भयानक तरीका, सिर पर भयानक चोटों का कारण बनना, अपीलार्थी के क्रूर आचरण से कम नहीं था।हालाँकि, कार्रवाई और अपराध की वीभत्स प्रकृति, अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकती है, विशेष रूप से मृत्युदंड के सवाल के संबंध में।इस प्रकार, अन्य प्रासंगिक कारकों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अपराधी से संबंधित परीक्षणों की।**[पैरा 50.2] [848-सी-डी]**

सी.

डी.

ई.

6. अपराध के समय अपीलार्थी की आयु **28** वर्ष थी और उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक आठ वर्षीय बेटी और माता-पिता थे।उसे किसी समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी नहीं दिखाया गया है कि वह बहुत गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है या नहीं।समग्र रूप से देखने पर, अपीलार्थी की आयु, परिवार और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के ये कारक इतने प्रबल नहीं हैं कि वे उत्तेजक कारकों पर हावी हो जाते हैं।फिर, प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की उचित संभावना मौजूद है?यदि इस भौतिक प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो यह पता लगाने के लिए परीक्षण पर असर पड़ सकता है कि क्या मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है।लेकिन, यदि ऐसे कारक हैं जो सुधार और पुनर्वास की संभावना पर इस प्रश्न के सकारात्मक उत्तर के खिलाफ काम करते हैं, तो गंभीर परिस्थितियां निश्चित रूप से कम करने वाले ए से अधिक होंगी।

एफ.

जी.

एच.

749

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए

मृत्युदंड की आवश्यकता वाली परिस्थितियाँ।[पैरा **50.3** और **50.3**।**1**][**848**-ई-जी]

7. वर्तमान मामला अपीलार्थी के अत्यधिक अमानवीय कृत्यों और कार्यों का था, जिसमें अन्य आपत्तिजनक कृत्यों और कार्यों के अलावा, उसने (**1**) पीड़ित लड़की का अपहरण कर लिया, जो केवल साढ़े सात साल की थी, जो अन्यथा मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थी, विश्वासघात के साथ जब पीड़ित लड़की को उसके द्वारा दी गई मिठाई की वस्तुओं का लालच दिया गया; (**2**) पीड़ित लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया, जैसा कि उसके गुप्तांगों पर और उसके आसपास की भीषण चोटों से ध्यान देने योग्य है और जैसा कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया है; और (**3**) पीड़ित लड़की के सिर पर भयानक चोटें डालकर निर्दयता से उसकी हत्या कर दी, जैसा कि न केवल डॉक्टरों द्वारा बल्कि अपराध स्थल पर खून के धब्बों सहित आसपास के तथ्यों द्वारा भी स्थापित किया गया था।व्यक्तिगत आधार पर, भले ही अपीलार्थी की आयु लगभग **28** वर्ष थी और उसकी पत्नी, एक बेटी जो लगभग **8** वर्ष की थी और वृद्ध माता-पिता थे, वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।भले ही पिछले अन्य मामलों को एक तरफ छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करके अपराध किए।अपीलार्थी द्वारा अपने क्रूर आचरण से किसी की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए फेंके गए झटके इस अमानवीय अपराध के साथ और उसे दोषी ठहराए जाने के बाद भी नहीं रुके हैं।

[पारस **51** और **51.1**] **[850**-ए-ई**]8.** वर्तमान मामले में, और अधिक चौंकाने वाला और परेशान करने वाला कारक यह है कि जेल में रहते हुए भी, अपीलार्थी का आचरण दोष से मुक्त नहीं रहा है, जहां आईडी**1** पर अन्य कैदी के साथ झगड़ा करने और **7** दिनों की सजा अर्जित करने के अलावा, अपीलार्थी पर एक और हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया था और दोषी ठहराया गया था, इस बार जेल के एक सह-कैदी की, तीन अन्य कैदियों के साथ हाथ मिलाते हुए।अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को तीन अन्य जेल कैदियों के साथ, एक अन्य जेल कैदी की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा **302/34** के तहत अपराध की विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, जो जेल के उच्च सुरक्षा कक्ष में एक पाकिस्तानी नागरिक था; और यह कि अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।हालांकि यह बताया गया है कि उक्त निर्णय के खिलाफ एक अपील लंबित है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उस मामले के गुण-दोष बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं, लेकिन जेल में अपीलार्थी का दोषपूर्ण आचरण न्यायालय को इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विश्वास करना यथार्थवादी होगा।[पारस **52** और **53**] **[851**-ए-एफ**]**

9. वर्तमान मामले में, जहां अपराध के आसपास के सभी तत्वों के साथ-साथ अपराधी के आसपास के सभी तत्वों ने परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों की बैलेंस शीट को काट दिया है, वहां मौत की सजा को किसी भी अन्य कम डिग्री की सजा में परिवर्तित करने का कोई कारण नहीं है।अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति और उसके अपरिवर्तनीय आचरण को देखते हुए बिना किसी छूट के पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा देने का विकल्प भी उचित नहीं लगता है।समग्र रूप से लिए गए वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह संभावना नहीं है कि यदि अपीलार्थी को छूट दी जाती है, तो वह ऐसा अपराध करने में सक्षम नहीं होगा और फिर से ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं होगा।नतीजतन, न्यायालय ने इसे अपीलार्थी को

दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के अलावा किसी अन्य विकल्प का मामला नहीं पाया, क्योंकि इस विशेष मामले में यह अपरिहार्य है।इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है; भारतीय दंड संहिता, **1860** की धारा **363,365,376 (2)** (च), **302** और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, **2012** की धारा **6** के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है; और अपीलार्थी को दी गई सजा, जिसमें भारतीय दंड संहिता, **1860** की धारा **302** के तहत अपराध के लिए मौत की सजा भी शामिल है, की पुष्टि की जाती है।[पारस **57** और **60**] **[853-ई-एफ; 854-जी]**

बी.

सी.

डी.

ई.

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1980) 2** एससीसी **684 -**

एफ.

पीछा किया।

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी **116:[1985] 1** एस. सी. आर. **88-**निर्भर।

विरान ज्ञानलाल राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2019) 2** एस. सी. सी. **311;** बाबासाहेब मारुति कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2019) 13** एस. सी. सी. **640;** नंद किशोर बनाम राज्य

जी.

मध्य प्रदेश (2019) 16 एस. सी. सी. 278:[2019]

1 एस. सी. आर. **260;** केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम सकरु महागु बिनजेवार और अन्य। **(2019) 20** एस. सी. सी. **102;** माची सिंह और अन्य। वी.पंजाब राज्य **(1983) 3** एस. सी. सी **470:**

एच.

751

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए

ए.

[1983] 3 एससीआर 413; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498:[2009] 9 एससीआर 90; शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2021) 1 एस. सी. सी. 596; कामता तिवारी बनाम एमपी राज्य (1996) 6 एससीसी 250:[1996] पूरक।एससीआर 507

; वसंत संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य

बी.

(2015) 1 एससीसी 253:[2014] 14 एससीआर 961; स्वामी

श्रद्धानंद **(2)** बनाम कर्नाटक राज्य **(2008) 13** एससीसी **767:[2008] 11** एस**.** सी**.** आर**. 93;** पप्पु बनाम उत्तर राज्य

2018 की प्रदेश आपराधिक अपील संख्या 1097-1098 ने 09.02.2022 2022 (3) स्केल 45 पर निर्णय लिया; राजेन्द्र

प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1979) 3** एससीसी **646:[1979] 3** एससीआर **78;** मिठू बनाम पंजाब राज्य **(1983) 2**

सी.

एससीसी 277:[1983] 2 एससीआर 690; शंकर किसनराव

खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2013) 5** एस**.** सी**.** सी**. 546:[2013] 6** एस**.** सी**.** आर**. 949;** भारत संघ बनाम वी**.** श्रीहरण उपनाम

मुरुगानंद ओआरएस। (2016) 7 एससीसी 1:[2015] 14 एससीआर 613

डी.

; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2019) 12 एससीसी 460:[2018] 14 एस. सी. आर. 585; जगमोहन

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1973] 2 एस. सी. आर. 541; रविशंकर उपनाम बाबा विश्वकर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मध्य प्रदेश (2019) 9 एससीसी 689:[2019]

14 एस**.** सी**.** आर**. 285;** शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम राज्य

ई.

महाराष्ट्र (2021) 1 एस. सी. सी. 596; अशोक देबबर्मा

उपनाम अचक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य **(2014) 4** एस. सी. सी. **747:[2014] 4** एससीआर **287** और अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य **2014 (4)** एससीसी **69:**

[2014] 3 एस. सी. आर. **34**-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

एफ.

(2019) 2 एस. सी. सी. **311**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27.2**

(2019) 13 एससीसी **640**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27.2**

[2019] 1 एससीआर **260**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27.2**

जी.

(2019) 20 एस. सी. सी **102**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27.2**

[1983] 3 एससीआर

संदर्भित किया गया है

पैरा **29.2**

[2009] 9 एससीआर **90**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29.2**

एच.

(1980) 2 एस. सी. सी. **684**

पीछा किया।

पैरा **29.2 (2021) 1** एस. सी. सी. **596** पैरा **29.3 [1996]** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **507** पैरा **29.3 [2017] 3** एस. सी. आर. **850** पैरा **29.4 [2008] 11** एस. सी. आर. **93** पैरा **29.4 2022 (3)** एस. सी. ए. एल. ई. **45** पैरा **33 [1985] 1** एस. सी. आर. **88**

बी.

पैरा **33**

[1952] एससीआर **1091**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36.1**

सी.

[1952] एससीआर **1091**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36.1**

[1973] 2 एससीआर **541**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44.1**

[1979] 3 एससीआर **78**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44.2**

[1983] 2 एससीआर **690**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44.4**

डी.

[2013] 6 एससीआर **949**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44.7**

[2015] 14 एससीआर **613**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44.7**

[2018] 14 एससीआर **585**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44.8**

[2019] 14 एससीआर **285**

संदर्भित किया गया है

पैरा **48.1**

ई.

(2021) 1 एस. सी. सी. **596**

संदर्भित किया गया है

पैरा **48.2**

[2014] 4 एससीआर **287**

संदर्भित किया गया है

पैरा **48.2।1**

[2014] 3 एससीआर **34**

संदर्भित किया गया है

पैरा **56.1**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 910-911।

एफ.

2013 की डी. बी. आपराधिक हत्या संदर्भ संख्या 3 और 2013 की डी. बी. आपराधिक जेल अपील संख्या 854 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मंजीत चावला, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

जी.

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. के. देवेश, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

एच.

753

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे. विषय-सूची *

प्रारंभिक

2

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

7

बी.

सबूत

1 2

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई

3 3

साढ़े सात वर्ष की आयु में मृत, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग

सी.

3 3

मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था

3 4

अपीलार्थी की जानकारी पर खोज

3 4

3 5

चिकित्सीय साक्ष्य

एफएसएल की रिपोर्ट

3 6

डी.

बचाव पक्ष की दलीलें खारिज

3 7

परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हुई

4 0

विचारण न्यायालय द्वारा मौत की सजा

4 1

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की

ई.

4 4

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

4 8

इन अपीलों का दायरा और विस्तार

6 1

जाँच और मुक़दमे से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रश्न

6 4

एफ.

तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष:क्या हस्तक्षेप की आवश्यकता है?**6 7** क्या मृत्युदंड कायम रखा जाए या प्रतिस्थापित किया जाए

कोई अन्य वाक्य

8 0 मृत्युदंडः सिद्धांतों और मानदंडों का विकास **8 2** अवशिष्ट संदेह का सिद्धांत

112 अपराध और आपराधिक परीक्षणः वर्तमान मामले की गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियाँ

जी.

117

निष्कर्ष

128

एच.

* एड। ध्यान दें: विषय-सूची का पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

ए.

प्रारंभिक

छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें 2013 के डी. बी. आपराधिक हत्या संदर्भ संख्या 3 और 2013 के डी. बी. आपराधिक जेल अपील संख्या 854 में दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसके तहत जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय ने 2013 के सत्र मामले संख्या 12 में दिनांकित आई. डी. 1 के निर्णय और दिनांकित आई. डी. 2 के आदेश की पुष्टि की है, जैसा कि विशेष न्यायाधीश, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण मामलों, राजसमंद द्वारा पारित किया गया है।
2.1.उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363,365,376 (2) (च), 302 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों की सजा को बरकरार रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत अपराध के लिए उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है।

बी.

सी.

2.2.आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा के अलावा, अपीलार्थी को 7 साल के कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। 25, 000/- आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत अपराध के लिए; 7 साल की अवधि के लिए कारावास और रु। 25, 000/- आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत अपराध के लिए; आजीवन कारावास और रु। आई. पी. सी. की

धारा 376 (2) (एफ) के तहत अपराध के लिए 50,000/- और आजीवन कारावास और रु। 1,00,000-धारा 6 पॉक्सो के तहत अपराध के लिए। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने के मामले में आगे के कारावास की चूक शर्तों का प्रावधान करते हुए, यह भी प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की राशि मृतक लड़की की मां को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

डी.

ई.

3. इन अपीलों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के साथ-साथ उसे दी गई सजा, विशेष रूप से मृत्युदंड, को चुनौती दी गई है।आवश्यक विवरणों में प्रासंगिक पहलुओं से निपटने से पहले, हम मामले का एक संक्षिप्त रेखाचित्र और रूपरेखा बना सकते हैं।

एफ.

3.1.अपीलार्थी पर शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम साढ़े सात साल की लड़की का उसके माता-पिता के सामने उनके फल और सब्जी बेचने की गाड़ी से अपहरण करने, उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाने, उसके साथ बलात्कार करने और उसके सिर पर चोट पहुँचाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

जी.

1 इसके बाद इसे 'आई. पी. सी.' भी कहा जाता है।2 इसके बाद इसे 'पॉक्सो' भी कहा जाता है।

एच.

ए.

3.2.अभियोजन पक्ष का मामला इस आशय के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था कि पीड़ित को अंततः अपीलार्थी के साथ देखा गया था जब वह उसे ले गया था; कि अपीलार्थी के कहने पर पीड़ित का शव और अपराध से संबंधित अन्य वस्तुएं बरामद की गईं; कि अपीलार्थी अपने ठिकाने और मृत शरीर के स्थान के बारे में अपनी जानकारी को संतोषजनक रूप से समझाने में विफल रहा; और यह कि चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप थे।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटनाओं की पूरी श्रृंखला पूरी थी और किसी भी अन्य परिकल्पना को छोड़कर, अपीलार्थी के अपराध का निर्णायक था।इसके विपरीत, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, हालाँकि उसने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया था।

बी.

सी.

3.3.आई. डी. 1 दिनांकित अपने फैसले में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के लिए इस निष्कर्ष के साथ दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करके आरोपों को साबित करने में सक्षम था कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की का अपहरण किया, बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी और शव को छिपा दिया।फिर, आई. डी. 1 पर, सजा के प्रश्न पर अभियुक्त-अपीलार्थी और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय को मामले में कोई उदार दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं मिला, विशेष रूप से अपराध की वीभत्स प्रकृति को देखते हुए और इस प्रकार, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत मौत की सजा सहित विभिन्न दंड दिए गए।

डी.

ई.

3.4.दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के संदर्भ में उच्च न्यायालय में पुष्टि के लिए मौत की सजा प्रस्तुत की गई थी।दूसरी ओर, अभियुक्त-अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील की।मौत की सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ मामले और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील दोनों पर एक साथ विचार किया गया और उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के बाद कि प्रत्येक दोषपूर्ण परिस्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित की गई थी, दोषसिद्धि की पुष्टि की।जहां तक सजा के सवाल का सवाल है, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति, साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की के क्रूर बलात्कार और हत्या के साथ-साथ अपराध को छिपाने के सुनियोजित प्रयास के संदर्भ में, वर्तमान मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला' पाया और तदनुसार, अपीलार्थी को दी गई सजा की पुष्टि की, जिसमें मौत की सजा भी शामिल है।

एफ.

जी.

3 'संक्षेप में सी. आर. पी. सी.।

एच.

3.5.वर्तमान अपीलों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर अनिवार्य रूप से इन तर्कों के साथ सवाल उठाया गया है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी; कि मुकदमा जल्दबाजी में किया गया था; कि अपीलार्थी

को पर्याप्त अनुभव वाले वकील के साथ उचित कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी; कि गलत निहितार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी का नाम लापता व्यक्ति की रिपोर्ट में नहीं बताया गया था; और कि मोटरसाइकिल से रक्त का नमूना एकत्र नहीं किया गया होगा क्योंकि, स्वीकार्य रूप से, प्रासंगिक समय पर भारी बारिश हो रही थी।अपीलार्थी को दी गई सजा पर भी सवाल उठाया गया है, अनिवार्य रूप से इन प्रस्तुतियों के साथ कि आई. पी. सी. और पॉक्सो दोनों के तहत सजा देना टिकाऊ नहीं है; और यह कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी के पक्ष में मौजूद कम करने वाले कारकों की ठीक से जांच नहीं की है, जिसमें परिस्थितियों की कमजोर श्रृंखला में अवशिष्ट संदेह भी शामिल हैं।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जल्दबाजी में किए गए मुकदमे में, अपीलकर्ता अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में असमर्थ था; और यह कि अपीलार्थी की कम उम्र, परिवार के सदस्यों के साथ उसकी खराब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि उस पर निर्भर है, और सुधार की संभावना मृत्युदंड के खिलाफ कम करने वाले कारकों के रूप में उचित विचार के योग्य है।3.6.इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि मृतक से संबंधित गवाहों के साक्ष्य की स्वतंत्र गवाहों की गवाही द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है; अपीलार्थी का नाम लापता व्यक्ति की रिपोर्ट और प्राथमिकी में भी उल्लिखित है; और यह कि फोरेंसिक और चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध की घृणित प्रकृति वर्तमान मामले में मौत की सजा देने को उचित ठहराती है, जहां अपीलार्थी ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसने क्रूर बलात्कार और हत्या की थी।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जेल में अपीलार्थी का बाद का आचरण भी संदिग्ध रहा है और उसने एक अन्य कैदी की पत्थर से हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे आई. पी. सी. की धारा 30/34 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया है और यह दर्शाता है कि अपीलार्थी समाज के लिए खतरा है।
3.7.इस प्रकार, इन अपीलों में निर्धारण के लिए दो प्रमुख बिंदु उत्पन्न होंगे; पहला, कि क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि किसी हस्तक्षेप की मांग करती है; और दूसरा, यदि दोषसिद्धि बनी रहती है, कि क्या अपीलार्थी को दी गई मृत्यु की सजा की पुष्टि की जानी चाहिए या किसी अन्य सजा द्वारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए?

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

4. उपरोक्त रूपरेखा के साथ, हम आवश्यक विवरणों में प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं।

एच.

757

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

5. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का आधार लगभग 08 बजे 17.01.2013 पर पीडब्लू-1 कमला द्वारा शिकायत के रूप में बताई गई मौखिक जानकारी में था:15 शाम को पुलिस स्टेशन कांकरोली, जिला राजसमंद में अपने पिता पीडब्लू-3 मदन लाल के साथ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दिन में वह अपने पति पीडब्लू-2 धरम दास और अपने पिता पीडब्लू-3 मदन लाल के साथ आर. के. अस्पताल के पास अपनी फल-सब्जी बेचने वाली गाड़ी पर थी।30 दोपहर में, मनोज सिंह, जो पहले पास की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता था, मोटरसाइकिल पर उसकी गाड़ी के पास आया, फल खरीदे और अपनी 8 साल की मानसिक रूप से विकलांग बेटी के 4 को चॉकलेट दी और चला गया; कि वह लगभग 10 मिनट के बाद गाड़ी में लौट आया, उसकी बेटी के को अपनी मोटरसाइकिल पर रखा और सोमनाथ चौराहा की ओर बढ़ा; और उसका पीछा करने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं मिला।शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वह मोटरसाइकिल का पंजीकरण नंबर नोट नहीं कर सकी, लेकिन वह आसमानी-नीले रंग का था।शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी की विशेषताओं और पोशाक का भी वर्णन किया और आरोप लगाया कि मनोज सिंह ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था।

बी.

सी.

डी.

5.1.उपरोक्त मौखिक शिकायत की सामग्री को लिखित रूप में कम कर दिया गया था (उदा. पी-1) पीडब्लू-19 नंद लाल द्वारा, जो संबंधित समय पर पुलिस स्टेशन कांकरोली के प्रभारी अधिकारी थे (स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में 5 पीडब्लू-20 गणेश नाथ बाहर थे) और तदनुसार, 2013 की प्राथमिकी संख्या 16 (पूर्व। पी-2) आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दर्ज किया गया।

ई.

5.2.उक्त पीडब्लू-19 नंद लाल ने तुरंत जांच शुरू की और मुखबिर कमला और उसके पिता मदन लाल के बयान दर्ज किए; एसएचओ को सूचित किया; नाकाबंदी के लिए संदेश भेजे; और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और अन्य स्थानों पर भी असफल तलाशी ली।इसके बाद, एस. एच. ओ.-पीडब्लू-20 गणेश नाथ ने जाँच अपने हाथ में ली और पीड़ित लड़की के पिता धरम दास का बयान दर्ज किया; और आरोपों को देखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत अपराध जोड़ा गया।

एफ.

जी.

4 मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित का नाम कथन और निष्कर्षण में और इस निर्णय में अन्य सभी स्थानों पर हटा दिया गया है; और अभिव्यक्ति 'के' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।स्पष्टीकरण के लिए यह भी कहा जा सकता है कि पीड़ित लड़की के नाम का अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग और उपनाम के साथ उल्लेख किया गया है।लेकिन उसकी पहचान अन्यथा विवाद में नहीं है और हमने हर जगह प्रतिस्थापित अभिव्यक्ति 'के' को बनाए रखा है, चाहे कोई भी वैकल्पिक नाम दिखाई दे।

एच.

5 'एस. एच. ओ. ', संक्षेप में।

5.3.उपरोक्त सभी कार्यवाही 17.01.2013 की आधी रात तक चली।इसके बाद एस. एच. ओ. उक्त मदन लाल और धरम दास को अपने साथ ले जाते हुए पीड़ित और अपराधी की तलाश में आगे बढ़े।अंततः, अभियुक्त-अपीलकर्ता को सुबह लगभग 2 बजे कांकरोली के पुराने बस स्टैंड पर पाया गया, जिसने अपना नाम और विवरण सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के बेटे मनोज प्रताप सिंह के रूप में बताया, जो बसंतपुर, पुलिस स्टेशन गुगली, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के निवासी थे।उन्हें कांकरोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खून के धब्बों वाले उनके कपड़े जब्त कर लिए गए।

बी.

5.4.अभियोजन पक्ष का यह मामला रहा है कि पूछताछ किए जाने पर, अपीलार्थी ने कहा कि उसने उस लड़की की हत्या कर दी थी जिसे उसने आर. के. अस्पताल के पास अपहरण कर लिया था और उसका शव कमल तलाई के पास पड़ा था, जिसे वह बरामद कर सकता था।अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार दी गई जानकारी दर्ज की गई थी (उदा. पी-40); और मृतक का शव लगभग 3 बजे बरामद किया गया:15 अपीलार्थी के प्रकटीकरण के अनुसार कमल तलाई में पुल के किनारे एक पटारी से एएम।

सी.

5.5.के के शव की बरामदगी को देखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध को जांच के लिए जोड़ा गया था।एस. एच. ओ. ने आवश्यक ज्ञापन और रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पीड़िता के साथ बलात्कार का संकेत देने वाली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को देखते हुए धारा 376 (2) (एफ) के तहत अपराध भी जोड़ा गया था।एस. एच. ओ. ने अभियुक्त-अपीलार्थी के शरीर पर लगी चोटों के संबंध में भी जाँच कराई।इस बीच, जांच सर्कल अधिकारी, राजसमंद पीडब्लू-25 उमेश ओझा को हस्तांतरित कर दी गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपराध में उपयोग की गई मोटरसाइकिल के स्थान के साथ-साथ अपराध करने के स्थान और उस स्थान के बारे में अधिक जानकारी दी जहां मृतक के कपड़े पड़े हुए थे।इस जानकारी को लिखित रूप में कम कर दिया गया था (उदा. पी-48) और उसके अनुसरण में, पंजीकरण संख्या आर. जे. 30 3 एम 5944 वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई; मोटरसाइकिल पर खून के धब्बे एकत्र किए गए; मृतक की फ्रॉक जैसी स्कर्ट बरामद की गई; घटना स्थल की पहचान की गई; और खून से लथपथ मिट्टी के साथ-साथ नियंत्रित मिट्टी भी एकत्र की गई और सील कर दी गई।इसके अलावा, जांच अधिकारी ने आरोपी-अपीलार्थी की यौन क्षमता के लिए चिकित्सकीय जांच कराई और उसके रक्त का नमूना भी एकत्र किया गया।एकत्रित वस्तुओं/नमूनों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 6 की जांच के लिए भेजा गया था।जाँच अधिकारी ने पीड़ित की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ-साथ उसकी मानसिक और शारीरिक अक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र भी एकत्र किए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

6 'एफएसएल', संक्षेप में।

5.6.जाँच अधिकारी ने उन गवाहों के बयान भी दर्ज किए जिन्होंने कथित रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी को पीड़ित लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते देखा था।अन्य गवाहों के अलावा, एक शराब की दुकान के सेल्समैन, पीडब्लू-12 रंजीत सिंह ने कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता लगभग 6 बजे उसकी दुकान पर आया था:30 दोपहर में मोटरसाइकिल पर बैठी एक लड़की के

साथ बीयर की बोतल खरीदी और कीमत को लेकर झगड़ा भी किया।आरोप-पत्र की सामग्री के अनुसार, जांच अधिकारी ने पृष्ठभूमि सत्यापन करने के बाद यह भी पाया कि आरोपी-अपीलार्थी कुछ अन्य आपराधिक मामलों में शामिल था।उल्लेखनीय है कि यह पाया गया कि उक्त मोटरसाइकिल का पंजीकरण सं। आर. जे. 30 3 एम 5944 नाथद्वारा से 14.01.2013 पर चुराया गया था, जिसके लिए आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपराध के लिए 2013 की संख्या 39 वाली एक एफ. आई. आर. पहले ही नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा चुकी थी।

बी.

सी.

5.7.पोस्टमॉर्टम जांच में, मेडिकल बोर्ड को पीड़ित के शव पर अलग-अलग चोटें मिलीं, जिनमें सिर और गुप्तांग शामिल हैं।मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि मौत का कारण सिर में चोट लगना था और मृतक का पोस्टमार्टम पूर्व बलात्कार किया गया था।

डी.

5.8.जाँच की अन्य प्रक्रियाओं के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ 02.02.2013 पर आरोप पत्र दायर किया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।अभियुक्त-अपीलार्थी के अनुरोध पर, उसे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से कानूनी सहायता प्रदान की गई और न्यायालय ने कानूनी सहायता वकील की नियुक्ति के बाद ही आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई की।अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 363,365,376 (2) (एफ) और आई. पी. सी. और आई. पी. सी. एस. ओ. की धारा 6 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

ई.

सबूत

एफ.

6. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों से पूछताछ की और 52 दस्तावेज पेश किए।उठाए गए तर्कों और इसमें शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हम भौतिक गवाहों की गवाही की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ आवश्यक विवरणों में प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य पर भी ध्यान दे सकते हैं।

जी.

7 यह संकेत दिया जा सकता है कि मूल अभिलेख में दिए गए बयान और प्रासंगिक दस्तावेजों का पर्याप्त हिस्सा और साथ ही विचारण न्यायालय का निर्णय भी हिंदी भाषा में है।बयानों के अनुवादों का एक सेट उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है और अनुवादों का एक अन्य सेट प्रतिवादी-राज्य द्वारा अपने उत्तर शपथ पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है।हमने

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से अभिलेख को स्कैन किया है और इस निर्णय के उद्धरण अभिलेख पर उपलब्ध अनुवादों के संदर्भ में हैं और जहां तक संभव हो, मूल पाठ के अर्थ के करीब हैं।

एच.

760

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

7. कई गैर-सरकारी गवाह थे, जिनमें पीड़ित लड़की के माता-पिता और दादा और अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की के अपहरण के तथ्य की गवाही दी थी और जो जांच कार्यवाही का भी हिस्सा थे।

7.1.मृतक-बच्चे की माँ, पीडब्लू-1 कमला ने अपने मुख्य परीक्षण में इस मामले के बुनियादी और प्राथमिक तथ्यों पर निम्नानुसार बयान दिया:- "यह घटना 17.1.2013 की शाम 6:30 बजे की है। मैं आर. के. अस्पताल राजसमंद के बाहर अपनी फलों और सब्जियों की गाड़ी रखता था और इसलिए, मैं वहाँ था।मेरे पिता मदन लाल और मेरे पति धर्मदास भी वहाँ मौजूद थे।उस समय न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह मेरी गाड़ी में फल खरीदने आया था।मेरी बेटी का नाम के है जो 8 साल की है।न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने मेरी बेटी को कुरकुर और चॉकलेट दी, जिस पर हमने उसे ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने ये सामान मेरी बेटी को दे दिया और चला गया।1 मिनट बाद आरोपी मनोज प्रताप सिंह फिर आया और मेरी बेटी को मोटरसाइकिल पर सोमनाथ चौराहा की ओर ले गया।उस समय मेरे पिता मदन लाल और पति धरम दास ने आरोपी का पीछा किया लेकिन उन्हें वह नहीं मिला।मोटरसाइकिल आसमानी नीले रंग की थी।मैंने मोटरसाइकिल का नंबर नहीं देखा था।उस समय मेरी बेटी के ने लाल कुर्ता, गुलाबी रंग की जैकेट और काली लेगिंग पहनी हुई थी।मेरी बेटी का रंग गोरा और ऊंचाई 4 फीट थी।हम पुलिस स्टेशन गए।उस समय मेरे पिता भी मेरे साथ गए और हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी।

बी.

सी.

डी.

ई.

रिपोर्ट प्रदर्शनी पी-1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।एफ. आई. आर. प्रदर्शनी पी-2 है जिस पर ए से बी तक मेरे हस्ताक्षर हैं।

एफ.

फिर मेरे पिता और मेरे पति पुलिस के साथ मेरी बेटी की तलाश करने गए।मैं वहाँ बैठा था जहाँ मेरा लॉरी आर. के. अस्पताल राजसमंद के पास था।रात में 12.30 पर हमें पता चला कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह मिल गया है।फिर हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया।आरोपी मनोज प्रताप सिंह मेरे पति और पिता को कमल तलाई ले गया जहाँ मेरी बेटी के का शव मिला।आरोपी मनोज प्रताप सिंह हाउसिंग बोर्ड में रहता था और कभी-कभी हमारे पास सब्जियां खरीदने आता था, इसलिए मैं उसे पहचान सकता था।आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने मेरी बेटी को ले लिया और उसकी हत्या कर दी।"

जी.

एच.

761

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

7.1.1.जिरह किए जाने पर, इस गवाह ने निम्नानुसार कहाः- "उस समय आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने भूरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी।उस दिन, हमने के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह सच है कि मेरी बेटी के मानसिक रूप से विकलांग थी।यह कहना गलत है कि इस घटना से पहले मेरी बेटी एक या दो बार लापता हुई थी।यह कहना गलत है कि मेरी बेटी मुझे बताए बिना इधर-उधर जाती थी।मुझे नहीं पता कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह कहाँ काम करता था।यह कहना सही है कि जब आरोपी मेरी बेटी को ले गया तो मैंने कोई शोर नहीं मचाया क्योंकि उस समय पास में कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी की मृत्यु कब हुई।हम शाम को 7:45 बजे पुलिस स्टेशन गए। शाम 6:30 बजे आरोपी मेरी बेटी को ले गया। पुलिस थाना घटना स्थल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।हमने पुलिस स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया और इसमें लगभग 30-45 मिनट लगे।हमने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।यह सच है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते समय हमने आरोपी मनोज प्रताप सिंह के नाम का उल्लेख नहीं किया था।"

बी.

सी.

डी.

7.1.2.पीडब्लू-1 कमला का उपरोक्त अभिसाक्ष्य 05.04.2013 पर दर्ज किया गया था।उस समय मृतक के कपड़े एफ. एस. एल. के पास थे और वे बाद में विचारण न्यायालय में प्राप्त किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने अन्य साक्ष्यों को पूरा करने के बाद, मृतक के कपड़ों की पहचान के उद्देश्य से इस गवाह पीडब्लू-1 कमला की आगे की जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया।इस आवेदन को अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस दलील के

साथ विधिवत चुनौती दी गई थी कि गवाह को इस तरह वापस बुलाने से अभियोजन पक्ष को अपने मामले में खामियों को भरने की अनुमति मिलेगी।तथापि, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 1 दिनांकित सुविचारित आदेश द्वारा उक्त आवेदन को उसके उद्देश्य को देखते हुए स्वीकार कर लिया और यह संकेत देते हुए कि अभियुक्त के पास फिर भी प्रतिपरीक्षा का अवसर होगा।इस गवाह पीडब्लू-1 कमला से, तदनुसार, आई. डी. 1 पर फिर से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी बेटी के पहनावे के बारे में बताया जब उसे आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया था और विधिवत रूप से अनुच्छेद संख्या 1 की पहचान की गई थी, जो उसकी बेटी का कुर्ता (फ्रॉक) होने के साथ-साथ अनुच्छेद संख्या 7 भी था।

ई.

एफ.

जी.

के.

7.2.मृतक लड़की के पिता पीडब्लू-2 धरम दास ने पीडब्लू-1 कमला की गवाही की पुष्टि की और कहा कि अपीलार्थी आया और उनकी बेटी को ले गया।उन्होंने यह भी कहा कि जब अपीलार्थी उपस्थित थे

एच.

जब अपीलार्थी ने पुलिस थाने में खुलासा बयान दिया और जब अपीलार्थी के कहने पर उसकी बेटी का शव बरामद किया गया, तो उसे कांकरोली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।इस गवाह ने बरामदगी और बरामदगी की विभिन्न कार्यवाही की भी गवाही दी और विभिन्न ज्ञापनों पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की जैसे कि स्थल निरीक्षण, अपीलार्थी की गिरफ्तारी, शव की बरामदगी, उसका पंचायतनामा आदि। इस गवाह ने आगे गवाही दी कि उनकी बेटी 8 साल की थी और मानसिक रूप से मंदबुद्धि थी; और उस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों का प्रदर्शन किया, पूर्व होने के नाते। पी-11 से पी-14।इस गवाह से भी पूरी तरह से जिरह की गई, जहाँ उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहाः-

बी.

"मैं फलों और सब्जियों का फेरीवाला हूँ।घटना के दिन मैं गाड़ी में था।उस समय मैं ग्राहकों को सब्जियां बेच रहा था।उस समय आरोपी मनोज प्रताप सिंह वह ग्राहक था जिसने फल खरीदे और चला गया।यह गलत है कि उसके बाद आरोपी मनोज प्रताप गाड़ी में नहीं आया।उस समय बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए वहाँ और कोई नहीं था।यह गलत है कि मेरी गाड़ियों के पास कुछ और गाड़ियाँ थीं; अन्य गाड़ियाँ मेरी गाड़ी से दूर थीं।मैं अन्य गाड़ी मालिकों के नाम नहीं जानता।एक दूधवाले की दुकान है, जो मेरे लॉरी से दूर है।नाश्ते की कुछ गाड़ियाँ हैं लेकिन ठंड और बारिश के कारण कोई गाड़ी नहीं थी।हम कुछ समय बाद घर जाने वाले थे, लेकिन आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरी बेटी को ले गया।उसने मेरी बेटी को चॉकलेट देने का लालच दिया।यह गलत है कि मैं आरोपी मनोज प्रताप सिंह को नहीं जानता।वह मेरी गाड़ी में आता था।यह गलत है कि मेरी बेटी अपनी सहमति से आरोपी के साथ गई, लेकिन आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने उसका अपहरण कर लिया।यह सच है कि चॉकलेट के लालच में आने पर के आरोपी मनोज प्रताप सिंह के साथ गया था।मैंने अपनी बेटी को रोका लेकिन क्योंकि वह कमजोर थी और इसलिए नहीं रुकी।यह सच है कि जिस समय आरोपी ने मेरी बेटी का अपहरण किया और उसे ले गया, उस समय वहां कोई नहीं था।उस समय आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने चेक शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी।मेरी बेटी ने कोई जूता नहीं पहना था।रात में 17.1.2013 पर ज्ञापन पूर्व पर हस्ताक्षर किए गए थे। पी-3.फिर कहा, हस्ताक्षर एक और दिन लिया गया।जब हस्ताक्षर किए गए तो मेरे साथ कोई नहीं था।फिर कहा, मेरे ससुर भी मेरे साथ थे।एक्सट पर मेरा हस्ताक्षर लिया गया था। पुलिस स्टेशन में पी-3। फिर कमल तलाई में हस्ताक्षर किए गए।अलग-अलग समय पर हस्ताक्षर किए गए थे जो मुझे याद नहीं हैं।पुलिस अधिकारियों ने इसे नहीं पढ़ा और यह नहीं बताया कि दस्तावेज़ पर क्या लिखा था। फिर कहा कि वे ए पर पढ़ते हैं

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

और सामग्री को समझाया लेकिन आज वही याद नहीं है।मैं अनपढ़ हूँ, मैं केवल हस्ताक्षर कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मेमो एक्स की सामग्री नहीं पता है। पी-4।यह गलत है कि जब हम पुलिस

स्टेशन गए तो आरोपी मनोज प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन में बैठे थे।मैंने कहा था कि वह बस स्टैंड पर बैठे हैं।उसी रात आरोपी मनोज प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।यह गलत है कि पुलिस अधिकारियों ने मेरे सामने कपड़े जब्त नहीं किए।इन्हें 17.1.2013 की रात को जब्त कर लिया गया था।मुझे नहीं पता कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह की जैकेट पर क्या लिखा था।मेरी बेटी का शव तलेदी कमल तलाई में मिला था।पुल पर शव पड़ा हुआ था।मेरी बेटी के सिर और शरीर के अन्य सभी हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए।यह गलत है कि पैरों पर चोट नहीं पाई गई।यह गलत है कि पुलिस अधिकारी ने पुलिस स्टेशन में ज्ञापन पर मेरे हस्ताक्षर लिए।पुलिस थाना और घर जैसे विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर किए गए।यह सच है कि Ex। घटना के बाद पी-12 को छोड़ दिया गया। यह सच है कि प्रमाणपत्र Ex। घटना के बाद पी-14 को भी छोड़ दिया गया।"

बी.

सी.

डी.

7.3.मुखबिर के पिता, पीडब्लू-3 मदन लाल ने भी पीडब्लू-1 कमला और पीडब्लू-2 धरम दास की गवाही की पुष्टि की, जिसमें अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की का अपहरण, अपीलार्थी की गिरफ्तारी, पुलिस स्टेशन में उसका खुलासा बयान और बाद में अपीलार्थी के कहने पर पीड़ित लड़की का शव बरामद करने के संबंध में बताया गया है।उन्होंने गिरफ्तारी, जब्ती, बरामदगी और पंचायतनामा के ज्ञापन के बारे में भी गवाही दी और ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। पी-5 से पूर्व। पी-8। हम उपयोगी रूप से इस गवाह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान के प्रासंगिक हिस्से को निम्नानुसार निकाल सकते हैं:-

ई.

".....लगभग 6 बजे:30 शाम को मैं घटना स्थल पर पहुँचा और वहाँ खड़ा हो गया।आरोपी मनोज प्रताप सिंह मेरे ठीक बाद सब्जियाँ खरीदने आया और उसके बाद कुछ और ग्राहक आए।मेरे दामाद की गाड़ी से लगभग 15 फीट दूर कुछ और गाड़ियाँ थीं।सरस मिल्क डायरी और आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान भी है।बारिश और तूफ़ान के कारण वहाँ कोई नहीं था।उस समय आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने फल और सब्जी खरीदी, बच्ची को चॉकलेट दी और चला गया।फिर 10-15 मिनटों के बाद वह 6 बजे वापस आया:30 शाम को और तुरंत बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और चला गया।चूँकि बच्चा कमज़ोर था, इसलिए वह किसी के साथ भी बैठती थी।हम ग्राहकों को देख रहे थे।यह गलत है कि मैंने आरोपी को बच्चे का अपहरण करते नहीं देखा है और ग्राहकों को अपहरण के बारे में सूचित किया है।सोमनाथ चोराहा लगभग

एफ.

जी.

3-4 घटना स्थल से किमी दूर।कमल तलाई पुल पर बच्ची का शव मिला।मुझे घटना स्थल से कमल तलाई के निर्देश के बारे में पता नहीं है।मैं आरोपी मनोज प्रताप सिंह को नहीं देख सका।फिर हम पुलिस चौकी गए।हम बांदियाबाड़ा पुलिस चौकी गए जहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह बच्चे को ले गया है।क्योंकि हम मनोज प्रताप सिंह का नाम जानते थे, इसलिए हमने रिपोर्ट में उनका नाम दिया।मुझे आरोपी मनोज प्रताप सिंह के पिता का नाम नहीं पता।हम आरोपी मनोज प्रताप सिंह की तलाश करने गए क्योंकि बच्चा उसके साथ था।हम लगभग 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे:00- 8:00 दोपहर में पुलिस स्टेशन से दो जीपें बाहर आईं, एक आर. के. अस्पताल की ओर और दूसरी बस स्टैंड की ओर चली गई।एक जीप में मेरी बेटी कमला और कुछ पुलिस अधिकारी आर. के. अस्पताल की ओर चले गए।एक अन्य जीप, धरम दास में कुछ पुलिस अधिकारी बस स्टैंड की ओर चले गए।मैं अपने सहकर्मी मणिलाल की मोटरसाइकिल पर बैठा था। फिर हमने जीप में धोइंदा और कई अन्य स्थानों की तलाशी ली लेकिन हमें कोई नहीं मिला, इसलिए हम पुलिस स्टेशन लौट आए और दूसरे दौर में हम बस स्टैंड की ओर चले गए।पहली बार में हम आर. के. होते हुए धोइंदा गए; यह गलत है कि हम कमल तलाई रोड से गए, इसके बजाय हम बाईपास से गए।हम न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह से मिले जब हम दूसरे दौर में बस स्टैंड गए।आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने जैकेट और जींस पहनी हुई थी और उस समय हल्की बारिश हो रही थी।आरोपी मनोज प्रताप सिंह पानी के कियोस्क के पास खड़ा था।उसके पास कोई नहीं था।सबसे पहले, पुलिस ने आरोपी मनोज प्रताप सिंह को अपने कपड़ों पर खून के धब्बों के साथ देखा।....आरोपी मनोज को जीप में पुलिस स्टेशन लाया गया और पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि बच्चे को कमल तलाई पुल पर छोड़ दिया गया था।कमल तलाई पुल के एक तरफ एक घर था जिसका नाम मुझे याद नहीं है और दूसरी तरफ एक श्मशान था।Ex. घटना स्थल की पी-3 स्थल योजना 7 बजे तैयार की गई थी:00 ए. एम. कमल तलाई में, मैंने दो या तीन स्थानों पर हस्ताक्षर किए। यह सच है कि मैंने किसी को भी अपनी पोती के की हत्या करते नहीं देखा है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

7.4.पीडब्लू-5 मणिराज सिंह पीड़ित लड़की के अपहरण के साथ-साथ जाँच रिपोर्ट के भी स्वतंत्र गवाह रहे हैं।उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में उपरोक्त बयानों की पुष्टि में सभी आवश्यक तथ्यों को बताया।उन्होंने जांच रिपोर्ट, जब्ती ज्ञापन और शव की डिलीवरी से संबंधित अन्य ज्ञापनों, ए की साइट योजना के बारे में भी गवाही दी।

एच.

765

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

कमल तलाई और अपहरण स्थल की स्थल योजना।अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने अन्य बातों के साथ-साथ कहाः-

"....घटना स्थल मेरे कार्यालय से 200 से 300 फीट दूर है।घटना के दिन अन्य गाड़ियाँ खुली थीं। मुझे उन गाड़ियों के नाम याद नहीं हैं जो खुली हुई थीं।मैं मृत के को जानता हूं। यह गलत है कि मैंने के को तब नहीं देखा था जब उसका अपहरण किया गया था।उस समय हमें पता नहीं था कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह बच्चे का अपहरण कर रहा है, इसलिए हमने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। यह गलत है कि के स्वेच्छा से आरोपी की मोटरसाइकिल पर बैठा, इसके बजाय आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी मोटरसाइकिल की अगली सीट पर बैठा दिया।मुझे नहीं पता था कि आरोपी बच्चे का अपहरण कर रहा है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका।यह सही है कि उस समय अन्य लोग भी फलों की गाड़ी पर खड़े थे।यह सही है कि फलों की गाड़ी पर खड़े अन्य लोगों ने उसे नहीं रोका।यह संभव है कि मैंने अपने पुलिस बयान में कहा हो कि मोटरसाइकिल का रंग आसमानी नीला था, लेकिन मेरे बयान में मोटरसाइकिल का रंग हरा लिखा गया है।यह सही है कि मैं 5 बजे ड्यूटी से बाहर हूँः00 पी. एम यह सच है कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, और मैं इसका उपयोग अपने कार्यालय जाने के लिए कर रहा हूं।यह सही है कि उस समय मैंने आरोपी मनोज प्रताप सिंह का पीछा करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी थी।मुझे आरोपी मनोज प्रताप सिंह की नौकरी के बारे में पता नहीं है।मैं आरोपी मनोज प्रताप सिंह को जानता हूं क्योंकि मैं उसे पिछले दो-चार महीनों से उस जगह पर देखता था।मेरे पास आरोपी मनोज प्रताप सिंह की कोई विशेष पहचान नहीं है।यह गलत है कि किसी ने मुझे आरोपी मनोज प्रताप सिंह का नाम बताया।घटना स्थल उस स्थान के विपरीत है जहाँ से के का शव बरामद किया गया था। अभियुक्त मनोज प्रताप सिंह के को सोमनाथ चोराहा की ओर ले गया जो दूसरी दिशा में है।दाहिनी आंख पर भौंहों के नीचे और सिर के पीछे मृतक के की गर्दन के ऊपर चोटें थीं।यह गलत है कि सभी ज्ञापनों पर मेरे हस्ताक्षर एक ही समय में लिए गए थे।फिर कहा कि जो भी ज्ञापन तैयार किए गए थे,

उन्हें पढ़ने के बाद उनके हस्ताक्षर किए गए थे।मुझे उन कपड़ों का रंग याद नहीं है जो आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने घटना के समय पहने थे।" 7.5.पीडब्लू-17 दिनेश भाटिया मृतक के अपहरण का एक और गवाह था।वह पीडब्लू-2 धरम दास के भाई हैं और पीडब्लू-1 कमला की गाड़ी के पीछे उनकी एक चाय की दुकान है।उन्होंने भी पीडब्लू-1 कमला, पीडब्लू-2 धरम दास, पीडब्लू-3 मदन लाल और पीडब्लू-5 मणिराज सिंह की गवाही की पुष्टि की।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

7.6.एक और स्वतंत्र गवाह, इस तथ्य के संबंध में कि मृतक लड़की को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, पीडब्लू-12 रंजीत सिंह थे।वह एक शराब की दुकान में विक्रेता था, जहाँ अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाने के तुरंत बाद बीयर खरीदना बंद कर दिया।इस गवाह ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा कि अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठी एक आठ वर्षीय लड़की के साथ अपनी दुकान पर आया, बीयर की एक बोतल खरीदी, और यहाँ तक कि कीमत के संबंध में झगड़ा भी किया।इस गवाही का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार होगाः- "मैं सालमपुरा वाइन शॉप में सेल्समैन के रूप में काम करता हूँ।यह दुकान सरदारगढ़ के निवासी बंसीलाल मेवाड़ा के स्वामित्व में है।आई. डी. 1 को शाम 6:30 बजे मैं शराब की दुकान पर था।उस समय न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह मोटरसाइकिल पर आया था।लगभग आठ साल की एक लड़की उसकी मोटरसाइकिल के सामने बैठी थी।आरोपी मनोज प्रताप सिंह शराब की दुकान पर आया और उसने बीयर की बोतल मांगी।मैंने उसे बीयर की एक बोतल दी और अस्सी रुपये मांगे।उनके पास बीस रुपये की कमी थी।उसने मुझसे झगड़ा किया और लड़ाई की।फिर उसने बीस रुपये दिए, बीयर की बोतल ली और मोटरसाइकिल पर चला गया।उस समय बच्चा उसके साथ

मोटरसाइकिल पर बैठा था।अगले दिन मुझे पता चला कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।"

बी.

सी.

डी.

7.6.1.इस गवाह पीडब्लू-12 रंजीत सिंह ने अपनी जिरह में कहाः-

ई.

"पुलिस 18 तारीख को मेरी दुकान पर आई और पूछताछ की।उसी दिन उन्होंने मेरा बयान ले लिया।मैं सालमपुरा वाइन शॉप में अकेला काम करता हूँ।पहले तो उन्होंने बीस रुपये नहीं दिए लेकिन बाद में उन्होंने दे दिए।बीस रुपये देने का तथ्य पुलिस के बयान में नहीं लिखा गया है।यह एक आसमान नीले रंग की पैशन मोटरसाइकिल थी।मुझे मोटरसाइकिल का पंजीकरण संख्या नहीं पता है।मुझे उस दिन न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह द्वारा पहने गए कपड़ों का रंग याद नहीं है।न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर हाउसिंग बोर्ड की ओर चला गया।मैंने आरोपी मनोज प्रताप सिंह को बच्चे के साथ बलात्कार या हत्या करते नहीं देखा।अगले दिन मुझे इसके बारे में पता चला।"

एफ.

जी.

7.7.पी. डब्ल्यू.-6 खेमचंद, जो धरम दास के भाई हैं, ने पंचायतनामा पर उनके हस्ताक्षर की पहचान की। पी-8), स्थल योजनाएँ (उदा. पी-3 और एक्स। पी-4), कपड़ों की जब्ती का ज्ञापन (उदा. पी-9), और ए का ज्ञापन

एच.

मृत शरीर को धरम दास को सौंपना (पूर्व। पी-10)।पीडब्लू-4 नरेंद्र सिंह भी पंचायतमन के गवाह थे और उन्होंने भी अपने हस्ताक्षरों की पहचान की।पीडब्लू-7 कुलदिप सिंह और पीडब्लू-8 अजय सिंह मोटरसाइकिल की जब्ती सहित जांच में विभिन्न कार्यवाही के गवाह रहे थे। पी-15), मोटरसाइकिल के टैंक, पेडल और सिलेंडर से रक्त के नमूनों का संग्रह (उदा। पी-16); मृतक के फ्रॉक की बरामदगी जो खून से सना हुआ था (एक्स। पी-17); रक्त के दाग ले जाने वाले मिट्टी के नमूने का संग्रह (उदा। पी-18); घटना स्थल की स्थल योजना तैयार करना और निरीक्षण का ज्ञापन

(उदा. पी-20 और एक्स। पी -21); और मोटरसाइकिल और घटना स्थल के आगे के निरीक्षण के ज्ञापन (उदा. पी-22 और एक्स। पी-23)।उन्होंने अपनी उपस्थिति में आयोजित कार्यवाही और संबंधित ज्ञापनों पर अपने हस्ताक्षर के लिए विधिवत गवाही दी।

बी.

सी.

8. इस मामले में चिकित्सा, वैज्ञानिक और अन्य संज्ञानात्मक साक्ष्य को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता हैःपहला पीड़ित लड़की के शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के बयान; दूसरा आरोपी-अपीलार्थी की मेडिकल जांच से संबंधित सबूत; तीसरा पीड़ित लड़की की उम्र और अक्षमताओं से संबंधित सबूत; और चौथा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, विशेष रूप से डीएनए मिलान पर।

डी.

8.1.पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में (उदा. पी-35), पीड़ित के मृत शरीर पर चोटों की प्रकृति और विस्तार, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः-

ई.

***

***

***

II क्रैनियम और स्पाइनल कॉर्ड

एफ.

ध्यान दें:- जब तक बीमारी या चोट का कोई संकेत मौजूद न हो, तब तक रीढ़ की नली की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

1. खोपड़ी, खोपड़ी और कशेरुका 2.झिल्ली 3.मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी

(1) 2 भौंहों के बीच 5 X 1 सेमी का घाव।(2) घाव के नीचे सामने की हड्डी का #(फ्रैक्चर) था।(3) 5 X 5 सेमी के पश्चवर्ती क्षेत्र पर हेमेटोमा।

जी.

(4) फ्रंटल टेम्पोरोपेरिएटल और ऑक्सीपिटल क्षेत्रों में आकार में बड़े (अतिरिक्त और सबड्यूरल) कई रक्तस्राव)

एच.

***

***

***

11. अंग पीढ़ी:बाहरी और आंतरिक (1) हाइमेन पूरी तरह से फट गया।

(2) योनि निचले 2/3 वें और ऊपरी 1/3 वें हिस्से के पीछे और दोनों तरफ पार्श्व रूप से विघटित हो जाती है।

(3) II° पेरिनियल टियर।

बी.

(4) वॉल्ट अक्षत था।

(5) बाहरी जननांग क्षेत्रों और जांघों के मध्य और पूर्ववर्ती पक्षों पर रक्त दिखना।

***

***

***

सी.

सिर के नीचे बाहरी चोटें I

1) माथे पर कई खरोंच और चोट के निशान।

2) दोनों भौंहों के बीच 5x1 सेमी का घाव।3) 10x8 सेमी दाहिने तरफ के प्रीऑरिकुलर क्षेत्र में हेमेटोमा।4) बाएँ कान के चारों ओर और पिन्ना पर चोट लगती है।

डी.

5) बाएं अनिवार्य से 5x3 सेमी नीचे और 2x1 सेमी के निचले होंठ के नीचे का घाव।

6) दोनों गालों पर कई खरोंच।

ई.

7) दोनों तरफ और गर्दन के सामने कई खरोंच।

8) दोनों तरफ के कंधों के आगे, पीछे की ओर कई खरोंच और चोटें।

9) सामने और पीछे की छाती पर कई खरोंच, विशेष रूप से प्रमुख हड्डी वाले क्षेत्रों पर।

एफ.

10) दोनों इलियाक फोसा तक बाहर निकलने वाले सुप्रा प्यूबिक क्षेत्र पर कई घर्षण।

11) दोनों जांघों के ऊपरी पूर्वकाल और पार्श्व भागों पर कई खरोंच।

जी.

12) दाहिने घुटने के जोड़ के पार्श्व की ओर 7x5 सेमी का घर्षण।13) बाएं घुटने के जोड़ पर और उसके आसपास कई खरोंच।"

8.2.तीन चिकित्सा अधिकारियों वाले चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि सभी चोटें ए थीं।

एच.

769

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

परीक्षा के 16-18 घंटों के भीतर ताजा और अवधि का।उन्होंने अपनी टिप्पणी निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त कीः-

" चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्मरण

मेडिकल बोर्ड की राय में मौत का कारण सिर में लगी चोट है।शव परीक्षण के बाद बलात्कार किया गया।"

बी.

8.3.पीडब्लू-14 डॉ. मंजू पुरोहित, जो संबंधित समय में स्त्री रोग विशेषज्ञ, आर. के. अस्पताल, राजसमंद के रूप में काम कर रही थीं और मेडिकल बोर्ड की सदस्य थीं, ने उपरोक्त पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और विभिन्न नमूने/स्वैब एकत्र करने, सील करने और वितरित करने में मेडिकल बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों की गवाही दी।इस गवाह से न केवल अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से जिरह की गई थी, बल्कि न्यायालय द्वारा सवाल भी पूछे गए थे और उससे आगे भी जिरह की गई थी।जिरह और

न्यायालयी पूछताछ में उनकी गवाही के प्रासंगिक भाग को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः-

सी.

"आम तौर पर, मृत्यु के छह घंटे बाद, शरीर में कठोर मृत्यु शुरू हो जाती है लेकिन यह मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करती है।यह कहना गलत है कि शरीर में संकुचन पाया गया था।एक्स में उल्लिखित सभी बाहरी चोटें। पी-35 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को मोटरसाइकिल से गिरने से एक साथ नहीं रखा जा सकता है।मोटरसाइकिल से गिरने के बाद गर्दन, जबड़े और योनि के नीचे की चोटें नहीं लग सकती हैं।यह कहना गलत है कि गर्दन पर लगे दुपट्टे के कारण चोट लग सकती है।यह सही है कि जाँच के समय उसके शरीर पर मानव वीर्य नहीं पाया गया था।यह सही है कि मानव वीर्य भी योनि की बाहरी सतह पर नहीं पाया गया था।यह सही है कि एक्स पर। पी-36 प्रमाण पत्र और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट संख्या खाली है।

डी.

ई.

एफ.

न्यायालय द्वारा प्रश्नः-

प्र. शरीर पर चोटों की बाहरी और आंतरिक जांच करने और शरीर की पूरी परिस्थितियों और स्थिति का विश्लेषण करने के बाद आपकी विशेषज्ञ चिकित्सा राय क्या है?उ. मेरी विशेषज्ञ राय में, आठ साल की मासूम लड़की के साथ बेरहमी से और अमानवीय तरीके से बलात्कार किया गया था और आपत्ति जताने पर, उसके साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति ने अमानवीय और क्रूर तरीके से व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अलग-अलग सरल और गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।मृतक की योनि के घाव से पता चलता है कि उसके साथ अमानवीय तरीके से बेरहमी से बलात्कार किया गया था।

जी.

एच.

क्रॉस परीक्षाः- पीड़ित श्री बी. के. बैरवा के लिए अधिवक्ता।

मौत का कारण सिर पर लगी चोट थी "

8.4.पीडब्लू-15 डॉ. कैलाश चंद और पीडब्लू-21 डॉ. चेतना वैष्णव मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्य थे जिन्होंने पोस्टमॉर्टम जांच की और उन्होंने सभी सामग्री विवरणों पर पीडब्लू-14 की गवाही की पुष्टि की।पीडब्लू-21 डॉ. चेतना वैष्णव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा कि परीक्षण के बाद, मेडिकल बोर्ड ने

बी.

राय है कि 'मृतक के साथ क्रूर बलात्कार किया गया था और

उसकी मृत्यु हुई थी '।इस गवाह ने आरोपी-अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद उसकी शारीरिक जांच के लिए गवाही दी, जब उसने उसके दाहिने घुटने पर खरोंच पाई और जांच अधिकारी (पूर्व। पी-41)।जिरह में उनकी गवाही के प्रासंगिक भाग इस प्रकार होंगे:-

सी.

"....यह गलत है कि मृतक के शरीर पर पूरी चोट मोटरसाइकिल से गिरने के बाद हो सकती है।यह सही है कि मृतक के शरीर पर शुक्राणु के निशान नहीं मिले थे, लेकिन हमने जांच के लिए मृतक की योनि से नमूने लिए, यह गलत है कि मृतक के शरीर पर सभी चोटें स्वयं की वजह से थीं, लेकिन मृतक के शरीर पर कुछ चोटें स्वयं की वजह से हो सकती हैं।यह सही है कि पूर्व में। पी 35, एक्स से वाई तक, मृत्यु के संबंध में राय में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सिर के किस हिस्से पर विशिष्ट चोट लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, लेकिन मेडिकल बोर्ड की राय में, मृतक के सिर पर कई चोटें पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक रूप से मृतक की मृत्यु हुई।उक्त चोटों को कुंद हथियार से या पत्थर पर सिर से टकराने से लगाया जा सकता है।यह सही है कि इस संदर्भ में, एक्स पर उपलब्ध मेडिकल बोर्ड की कोई राय नहीं है। पी35 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।पीएमओ के हस्ताक्षर पूर्व में जी से एच तक हैं। पी-41 और, तिथि 20.01.2013 की है और समय 11 है:40 ए. एम. यह गलत है कि पूर्व पी-41 पत्र 20.01.2013 पर दिया गया था।मैंने 12 बजे 19.01.2013 पर अभियुक्त की जाँच की थी:00 पी. एम ऐसा लगता है कि पीएमओ ने गलती से एक्स पर तारीख का उल्लेख किया है। जी से एच तक पी-41. यह गलत है कि एक्स। पी-41 20 तारीख को दिया गया था।"

डी.

ई.

एफ.

जी.

8.5.अपीलार्थी की यौन क्षमता और उसके रक्त के नमूने के संग्रह के सवाल पर की गई चिकित्सा प्रक्रियाओं के संबंध में, ए

एच.

771

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

पीडब्लू-22 डॉ. सतीश सिंघल, चिकित्सा अधिकारी, आर. के. अस्पताल, राजसमंद ने अपनी रिपोर्ट (एक्स. पी-43) इस प्रभाव के लिए कि यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम नहीं था।इस गवाह ने अपीलार्थी की सहमति के बाद उसके रक्त के नमूने के संग्रह के तथ्य की भी गवाही दी (उदा. पी-44) और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के मुख्य रासायनिक परीक्षक के लिए अग्रेषण पत्र (एक्स। पी-45)।उनकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी ठोस उपलब्ध नहीं है सिवाय इसके कि उनके द्वारा की गई प्रक्रिया के विवरण का उल्लेख पूर्व में नहीं किया गया था। पी-43।

बी.

8.6.जहाँ तक मृतक की उम्र और उसकी मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया, जो स्थायी अक्षमता पर मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 04.03.2010 है। पी-11), जहां यह नोट किया गया था कि मृतक के 70 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के साथ स्पास्टिक पाल्सी से पीड़ित था; प्रगति रिपोर्ट (उदा. पी-13) जागृति विद्यालय द्वारा जारी किया गया, जो मानसिक विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय है, साथ में एक प्रमाण पत्र (पूर्व। पी-12) उसी स्कूल द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि बच्चे का आई. क्यू. 50 प्रतिशत था।सरकारी प्राथमिक विद्यालय, गदरियावास धोइंदा (पूर्व। पी-14) का भी उत्पादन किया गया था।उक्त प्रमाणपत्र (उदा. पी-12 से पी-14) ने उसकी जन्म तिथि 09.07.2005 दी।पीडब्लू-18 डॉ. नरेंद्र पालीवाल ने उक्त प्रमाणपत्र को साबित किया। पी-11। प्रतिपरीक्षा में उनके अभिसाक्ष्य का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार होगाः-

सी.

डी.

ई.

"यह सही है कि Ex.P-11 प्रमाण पत्र में, K की आयु का उल्लेख नहीं है और पहचान चिह्न का भी उल्लेख नहीं है।....यह सही है कि पूर्व में। पी-11, न तो के के हस्ताक्षर हैं और न ही अंगूठे की छाप है।....यह सही है कि इस प्रमाण पत्र को जारी करने में बोर्ड में कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था।मैंने शारीरिक अक्षमता के लिए उक्त प्रमाण पत्र जारी किया था न कि किसी तंत्रिका संबंधी परीक्षा के लिए।यह सही है कि उक्त प्रमाणपत्र हड्डी रोग से संबंधित है।यह कहना गलत है कि इस बीमारी में मांसपेशियां फट सकती हैं।"

एफ.

8.7.यह भी देखा गया है कि दिनांकित एक संचार के माध्यम से 22.01.2013 (उदा.52), बाद में जांच अधिकारी पीडब्लू-25 उमेश ओझा ने उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 04.03.2010 (पूर्व। पी-11) जिसके बाद, चिकित्सा अधिकारी ने निम्नलिखित शब्दों में अपना समर्थन कियाः-

जी.

एच.

772

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

"जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार, उसके अंगों की कॉर्डिनेशन हरकतें जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, बाधित थीं और इस तरह वह शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्ची थी।"

8.8.हम राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर द्वारा किए गए डी. एन. ए. परीक्षण की रिपोर्ट के प्रासंगिक भागों को भी उपयोगी रूप से निकाल सकते हैं (जो 08.04.2013 पर तैयार किया गया था और एक्स के रूप में चिह्नित किया गया था। पी-51), जो नीचे पढ़ा जाएगाः-

बी.

"डी. एन. ए. को सभी नमूनों से निकाला गया था, सिवाय प्रदर्शनी संख्या 7 (नियंत्रण फाहे), 9 (रक्त से लथपथ मिट्टी) और 10 (नियंत्रण मिट्टी) के।ए. एम. पी. एफ. आई. एस. टी. आर. ® आइडेंटिफाइलर® प्लस के माइक्रोसैटेलाइट लोकी का उपयोग करके डी. एन. ए. प्रोफाइल तैयार किए गए थे।डेटा का विश्लेषण जीनमैपर आईडी-एक्स® सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया था।जाँच के दौरान रक्त के नमूने लिए गए।

सी.

जाँच का परिणाम

(1).समान महिला डीएनए प्रोफाइल प्रदर्शनी संख्या 1 (कोट), 2 (पंत), 3 (शर्ट), 5 (पजामी), 6 (मोटर साइकिल से रक्त), 8 (फ्रॉक), 12 (योनि स्वाब), 13 (योनि स्मीयर) और प्रदर्शनी संख्या 14 (के का रक्त नमूना) से प्राप्त किया गया था।

डी.

2. पुरुष डीएनए प्रोफाइल प्रदर्शनी संख्या 4 (अंडरवियर) से प्राप्त किया गया था जो प्रदर्शनी संख्या 11 (मनोज प्रताप सिंह के रक्त के नमूने) के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है।

ई.

निष्कर्ष

प्रदर्शनी पर किया गया डी. एन. ए. परीक्षण यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि प्रदर्शनी संख्या 1 (कोट), 2 (पंत), 3 (शर्ट), 5 (पजामी), 6 (मोटर चक्र से रक्त), 8 (फ्रॉक), 12 (योनि स्वाब), 13 (योनि स्मीयर) से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल प्रदर्शनी संख्या 14 (के का रक्त नमूना) के डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल से मेल खा रही है।"

एफ.

9. जाँच प्रक्रिया से संबंधित कुछ आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य भी आवश्यक विवरणों में देखे जा सकते हैं।

9.1.पीडब्लू-19 नंद लाल संबंधित समय में पुलिस स्टेशन, कांकरोली में दूसरे स्थान पर थे।इस गवाह ने पुलिस स्टेशन पहुंचने पर रिपोर्ट दर्ज करने और पीडब्लू-20 एस. एच. ओ. को जांच सौंपने के बारे में तथ्यों की गवाही दी।उन्होंने पीडब्लू-1 कमला और पीडब्लू-3 मदन लाल के हस्ताक्षरों की पहचान की और साथ ही रिपोर्ट एक्स पर अपने हस्ताक्षर भी किए। पी-1 और एफ. आई. आर. एक्स. पी-2।

जी.

एच.

773

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

9.2.पीडब्लू-20 गणेश नाथ, एस. एच. ओ. की गवाही प्रासंगिक है क्योंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था; पहला प्रकटीकरण बयान अपीलार्थी द्वारा उसे दिया गया था; और जाँच से संबंधित प्रारंभिक प्रक्रियाएँ उसके द्वारा की गई थीं।उनके मुख्य परीक्षण के प्रासंगिक उद्धरण, विशेष रूप से अपीलार्थी की गिरफ्तारी और चिकित्सा जांच के साथ-साथ अपीलार्थी की जानकारी पर खोजों से संबंधित, निम्नानुसार होंगेः-

बी.

"....मैंने दादा और पिता के साथ तलाशी की कार्यवाही शुरू की और मनोज प्रताप सिंह को कांकरोली बस स्टैंड से पुलिस स्टेशन लाया और आवश्यक पूछताछ करने के बाद उसे पूर्व के

माध्यम से गिरफ्तार कर लिया। पी-5. जिस समय मनोज प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया था, उस समय उन्होंने कोट, जींस, शर्ट और अंडरवियर पहने हुए थे, जिसमें उनके कोट, जींस और अंडरवियर पर खून के धब्बे पाए गए थे, जिन्हें मेमो एक्स के माध्यम से जब्त किया गया था। पी-6। फिर उन्हें सील कर दिया गया और मुहर लगा दी गई।

सी.

हिरासत में, आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने स्वेच्छा से 2 बजे 18.01.2013 पर खुलासा किया:30 ए. एम. मुझसे, एस. एच. ओ., कि वह उस लड़की का शव बरामद कर सके जिसे उसने आर. के. अस्पताल, राजसमंद से अपहरण कर लिया था, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को कमल तलाई में फेंक दिया।उक्त जानकारी अभियुक्त के बयान के अनुसार लिखी गई थी और ज्ञापन को पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। पी-40 जिस पर आरोपी मनोज प्रताप सिंह का हस्ताक्षर ए से बी तक है, जिसे पढ़ा गया और पूर्व के रूप में चिह्नित ज्ञापन की सामग्री को समझाया गया। पी-40 जिसने सामग्री को समझा और ए से बी तक अपने हस्ताक्षर लगाए और मेरे हस्ताक्षर सी से डी तक हैं। उक्त जानकारी लिखने के बाद, हम सरकारी वाहन में उस स्थान पर गए, जैसा कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने गवाह मदन लाल और धरम राज के साथ खुलासा किया था, जो वहां मौजूद थे।उन्होंने हमें उस स्थान पर वाहन से रुकने और उतरने के लिए कहा जहां कमल तलाई रोड 50 फीट सड़क पर मिलती है।वह वाहन से नीचे उतरा और आगे बढ़ा, एक पुल की रेलिंग पर एक लड़की के शव की ओर इशारा किया और कहा कि यह वह लड़की है जिसका उसने अपहरण किया था।साथ गए धरम राज ने भी शव को देखा और कहा कि वह उसकी बेटी के है। क्योंकि अंधेरा था, इसलिए मैंने मशाल की रोशनी में शव का निरीक्षण किया और पाया कि लड़की मर चुकी थी।उसके शरीर पर काले रंग के अंडरवियर थे और बाकी शरीर पूरी तरह से नग्न था।लड़की के शरीर पर कई खरोंच थे और उसकी आंख पर चोट लगी थी।जबसे ऐसा था

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

रात में, मैंने रिकवरी एक्स का ज्ञापन तैयार किया। पी-7 जिस पर आरोपी मनोज प्रताप सिंह के हस्ताक्षर ई से एफ तक हैं, गवाह धरम राज के हस्ताक्षर ए से बी तक हैं, गवाह मदन लाल के हस्ताक्षर सी से डी तक हैं और मेरे हस्ताक्षर जी से H.Thereafter तक हैं, भोर में, लड़की के का पंचायतनामा प्रमाणक गवाहों को बुलाकर तैयार किया गया था जिसमें सभी विवरण और पूरे शरीर पर मौजूद चोटों का उल्लेख किया गया था; पंचों को पढ़ा गया, जिन्होंने सभी परिस्थितियों को देखने के बाद कहा कि लड़की के की मृत्यु उसके शरीर पर लगी चोटों का परिणाम थी।निकाय के पंचायतनामा का ज्ञापन एक्स है। P-8.Thereafter, शव को जब्त कर लिया गया और आर. के. अस्पताल, राजसमंद के मुर्दाघर में रखा गया और रिपोर्ट को पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड को भेज दिया गया।मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया और पोस्टमॉर्टम के बाद काले रंग की निचली (पजामी) जिसे घटना के समय लड़की ने पहना था और जिस पर खून के धब्बे पाए गए थे, उसे जब्त कर लिया गया, एक थैले में रखा गया, सील कर दिया गया, मुहर लगा दी गई और पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया। पी-9।

बी.

सी.

डी.

.....हिरासत में, मैंने आरोपी मनोज प्रताप सिंह के शरीर पर चोटों की जांच कराई, जिसके लिए मैंने आर. के. अस्पताल, राजसमंद के चिकित्सा अधिकारी को अनुरोध दिया, जिसकी प्रति एक्स है। पी-41, जिस पर मेरे हस्ताक्षर ए से बी तक हैं, उस पर डॉ. चेतना द्वारा अभियुक्त की शारीरिक जांच की गई, जिन्होंने एक्स पर चोटों का विवरण दर्ज किया। पी-41 जो सी से डी है और डॉक्टर के हस्ताक्षर ई से एफ तक हैं। इसके बाद, उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए, जांच सर्कल अधिकारी श्री उमेश ओझा को सौंप दी गई।

ई.

9.2.1.पीडब्लू-20 गणेश नाथ की प्रतिपरीक्षा के प्रासंगिक भाग को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

एफ.

"यह गलत है कि उसी दिन कमला ने नंद लालजी को गुमशुदगी की रिपोर्ट सौंप दी।यह सही है कि जब कमला पुलिस स्टेशन आई तो मैं वहां मौजूद नहीं थी।जब तलाशी की कार्यवाही की गई तो मेरे कर्मचारी धरम राज और मदन लाल मेरे साथ थे।जब मुझे 8 बजे जानकारी मिली:20 अपराह्न, मैं अपने कर्मचारियों के साथ था।इसके बाद, मैं पुलिस स्टेशन आया और धरम राज और मदन लाल के साथ तलाश में चला गया। मैं दो-तीन घंटे बाद पुलिस स्टेशन वापस आया और धरम राज और मदन लाल के साथ तलाश में चला गया। आरोपी मनोज प्रताप सिंह को मैंने गिरफ्तार कर लिया था।मैंने आरोपी मनोज प्रताप सिंह ए को पकड़ लिया।

जी.

एच.

775

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

कंकरोली के पुराने बस स्टैंड से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पूछताछ करने के बाद मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया।मैंने पुलिस स्टेशन में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया, इसलिए, एक्स में। पी-5 गिरफ्तारी का स्थान खाली है लेकिन शीर्ष पर गिरफ्तारी के स्थान का उल्लेख कांकरोली पुलिस स्टेशन के रूप में किया गया है।यह सही है कि मैंने आरोपी मनोज प्रताप सिंह के कपड़े जब्त कर लिए और उसके बाद उसे पहनने के लिए अन्य कपड़े प्रदान किए।मैं यह नहीं कह सकता कि क्या उस समय आरोपी मनोज प्रताप सिंह किसी नशे के प्रभाव में था, लेकिन उसने शराब का सेवन नहीं किया है और न ही वह उसी के प्रभाव में प्रतीत होता है।धारा 27 के तहत जानकारी मिलने के बाद मैं घटना स्थल पर गया जहां आरोपी मनोज प्रताप सिंह वाहन से नीचे उतरा और वह हमारे सामने चल रहा था।उस जगह के सामने एक घर था जहाँ के का शव मिला था और शेष क्षेत्र भूखंड और कृषि भूमि थे।यह सही है कि शव कमल तलाई रोड पर मिला था जहां 50 फीट सड़क मिलती है।यह सही है कि मैंने उक्त घर के लोगों या उस घर के आस-पास के लोगों से पूछताछ नहीं की क्योंकि आगे की जांच डिप्टी सर ने की थी। धारा 27 के तहत आरोपी मनोज प्रताप सिंह का बयान शब्द दर शब्द लिखा गया था।यह सही है कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह शिक्षित है।आरोपी ने कहा है कि वह 10 वीं कक्षा तक पढ़ा है।यह सही है कि जब के का शव बरामद किया गया तो अंधेरा था।यह 3 थाः00 यह सही है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी मनोज प्रताप सिंह के घुटने पर चोट लगी थी।यह सही है कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह के चेहरे और छाती पर कोई चोट नहीं थी।यह गलत है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या मुझ पर कोई दबाव था।"

बी.

सी.

डी.

ई.

9.2.2.अपीलार्थी द्वारा पी. डब्ल्यू.-20 एस. एच. ओ. को 18.01.2013 पर दिए गए प्रकटीकरण बयान को पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। पी-40 और इसकी सामग्री निम्नानुसार होगीः-

एफ.

"मैंने उस लड़की की हत्या कर दी है जिसे मैंने आर. के. अस्पताल से अगवा किया था।उसका शव कमल तलाई की ओर पड़ा हुआ है, जिसे मैं बरामद कर सकता हूं।"

जी.

9.3.पीडब्लू-25 उमेश ओझा, जो राजसमंद के सर्कल अधिकारी थे और जिन्होंने इस मामले में जांच के बाद के हिस्से को अंजाम दिया, की गवाही भी उतनी ही प्रासंगिक है।अपीलार्थी ने कथित तौर पर इस गवाह को घटना स्थल, मोटरसाइकिल के स्थान और फ्रॉक के स्थान का खुलासा किया, जिसने आवश्यक बरामदगी और अनुवर्ती कार्रवाई की।

एच.

कार्यवाही।इस जांच अधिकारी ने अपीलार्थी से संबंधित अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए, जिसमें उसकी यौन क्षमता परीक्षण रिपोर्ट और उसका पूर्ववृत्त शामिल था।उनकी गवाही के प्रासंगिक उद्धरण 8 के तहत पढ़े जाएंगेः-

".....आई. डी. 1 पर आज न्यायालय में मौजूद आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने स्वेच्छा से मुझे बताया कि वह उस जगह को दिखा सकता है जहां घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल छोड़ी गई थी, वह हमारे साथ उस जगह और आस-पास के स्थानों पर जा सकता है जहां उसने मृतक के साथ बलात्कार किया था और जहां उसका खून से लथपथ कुर्ता छोड़ा गया था।उक्त जानकारी Ex. पी-48 को शब्द दर शब्द दर्ज किया गया जैसा कि आरोपी ने कहा था और उसके बाद उसे पढ़ा गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, हम पूछताछ और बरामदगी के लिए बुलाए गए गवाहों----------
----------आरोपी मनोज प्रताप सिंह की सूचना के अनुसार हम 50 फीट सड़क से धोइंदा के रास्ते में श्मशान घाट से पहले नहर के पास पहुंचे, जहां आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने हमें रुकने के लिए कहा, इसलिए हमने वाहन रोक दिया और नीचे उतर गए।तब आरोपी मनोज प्रताप सिंह ने पूर्व की ओर इशारा किया और कहा कि यह वह जगह है जहाँ उसने मृतक के साथ बलात्कार किया और मोटरसाइकिल छोड़ दिया।....250 जहाँ हम उतरे थे वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर, आरोपी मनोज प्रताप सिंह, जो हमारे सामने चल रहा था, रुका और उस जगह की ओर इशारा किया जहाँ उसने मोटरसाइकिल छोड़ी थी।हमने मोटरसाइकिल को लाठियों के बंडल के पास पड़ा देखा।मोटरसाइकिल के जिस तरफ साइलेंसर था वह जमीन को छू रहा था, मोटरसाइकिल की हेड लाइट खेत की दीवार की ओर थी, मोटरसाइकिल पर खून लगा हुआ था और इसका नंबर RJ 30 3M 5944 था।आरोपी मनोज

प्रताप सिंह ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल पर वह लड़की को यहां लाया था।उक्त मोटरसाइकिल का घटना में उपयोग किया गया था और इसलिए, इसे जब्त कर लिया गया और ज्ञापन तैयार किया गया जो एक्स है। पी-15. मोटरसाइकिल का दाहिनी ओर का पिछला संकेतक टूट गया था और लटक रहा था; और इसकी पेट्रोल टैंक, साइलेंसर, इंजन बॉडी और पीछे के टायर के किनारे पर खून लगा हुआ था।चूँकि जाँच के लिए मोटरसाइकिल को एफ. एस. एल. भेजना संभव नहीं था

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8 यह संकेत दिया जा सकता है कि इस गवाह पीडब्लू-25 ने यह भी दावा किया कि अपीलार्थी ने अन्य खुलासे किए थे जैसे कि उस स्थान पर जहां उसने पीड़ित लड़की के प्रतिरोध पर कठोर बजरीदार सतह (पत्थर) पर उसका सिर तोड़ा था; और साइलेंसर और मोटरसाइकिल के इंजन आदि के बीच उसके माथे को तोड़ दिया था। उनकी गवाही के इन हिस्सों के साथ-साथ औपचारिक प्रकृति के अन्य हिस्सों को भी निष्कर्षण से हटा दिया गया है।

एच.

ए.

उस पर खून के धब्बे, सफेद कपड़े की जाली पर खून का नमूना लिया गया और नियंत्रण का नमूना भी लिया गया और उन्हें अलग-अलग प्लास्टिक के डिब्बों में रखा गया और सील कर दिया गया। नमूने को डी चिह्नित किया गया था और नियंत्रण को डी 1 चिह्नित किया गया था जिसके लिए एक अलग ज्ञापन तैयार किया गया था जो एक्स है। पी-16।...

इसके बाद आरोपी मनोज प्रताप सिंह. मोटरसाइकिल से लगभग 3 मीटर की दूरी पर चला गया और अपने हाथ से संकेत दिया और कहा कि एक फ्रॉक-टाइप स्कर्ट है, जिसे मृतक लड़की ने पहना था; करीब से देखने पर, स्कर्ट हल्के पीले बिंदुओं के साथ लाल रंग की थी; स्कर्ट फटी हुई थी और उसके निचले हिस्से में खून था।

बी.

सी.

...दूसरे तरफ लगभग ढाई मीटर की दूरी पर प्रताप ने हाथ से दिखाया और कहा कि इस जगह पर मैंने मृतक लड़की के साथ बलात्कार किया, उस जगह पर खरोंच के निशान और खून के धब्बे थे। गवाहों की उपस्थिति में, एफएसएल द्वारा परीक्षण के लिए रक्त का नमूना और नियंत्रण नमूना अलग से लिया गया था।

डी.

***

***

***

जाँच के दौरान मैंने चिकित्सा अधिकारी आर. के. अस्पताल को आरोपी मनोज प्रताप सिंह के डी. एन. ए. परीक्षण और यौन क्षमता परीक्षण के बारे में एक पत्र लिखा जो कि प्रदर्शनी पी-42 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं।इस पर चिकित्सा अधिकारी ने यौन क्षमता रिपोर्ट प्रदर्शनी पी-43 दी; पहचान और सहमति प्रपत्र की कार्बन प्रति प्रदर्शनी पी-44 है और डीएनए परीक्षण के लिए रक्त के नमूने को अग्रेषित करने की कार्बन प्रति प्रदर्शनी पी-45 है।

ई.

***

***

***

एफ.

जाँच के दौरान मैंने डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा के का विकलांगता प्रमाणन प्राप्त किया था, जो कि प्रदर्शनी पी-11 है जिस पर आई से जे मेरा समर्थन है और के से एल मेरा हस्ताक्षर है।मैंने श्री द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान से मृतक के का मानसिक मंदता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जो कि प्रदर्शनी पी-12 है जिस पर सी से डी मेरा समर्थन है, ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं और मृतक मदन के दादा के ए से बी हस्ताक्षर हैं और जी से एच प्रिंसिपल जागृति स्पेशल स्कूल, कांकरोली के हस्ताक्षर हैं।जागृति स्पेशल स्कूल, काकरोली की प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शनी पी-13 है जिस पर सी से डी मेरा समर्थन है और ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं।जन्म तिथि का प्रमाण पत्र और #36 #का विद्यालय प्रवेश प्रपत्र

जी.

एच.

प्राथमिक विद्यालय, गदरियावास प्रदर्शनी पी-14 है जिस पर सी से डी मेरा समर्थन है और ई से एफ मेरा हस्ताक्षर है, जी से एच प्रधान सरकार का हस्ताक्षर और मुहर है। प्राथमिक विद्यालय, गदरियावास दोहिंदा।

***

***

***

बी.

... वर्तमान घटना में आरोपी मनोज प्रताप सिंह द्वारा उपयोग किए गए मोटरसाइकिल नंबर आर. जे. 30 3 एम 5944 की चोरी के संबंध में नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शनी पी-46 है, जिसमें सी से डी पर मेरा समर्थन और ई से एफ पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

सी.

एस. एच. ओ., पी. एस. शंभुप्रा जिला चित्तौड़गढ़ को आरोपी मनोज प्रताप सिंह का पिछला दोषसिद्धि रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए एक लिखित अनुरोध भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट प्रदर्शनी पी-47 है जिस पर जी से एच मेरा समर्थन है और आई से जे मेरे हस्ताक्षर हैं।इस पत्र के साथ, एस. एच. ओ. पी. एस. शंभुप्रा जिला चित्तौड़गढ़ ने आरोपी मनोज प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 69/11 की सही प्रति आरोप पत्र के साथ भेज दी थी, जिसे फाइल में लिया गया था।इसी तरह, पी. एस. राजनगर, जिला राजसमंद में आरोपी मनोज प्रताप सिंह के खिलाफ एफ. आई. आर. सं. 428/12 और आरोप पत्र दर्ज किया गया।पी. एस. कांकरोली, जिला राजसमंद में पंजीकृत मामले संख्या 79/12 और 78/12 में एफ. आई. आर. और आरोप पत्र की प्रतियां भी रिकॉर्ड में ले ली गईं।

डी.

ई.

9.3.1.हम इस गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान के प्रासंगिक भागों को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाल सकते हैं:-

"यह सच है कि जहां से मोटरसाइकिल जब्त की गई थी, वह एक खुला क्षेत्र था।यह भी सच है कि जहां से मृतक का फ्रॉक जब्त किया गया था, वह एक खुला क्षेत्र था।यह गलत है कि श्मशान घाट घटना स्थल के पास था लेकिन वहां से बहुत दूर था।यह गलत है कि घटना स्थल पर सार्वजनिक आंदोलन हो रहा है।50 फुट रोड घटना स्थल से बहुत दूर है।यह गलत है कि नहर के पास

सार्वजनिक मार्ग स्थित है, बल्कि खेतों की ओर जाने के लिए पगडंडी प्रकार का मार्ग उपलब्ध है। यह सच है कि अभियुक्त द्वारा धारा 27 के तहत प्रदान की गई जानकारी जो पूर्व है। पी-48 मेरे द्वारा लिखा गया था।यह सच है कि आरोपी मनोज प्रताप शिक्षित है।अभियुक्त मनोज प्रताप सिंह को केवल एक्स पर हस्ताक्षरित किया गया था। पी-48।यह गलत है कि घटना स्थल के पास घरों का निर्माण किया जाता है।क्षेत्र घटना स्थल के पास स्थित है और वहाँ कोई नहीं है, ए

एफ.

जी.

एच.

779

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

पटवाड़ी क्षेत्र से खेतों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी और मालिकों से घटना के बारे में पूछा गया था लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था।यह सच है कि जिस स्थान पर पीड़ित का शव पड़ा था, उसके पास एक घर था, जो थोड़ी दूरी पर था।यह सच है कि उस घर में रहने वाले व्यक्ति को रात में हुई घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था।यह सच है कि जिस पुल पर पीड़ित का शव मिला था, वह सार्वजनिक आंदोलन का हो सकता है, लेकिन चूंकि घटना रात के दौरान हुई थी, इसलिए उस समय कोई सार्वजनिक आंदोलन नहीं हुआ होगा time.I यह नहीं कह सकता कि घटना के समय बारिश हुई थी।मैं यह नहीं कह सकता कि घटना के दूसरे दिन बारिश हुई थी।यह सच है कि आरोपी द्वारा दी गई घटना से संबंधित जानकारी शब्द-दर-शब्द दर्ज की गई थी।यह गलत है कि उस समय आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है।यह गलत है कि जब्त की गई वस्तु को परीक्षण के लिए एफएसएल को सुरक्षित रूप से नहीं भेजा गया था।यह सच है कि अभियुक्त के खिलाफ पुलिस स्टेशन गुगली, जिला महाराजगंज, (उत्तर प्रदेश) में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था, जिसका ज्ञापन पूर्व के आधार पर समर्थन किया गया है। पी-31।यह गलत है कि मैं दबाव में था और मैंने गलत जांच की।यह गलत है कि जब आरोपी नहीं मिला तो शहर में प्रदर्शन हुए थे; बल्कि, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे।यह गलत है कि मैंने केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच की, बल्कि अपहरण के समय मौजूद स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज करके जांच की।यह सच है कि किसी ने भी आरोपी को मृतक के साथ बलात्कार और हत्या करते नहीं देखा था।"

बी.

सी.

डी.

ई.

9.3.2.अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा 19.01.2013 पर पीडब्लू-25 को दिए गए प्रकटीकरण बयान को पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। पी-48 और इसकी सामग्री निम्नानुसार होगीः-

एफ.

"मैं उस जगह को दिखा सकता हूं जहां घटना के समय मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पड़ी है और पास की जगह जहां मृतक का खून से सना कुर्ता पड़ा है और वह जगह जहां मैंने उसके साथ बलात्कार किया था, जो पास में ही है।"

जी.

9.4.पुलिस उप-निरीक्षक पीडब्लू-23 रामदेव रेगर ने इस तथ्य के बारे में गवाही दी कि मोटरसाइकिल की चोरी के बारे में एक रिपोर्ट जिसमें पंजीकरण संख्या। RJ30 3M 5944 को 14.01.2013 पर नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।इस गवाह ने इस प्रकार कहाः-

एच.

"14.01.2013 पर, मुझे नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन शिकायतकर्ता सुंदरचा निवासी पुरुषोत्तम के बेटे रमेश चंद ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उनके मास्टर गिरीशजी गर्ग की हीरो होंडा पैशन प्लस मोटरसाइकिल, जिसका पंजीकरण संख्या। आर. जे. 30 3 एएम 5994 नाथद्वारा के नानीजी का बाग के पास खड़ा था, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था।उक्त रिपोर्ट के आधार पर, आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत मामला संख्या 39/13 दर्ज किया गया और जांच ए. एस. आई. पेशावर खान को सौंपी गई।उक्त रिपोर्ट के आधार पर, मैंने प्राथमिकी दर्ज की, जिसकी प्रमाणित फोटोकॉपी 46 है और मेरे हस्ताक्षर ए से बी तक हैं।

बी.

सी.

9.4.1.इस गवाह पीडब्लू-23 ने अपनी जिरह में निम्नानुसार गवाही दीः-

"इस मामले में मैंने उक्त मोटरसाइकिल को जब्त नहीं किया है।यह सही है कि तत्काल मामले में, मैंने मोटरसाइकिल के आर. सी. या अन्य दस्तावेज प्राप्त नहीं किए हैं।"

डी.

9.5.पी. डब्ल्यू.-10, पी. डब्ल्यू.-11, पी. डब्ल्यू.-13, पी. डब्ल्यू.-16; और एक अन्य आधिकारिक गवाह पी. डब्ल्यू.-24, जिन्होंने आरोप पत्र दायर किया, जैसे अन्य आधिकारिक गवाह थे जिन्होंने जांच में सहायता के लिए विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया।उनके साक्ष्य, अनिवार्य रूप से औपचारिक प्रकृति के, पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।10. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।हालाँकि, अपीलार्थी ने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

ई.

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई

एफ.

11. विचारण न्यायालय ने दिनांक 1 के अपने दोषसिद्धि के फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और बचाव पक्ष में आग्रह की गई दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत स्थापित की गई थी, जिससे आरोपी-अपीलार्थी का अपराध सामने आया।

साढ़े सात वर्ष की आयु में मृत, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग

जी.

12. विचारण न्यायालय ने सबसे पहले मृतक की उम्र और कथित अक्षमता से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया। विचारण न्यायालय ने स्थायी विकलांगता पर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र दिनांक 04.03.2010 (Ex. पी-11) और पीडब्लू-18 डॉ. नरेंद्र पालीवाल का बयान, कि मृतक स्पास्टिक पाल्सी से पीड़ित था, जिसके कारण, उसके ए का कुल प्रतिशत था।

एच.

स्थायी अक्षमता 70 प्रतिशत थी।डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक लड़की की चिकित्सा स्थिति अंगों और मस्तिष्क की गतिविधियों के बीच असंतुलन के कारण थी।न्यायालय ने पीडब्लू-1 कमला, पीडब्लू-2 धरम दास, पीडब्लू-3 मदन लाल, पीडब्लू-17 दिनेश भाटिया और पीडब्लू-5 मणिराज सिंह के बयानों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने इस तथ्य की गवाही दी कि मृतक मानसिक

और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा था।वास्तव में, जागृति विद्यालय द्वारा जारी किए गए 20.01.2013 प्रमाण पत्र में, विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय (उदा. पी-12), यह भी कहा गया कि मृतक 50 प्रतिशत आई. क्यू. के साथ एक मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चा था।

बी.

12.1.आयु के संबंध में, उपरोक्त प्रमाण पत्र (उदा. पी-12) के साथ-साथ सत्र 2009-10 के लिए उसी विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट (उदा. पी-13) और सरकारी प्राथमिक विद्यालय, गर्दियावास दोहिंदा से प्रमाण पत्र (पूर्व। पी-14), विचारण न्यायालय ने पाया कि मृतक के की जन्म तिथि 09.07.2005 थी और इसलिए, घटना की तारीख को उसकी उम्र लगभग साढ़े सात साल थी, यानी 17.01.2013। विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि गवाहों ने अपने अनुमान में केवल 8 साल की उम्र बताई।

सी.

डी.

12.2.इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय मृतक की आयु साढ़े सात वर्ष थी और वह 70 प्रतिशत शारीरिक अक्षमता से पीड़ित थी और मानसिक रूप से भी मंदबुद्धि थी।

मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था

ई.

13. इसके बाद विचारण न्यायालय ने मृतक लड़की के अपहरण के सवाल पर विचार किया और पीडब्लू-1 कमला, पीडब्लू-2 धरम दास, पीडब्लू-3 मदन लाल, पीडब्लू-17 दिनेश भाटिया के साथ-साथ पीडब्लू-12 रंजीत सिंह और पीडब्लू-5 मणिराज की गवाही का हवाला दिया और कहा कि इन तथ्यों से साबित होता है कि अपीलार्थी ने मृतक को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से उसके माता-पिता के वैध संरक्षण से अपहरण कर लिया था और यह कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।

एफ.

अपीलार्थी की जानकारी पर खोज

14. परिस्थितियों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हुए, विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-2 धरम दास और पीडब्लू-3 मदन लाल के बयानों से निकले तथ्यों का उल्लेख किया किक) अपीलार्थी लगभग 2 बजे पाया गया:00 ए. एम. बस स्टैंड पर खून से सने कपड़ों के साथ;ख) अपीलार्थी ने खुलासा किया कि पीड़ित का शव कमल तलाई में पड़ा था; और ग) अपीलार्थी ने कमल तलाई में शव बरामद किया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के संबंध में पीडब्लू-20 गणेश नाथ की गवाही का भी उल्लेख किया। पी-40)

जिसके बाद कमल तलाई में शव बरामद किया गया।इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने मूल तथ्यों को साबित किया कि अपीलार्थी को पीड़ित लड़की के अपहरण के लगभग साढ़े सात घंटे बाद गिरफ्तार किया गया था; उसके द्वारा पहने गए कपड़े खून से सने थे, जिन्हें जब्त कर सील कर दिया गया था; और उसकी गिरफ्तारी के लगभग डेढ़ घंटे बाद, अपीलार्थी के प्रकटीकरण और जानकारी पर पीड़ित लड़की का शव बरामद किया गया था।

बी.

15. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के कहने पर अन्य बरामदगी के तथ्य को भी साबित पाया जैसे कि उसके द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल और मृतक द्वारा पहनी गई फ्रॉक, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत स्थापित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि वसूली का स्थान ऐसा था कि यह केवल अपीलार्थी की जानकारी में था।

सी.

चिकित्सीय साक्ष्य

16. जहाँ तक पीड़ित लड़की के बलात्कार और हत्या के प्रश्नों का संबंध है, विचारण न्यायालय ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (उदा. पी-35) और पीडब्लू-14 डॉ. मंजू पुरोहित और पीडब्लू-21 डॉ. चेतना वैष्णव के बयान, विशेष रूप से चोटों की प्रकृति और उन्हें पैदा करने के तरीके पर विशेषज्ञ की राय और अन्य बातों के साथ, नीचे दिए गए हैं:-

डी.

"...उसकी विशेषज्ञ राय के अनुसार, 8 साल की मासूम लड़की के साथ बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से जबरन बलात्कार किया गया है और बलात्कार का विरोध करने पर उसके साथ अत्यधिक क्रूरता और निर्दयता से व्यवहार किया गया, जिसके कारण मृतक के व्यक्ति पर कई साधारण और गंभीर चोटें आईं और ऐसी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि मृतक की योनि टूट गई थी जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उसके साथ क्रूरता और निर्दयता से

बलात्कार किया गया था।गवाहों के उक्त बयानों की पुष्टि मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्शनी-पी35) द्वारा की गई।"

ई.

एफ.

एफएसएल की रिपोर्ट

17. ट्रायल कोर्ट ने नमूनों के संग्रह और एफ. एस. एल. को उचित रूप से अग्रेषित करने के लिए रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों का भी उल्लेख किया। विचारण न्यायालय ने अपनी मृत बेटी के कपड़ों के संबंध में पीडब्लू-1 कमला के अतिरिक्त बयान सहित संबंधित साक्ष्य का भी उल्लेख किया।इसके बाद, विचारण न्यायालय ने एफ. एस. एल. रिपोर्ट (उदा. पी-51) जिसमें यह पाया गया कि व्यक्ति से एकत्र किए गए रक्त और मृतक के कपड़ों का डीएनए प्रोफाइल ए से मेल खाता है।

जी.

एच.

783

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

अपीलार्थी के कोट, पैंट और शर्ट के साथ-साथ मोटरसाइकिल पर पाए गए रक्त के डीएनए प्रोफाइल के साथ।साक्ष्य के इस महत्वपूर्ण टुकड़े द्वारा स्थापित तथ्य और उनसे अनुमानित निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा निम्नानुसार पाए गएः-

"इस प्रकार उक्त डी. एन. ए. परीक्षण से, कोट (प्रदर्शनी संख्या 1), पैंट (प्रदर्शनी संख्या 2) और शर्ट (प्रदर्शनी संख्या 3) और अभियोजक की पजामी (प्रदर्शनी संख्या 5) से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल, अभियुक्त की मोटरसाइकिल से लिया गया रक्त का नमूना (प्रदर्शनी संख्या 6), अभियोजक का फ्रॉक (प्रदर्शनी संख्या 8), अभियोजक की योनि का स्वाब (प्रदर्शनी संख्या No.12) और योनि स्मीयर (प्रदर्शनी संख्या No.13) अभियोजक से प्राप्त रक्त के नमूने के डी. एन. ए. प्रोफाइल (प्रदर्शनी संख्या <आई. डी.) के साथ मेल खा रहे हैं।अर्थात्, घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गए कोट, पैंट और शर्ट पर पाया गया रक्त, जो गिरफ्तारी के समय जब्त किया गया था और जो घटना के समय अभियुक्त द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल पर पाया गया था, अभियोजक के रक्त के नमूने के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खा रहा है।इस ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से, एकमात्र निष्कर्ष यह है कि अभियोजक को गुप्त रूप से और गलत तरीके से सीमित करने के इरादे से, केवल आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी।" (जोर दिया गया)

बी.

सी.

डी.

ई.

बचाव पक्ष की दलीलें खारिज

18. अपीलार्थी के इस दावे को कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था, विचारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने न तो अपने झूठे निहितार्थ का कोई कारण दिया और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को ऐसा कोई सुझाव दिया। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के वकील द्वारा अपीलार्थी की ओर से किए गए प्रत्येक निवेदन पर भी विचार किया और उसे खारिज कर दिया, जैसा कि नोटिस किया गया था।

एफ.

18.1.यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू-1 कमला के अनुसार, उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट देते समय अपीलार्थी का नाम नहीं बताया था।रिपोर्ट के समय और पीडब्लू-3 मदन लाल के बयान के संदर्भ में, विचारण न्यायालय ने पाया कि इस तरह का तर्क पूरी तरह से निराधार था और पीडब्लू-1 कमला के बयान में एक विशेष पंक्ति केवल शब्दों के अर्थ के बारे में उनकी अज्ञानता के कारण हुई थी।यह भी पाया गया कि रिपोर्ट में (उदा. पी-1), विवरण स्पष्ट रूप से बताए गए थे कि अपीलार्थी को वे पहले से जानते थे।एक और तर्क है कि मृतक के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने इस पर शोर नहीं मचाया

जी.

एच.

लड़की के अपहरण का समय भी मामले के तथ्यों और पीडब्लू-1 कमला के बयान के संदर्भ में आधारहीन पाया गया।यहां तक कि यह भी तर्क दिया गया कि प्राथमिकी कुछ देरी के बाद दर्ज की गई थी, लेकिन न्यायालय ने अपहरण के समय और पुलिस स्टेशन की दूरी के संदर्भ में पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में ऐसी कोई देरी नहीं हुई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि मोटरसाइकिल के रंग में विसंगति थी जैसा कि पीडब्लू-1 कमला (आकाश-नीला रंग) और जैसा कि पीडब्लू-17 दिनेश भाटिया (हरा रंग) ने कहा है।न्यायालय ने पाया कि बरामद मोटरसाइकिल हरे रंग की थी और उसी

पर मृतक के खून के धब्बे पाए गए थे।इस प्रकार, रंग की इस तरह की विसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।एक अन्य तर्क यह था कि गिरफ्तारी का स्थान एक्स में नहीं बताया गया था। पी-5। विचारण न्यायालय ने पाया कि गिरफ्तारी के स्थान का उल्लेख पुलिस स्टेशन कांकरोली के रूप में किया गया था और अभियोजन पक्ष के मामले के सार पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।इसी तरह, बचाव पक्ष की ओर से कुछ मामूली विरोधाभासों का सुझाव देने के प्रयासों, इस बारे में कि बच्चे के अपहरण के समय कितने व्यक्ति उपलब्ध थे या क्या उसने चप्पल पहनी थी या नहीं और यह तर्क कि मुख्य गवाह सभी इच्छुक व्यक्ति थे, को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें कोई सार नहीं था।इसके अलावा, जब्ती और बरामदगी आदि के गवाहों की उपस्थिति के बारे में उठाए जाने वाले सवाल भी निराधार पाए गए और खारिज कर दिए गए।एक तर्क यह भी उठाया गया कि शव की बरामदगी का स्थान, यानी कमल तलाई, सार्वजनिक मार्ग पर था जहाँ कोई भी शव को छोड़ सकता था। विचारण न्यायालय ने इस तर्क को भी इस तथ्य के संदर्भ में खारिज कर दिया कि घटना के तुरंत बाद, अपीलार्थी के कहने पर शव बरामद किया गया था और वह शव के स्थान के बारे में अपनी जानकारी का कोई अन्य कारण दिखाने में विफल रहा था।यह भी तर्क दिया गया कि मनोज का घर घटना स्थल के पास दिखाया गया था, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई और मोटरसाइकिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने पाया कि मनोज का इस मामले से दूर तक कोई संबंध नहीं था और न ही वह मोटरसाइकिल का मालिक था।यह भी देखा गया कि, किसी भी मामले में, जाँच में ऐसी छोटी-मोटी कमियों से अभियुक्त को कोई सहायता नहीं मिली।अपीलार्थी की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू-12 रंजीत सिंह ने मोटरसाइकिल का पंजीकरण संख्या नहीं बताया था; पीडब्लू-1 कमला के अनुसार, उन्हें लगभग 12 बजे पता चला:30 जिस रात अपीलार्थी पाया गया था लेकिन गिरफ्तारी का समय 2 बजे दिखाया गया था:00 ए. एम.; कि अपीलार्थी के शरीर पर घुटने पर एक के अलावा कोई अन्य चोट नहीं मिली; कि रक्त समूह स्थापित नहीं किया गया था; और पीडब्लू-25 उमेश ओझा ने मृतक की स्कर्ट का रंग पीले ए के साथ लाल बताया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

बिंदु लेकिन पीडब्लू-1 कमला ने कहा कि बिंदु सफेद रंग के थे। विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी परस्पर विरोधी दलीलों को देखा गया और खारिज कर दिया गया क्योंकि इनमें कोई सार नहीं था और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर कोई सामग्री नहीं थी।यहां तक कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाया गया था, लेकिन इस तर्क को विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के संदर्भ में खारिज कर दिया था। 18. 2। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों पर उपरोक्त विचार, विचारण न्यायालय में अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से दी गई व्यापक दलीलों की प्रकृति को इंगित करने के लिए है।जैसा कि बाद में देखा जाएगा, प्रत्येक अभियोजन पक्ष के गवाह की गहन प्रतिपरीक्षा के साथ यह विशेषता, विचारण न्यायालय में अपीलार्थी को उचित कानूनी सहायता की कमी के बारे में हमारे समक्ष आग्रह की गई दलीलों में से एक पर सामग्री से संबंधित है।

बी.

सी.

परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हुई

19. चूँकि बलात्कार और हत्या के अपराध का कोई गवाह नहीं था और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था, उपरोक्त चर्चा के बाद, विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को इस तरह से स्थापित करने में सफल रहा है कि उसके अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

डी.

"उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के आधार पर, अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के यह साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है कि पूर्व नियोजित आपराधिक मानसिकता वाले आरोपी ने शिकायतकर्ता कमला की साढ़े सात प्रतिशत मानसिक रूप से विकलांग, निर्दोष, असहाय, सौम्य विकलांग बेटी को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया, उसे उसके माता-पिता, दादा और चाचा की उपस्थिति में दिन की रोशनी में मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए मजबूर किया, उसकी प्राकृतिक असामान्यता, शारीरिक और मानसिक अक्षमता का अनुचित लाभ उठाते हुए और उसे खाने के सामान से लुभाते हुए, जिला राजसमंद के पुलिस स्टेशन कांकरोली के अधिकार क्षेत्र में आवास बोर्ड से; और उसे 50 फीट की दूरी पर श्मशान के पास एक सुनसान जगह पर ले गया।

ई.

उसके शरीर पर बहुत ही बर्बर तरीके से कई साधारण और गंभीर चोटें आईं।इसके अलावा, यह भी साबित होता है कि आरोपी ने भेदक यौन हमला करते समय मृतक को गंभीर चोट और शारीरिक नुकसान पहुँचाकर गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध किया था।

इसलिए, उपरोक्त पूरी चर्चा के बाद, अभियोजन पक्ष आरोपी मनोज प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 363,365,376 (2) (च), आई. पी. सी. की धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत लगाए गए अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल पाया गया है।इसलिए, आरोपी मनोज प्रताप सिंह को धारा 363,365,376 (2) (च), आई. पी. सी. की धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।" (जोर दिया गया) 20।इस प्रकार, अभिलेख पर साक्ष्य और आसपास के कारकों की समग्र सराहना में, विचारण न्यायालय संतुष्ट था कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक प्रमाणित किया था और तदनुसार, अपीलार्थी को धारा 363,365,376 (2) (च), आई. पी. सी. की धारा 302 और पी. ओ. सी. एस. ओ. की धारा 6 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया।

बी.

सी.

डी.

विचारण न्यायालय द्वारा मौत की सजा

ई.

21. उपरोक्त के रूप में दोषसिद्धि को दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने मामले को तीन स्पष्ट दिनों बाद, यानी 01.10.2013 पर लिया और सजा के सवाल पर दलीलें सुनीं। विचारण न्यायालय के समक्ष ज्वलंत सवाल साढ़े सात साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बड़े अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा के बारे में था।

एफ.

21.1.राज्य के लिए विद्वान लोक अभियोजक को सुनने के साथ-साथ अभियुक्त-अपीलार्थी के लिए विद्वान मित्र भी होने के कारण, विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान दिया और अभिलेख पर उत्तेजक कारकों की जांच की, विशेष रूप से अपराध की वीभत्स प्रकृति से संबंधित कारकों के साथ-साथ अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से पेश किए गए शमनकारी कारकों की भी जांच की कि यह उसका पहला अपराध था; कि वह 28 वर्ष का था; कि वह 8 वर्ष की बेटी के साथ एक विवाहित व्यक्ति था; और कि बूढ़े माता-पिता सहित उसका परिवार उस पर निर्भर था।सभी प्रासंगिक तथ्यों और कारकों की जांच करने के बाद, विचारण न्यायालय ने यह राय बनाई कि ए को देखते हुए एक उदार दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है।

जी.

एच.

787

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

अपराध की प्रकृति; और, मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी में लेते हुए, आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा देना उचित और उचित पाया गया। विचारण न्यायालय ने अन्य दंड भी दिए, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है।

21.2.इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में और मृत्युदंड देने के पक्ष में राय बनाने से पहले परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों की सराहना में विचारण न्यायालय की कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों को उपयोगी रूप से निकाला जा सकता हैः-

बी.

"यह सच है कि हत्या के अपराध में, आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मृत्युदंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत हो।इस बिंदु पर यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या उस अपराध में मौत की सजा देने के लिए कुछ असामान्य है जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है?अभियुक्त के पक्ष में सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के बाद भी, अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प न हो।सबसे गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। मृत्युदण्ड के विकल्प का चयन करने से पहले अपराध और अभियुक्त की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।जब किसी असहाय, निर्दोष लड़की की हत्या कर दी जाती है और आरोपी उस पर हावी होने की स्थिति में होता है, तो उसे मौत की सजा देना उचित होगा।एक न्यायाधीश को

गंभीर अपराधों के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई सजा के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आनुपातिक और उचित सजा को विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक निर्धारित करना चाहिए।यदि बिना किसी उकसावे के और शांत दिमाग के साथ, एक लड़की का अपहरण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और हत्या इतनी जघन्य है जो न केवल न्यायिक संवेदनशीलता को आहत करती है बल्कि समाज की शुद्ध अंतरात्मा को भी झकझोर देती है, तो ऐसे मामले में मौत की सजा ही एकमात्र न्याय होगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

***

***

***

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य, ठोस, निर्णायक, निर्विवाद साक्ष्य के साथ स्पष्ट रूप से साबित किया है कि 17.01.2013 पर लगभग 6 बजे:30 दोपहर में, आरोपी मनोज प्रताप सिंह पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह, जाति राजपूत, 28 वर्ष की आयु, बसंतपुर निवासी, पुलिस

एच.

स्टेशन गुगली, जिला महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) ने साढ़े सात साल की एक 70 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग, मंदबुद्धि, असहाय, कमजोर लड़की का उसके माता-पिता की अनुमति के बिना दिन की रोशनी में अपहरण कर लिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसके साथ क्रूर तरीके से बलात्कार किया।बलात्कार के दौरान, आरोपी ने क्रूर तरीके से उस असहाय मासूम लड़की के शरीर पर कई साधारण और गंभीर चोटें पहुंचाईं।मेडिकल ज्यूरिस्ट के मौखिक साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें (प्रदर्शनी पी -35) मृतक के शरीर पर शव पाए गए।मृतक

के सिर, कान, जबड़े, गाल, गर्दन के आसपास, दोनों कंधों, छाती, पीठ, नाभि के नीचे, जांघों और घुटनों पर कई खरोंच, चोट और घाव पाए गए।मृतक की योनि के हाइमेन में टूटने के हाल के संकेत पाए गए थे; मृतक की योनि के दो तिहाई निचले हिस्से और पीछे और पार्श्व भाग पूरी तरह से फटे हुए पाए गए थे; मृतक की योनि और गुदा के बीच की बाहरी त्वचा पूरी तरह से फटी हुई थी; और योनि के चारों ओर रक्त के थक्के पाए गए थे।मृतक की आंतरिक जांच में, सिर पर लगी चोटों के कारण उसके सामने के पश्चक और गति पार्श्विक क्षेत्रों में कई फ्रैक्चर पाए गए।न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, चिकित्सा न्यायविद डॉ. मंजू पुरोहित (पीडब्लू-14) ने अपनी विशेषज्ञ राय निम्नानुसार व्यक्त की हैः-

बी.

सी.

डी.

ई.

"मेरी विशेषज्ञ राय के अनुसार, एक 8 साल की मासूम लड़की के साथ जबरन, क्रूर और जघन्य बलात्कार किया गया था और मृतक ने बलात्कार का विरोध किया और जिसने भी उसके साथ बलात्कार किया, उसने बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से व्यवहार किया था, जिसके कारण मृतक के शरीर पर विभिन्न सरल और गंभीर चोटें लगी थीं और उसने अपने शरीर पर पाए गए घावों के कारण दम तोड़ दिया था।मृतक की योनि फटी हुई हालत में पाई गई थी, एकमात्र अनुमान यह है कि उसके साथ जघन्य और क्रूर तरीके से बलात्कार किया गया था।

एफ.

अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है।भले ही अभियुक्त के इन बयानों को इस तर्क के लिए सच माना जाए कि वह विवाहित है और 8 साल की बेटी का पिता है और वह अपने बूढ़े माता-पिता का इकलौता बेटा है, तो भी, ऐसी परिस्थितियों के आधार पर वह उदार दृष्टिकोण या सहानुभूति का हकदार नहीं है।बल्कि हाथ में मामले में, ऐसी कोई परिस्थितियाँ अभियुक्त ए के पक्ष में मौजूद नहीं हैं

जी.

एच.

जिसके आधार पर आरोपित अपराध के लिए सजा का आदेश पारित करते समय उसके प्रति सहानुभूति या नरमी रखना उचित होगा।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरी विनम्र राय में, आरोपी ने बिना किसी उकसावे के ठंडे दिमाग से जानबूझकर उसका अपहरण करने के बाद एक सुनसान जगह पर मृतक के साथ क्रूरता और क्रूरता से बलात्कार किया।इसके बाद, उसी क्रम में, मृतक के शरीर पर बहुत ही अमानवीय, निर्दयी और जघन्य तरीके से चोटों से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।मानवता के खिलाफ अभियुक्त का कार्य सबसे कम, चरम, सबसे क्रूर, निर्दयी और जघन्य हत्या के मामले के लिए दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के दायरे में आता है, जिसके लिए न्याय प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को मौत की सजा देना अनिवार्य है।"

बी.

सी.

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की

डी.

22. जैसा कि देखा गया है, यह मामला दो मामलों पर उच्च न्यायालय के समक्ष आया, अर्थात्।, पुष्टि के लिए प्रस्तुत मौत की सजा और अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर रखी गई सामग्री की पुनः सराहना की और अपने सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश में अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसे मौत की सजा देने के विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

ई.

23. उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 कमला के बयान की जांच की, जिसकी पुष्टि पीडब्लू-2 धरम दास, पीडब्लू-3 मदन लाल और पीडब्लू-5 मणिराज सिंह ने की थी, यह नोट करने के लिए कि अपीलार्थी फल और सब्जी स्टैंड पर आया और मृतक को अपनी मोटरसाइकिल पर सोमनाथ चौराहा की ओर ले गया; और यह कि इलाके में लोगों द्वारा मोटरसाइकिल का पीछा करने के बावजूद, अपीलार्थी का पता नहीं चल सका।

एफ.

23.1.उच्च न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू-6 खेम चंद ने पूर्व को विधिवत साबित किया था। पी-3 (घटना स्थल और स्थल मानचित्र के निरीक्षण का ज्ञापन) और एक्स। पी-8 (मृतक के शव का पंचायतनामा); और यह कि वह पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साथ था जब मृतक का शव अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान के अनुसार बरामद किया गया था, जो उन्हें शव के स्थान पर ले गया था।

अपीलार्थी द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल और अन्य वस्तुओं की बरामदगी का तथ्य भी पीडब्लू-7 कुलदिप सिंह और पीडब्लू-8 अजय सिंह के बयानों से साबित हुआ।

जी.

एच.

790

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

23.2.उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-14 डॉ. मंजू पुरोहित, पीडब्लू-15 डॉ. कैलाश चंद और पीडब्लू-21 डॉ. चेतना वैष्णव के बलों के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स. पी-35) यह पता लगाने के लिए कि बलात्कार और हत्या के अपराधों के समय मृतक को बड़ी क्रूरता का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए. जांच पर एफ. एस. एल. की रिपोर्ट की जांच की। पी-51) यह पता लगाने के लिए कि अपीलार्थी से बरामद वस्तुओं पर रक्त के नमूने मृतक से लिए गए रक्त के नमूनों से मेल खाते हैं।इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

बी.

"डी. एन. ए. रिपोर्ट, जो अभिलेख पर एक्स. पी. 51 है, से पता चलता है कि महिला प्रोफ़ाइल का वही डी. एन. ए., अर्थात् मृतक का, एक्स. 1 कोट, एक्स. 2 पैंट, एक्स. 3 शर्ट, एक्स. 4 अंडरवियर से प्राप्त किया गया था।यह भी ध्यान देने योग्य है कि जांच अधिकारी का बयान है कि जब आरोपी को पकड़ा गया था तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उन्हें डी. एन. ए. जांच के लिए भेजा गया था।ऐसी स्थिति में रक्त समूह का मिलान सार्थक हो जाता है।आपत्तिजनक वस्तुएँ, अर्थात् कपड़े और रक्त समूह का मिलान एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता को दर्शाती है।"

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 24।इस प्रकार अभिलेख पर साक्ष्य की जांच और विश्लेषण करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष किसी भी अन्य परिकल्पना को खारिज करते हुए अपीलार्थी को अपराध से निर्णायक रूप से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है।उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों और निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दियाः-

ई.

"21. सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि जो परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं वे हैं:कि अपीलार्थी को मृतक को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा गया था; कि अपीलार्थी ने मृतक के शव की खोज की थी, वह स्थान जहाँ उसने अपनी मोटरसाइकिल रखी थी जिस पर मृतक के खून के धब्बे थे; उसके कहने पर खून से सना पत्थर बरामद किया गया था; कि चिकित्सा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है

एफ.

जी.

9 ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह धारणा जुटाई है कि अपीलार्थी के कहने पर दिनांकित ज्ञापन के संदर्भ में कुछ 'पत्थर' बरामद किया गया था। पी-23) और पीडब्लू-7, कुलदिप सिंह और पीडब्लू-8, अजय सिंह और पीडब्लू-25, उमेश ओझा के बयान, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि आरोपी-अपीलार्थी ने घटना की जगह और पत्थर से कठोर बजरीदार सतह दिखाई थी, जिस पर उसने बलात्कार करते समय पीड़िता का सिर तोड़ दिया था।ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई 'पत्थर' बरामद और जब्त किया गया था।हालाँकि, यह पहलू पदार्थ के सार पर असर डालने वाली सामग्री का नहीं है।

एच.

791

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

मृतक के शरीर पर लगी चोटों के बारे में; कि निजी अंगों पर लगी चोटों को डॉक्टर द्वारा जबरन यौन संभोग के कारण बताया गया है; कि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट आरोपी को अपराध से जोड़ती है; कि अपीलार्थी ने अपने कहने पर की गई बरामदगी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है; एक गंजे बयान के अलावा कि वह दोषी नहीं था, आरोपी के पास अभियोजन पक्ष के गवाह को बदनाम करने या अपनी बेगुनाही स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है:और यह कि धारा 313 Cr.P.C के तहत उनकी जाँच में कुछ भी नहीं कहा गया है कि उन्हें विचाराधीन अपराध में फंसाने का कोई उचित कारण था।इस प्रकार, हम पाते हैं कि प्रत्येक दोषपूर्ण परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है और घटनाओं की श्रृंखला किसी भी अन्य प्रकार की परिकल्पना को बाहर करने के लिए प्रकृति में निर्णायक है, लेकिन एक को साबित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, और एक निश्चित निष्कर्ष पर ले जाता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था।22. इसलिए, चुनौती के तहत फैसले में कोई कमजोरी नहीं पाते हुए, हम विद्वत परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि करते हैं और आरोपी मनोज प्रताप सिंह द्वारा विद्वान अपील को खारिज करते हैं।

बी.

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 25।अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने के बाद, उच्च न्यायालय इस सवाल पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

ई.

25.1.उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है; कि अपीलार्थी के पक्ष में काम करने वाली कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए; और सजा के संबंध में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि अपराध करने के समय वह 28 वर्ष का था और उसका परिवार एक नाबालिग बेटी, उसकी पत्नी और उसके पिता पर निर्भर था।

एफ.

25.2.उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रमुख निर्णयों पर ध्यान दिया जिसमें इस न्यायालय ने सजा के मामलों में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट किया है, विशेष रूप से उन अपराधों से संबंधित जहां मौत की सजा भी दी जा सकती है।उच्च न्यायालय ने 8 वर्ष से कम आयु की और शारीरिक और मानसिक अक्षमता से पीड़ित एक युवा लड़की के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध से जुड़े वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलार्थी की ओर से करुणा का कोई तत्व नहीं था, जिसने बेरहमी से बलात्कार किया था

जी.

एच.

बच्चा और उसका सिर तोड़ दिया; और यह कि अपराध की क्रूर प्रकृति के साथ अपीलार्थी के आचरण में किसी भी तरह की नरमी की आवश्यकता नहीं थी।उच्च न्यायालय ने आगे अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उसके एक युवा व्यक्ति होने और समर्थन करने के लिए एक परिवार होने के बारे में की गई दलीलों पर ध्यान दिया, लेकिन कहा कि ये इस मामले में कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं जो न्यायालय और समुदाय की अंतरात्मा को हतोत्साहित करती हैं।इसलिए, उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में आ रहा है और अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः- "32. हाथ में मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा की तुलना में कम सजा देने के लिए कोई उत्तेजक परिस्थितियाँ (एस. आई. सी.) या कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं।आरोपी ने 8

साल की एक युवा लड़की को चॉकलेट देने के बाद, जिसे न केवल 70 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता थी, बल्कि 50 प्रतिशत का आई. क्यू. भी था, उसका अपहरण कर लिया और उसे मोटरसाइकिल पर ले गया।इसके बाद, उसने न केवल उसके साथ बेरहमी से बलात्कार करने का एक जघन्य अपराध किया, बल्कि उसके सिर पर मोटरसाइकिल के साइलेंसर के साथ-साथ उसके पत्थर से भी मारा, जिससे उसकी मौत हो गई।पोस्टमॉर्टम कराने वाले डॉक्टर द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि युवा मृतक ने बलात्कार का विरोध करने की कोशिश की लेकिन कोई करुणा नहीं दिखाई गई।अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई याचिका में कहा गया है कि नरमी दिखाई जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्त एक परिवार के साथ एक युवा व्यक्ति था, इसे एक शमनकारी परिस्थिति नहीं कहा जा सकता है।आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से बलात्कार करने के बाद, उसके सिर को मोटरसाइकिल से मारा और फिर उसके सिर को तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया और उसी रात भागने की कोशिश की।एक असहाय युवा लड़की के साथ क्रूर बलात्कार के जघन्य अपराध के बाद एक निर्मम हत्या और उक्त घटना को छिपाने का सुनियोजित प्रयास इस न्यायालय और समुदाय की अंतरात्मा को झकझोर देता है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में उल्लिखित तय किए गए सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखता है।हमारी राय में, सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

33. इसलिए, राजस्थान राज्य द्वारा पसंद किए गए डी. बी. आपराधिक हत्या संदर्भ No.3/2013 को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक ए द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने की अनुमति है।

एच.

28.9.2013.मृत्युदंड की पुष्टि हो जाती है।अभियुक्त अपीलार्थी मनोज प्रताप सिंह द्वारा दायर डी. बी. आपराधिक जेल अपील सं. 854/2013 को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(जोर दिया गया)

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

बी.

26. उपरोक्त निर्णय और आदेश का दावा करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. सिराजुद्दीन ने जाँच की प्रक्रिया के साथ-साथ मुकदमे के संचालन के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए कई तरह की दलीलें प्रस्तुत की हैं और जोर देकर कहा है कि अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए उचित और पर्याप्त अवसर से वंचित विद्वान गया था।विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में दोष या कमियों को खोजने का भी प्रयास किया है; प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा यह था कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक कमजोर श्रृंखला पर आधारित है और अपीलार्थी 'अवशिष्ट संदेह' के लाभ का हकदार है।विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी को दी गई सजा पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि कई कम करने वाले कारकों को देखते हुए उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा।26.1.अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि इस मामले में जाँच निष्पक्ष नहीं रही थी और इस दलील के साथ जाँच पर सवाल उठाए हैं कि बस स्टैंड पर अपीलार्थी को खोजने के बाद, पुलिस मृतक के पिता (पीडब्लू-2) के साथ उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले गई, उसका इकबालिया बयान दर्ज किया और उसके बाद उसे उस स्थान पर ले गई जहाँ मृतक का शव मिला था, न कि उससे मृतक के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए। इसके अलावा, अन्य मामलों के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ साक्ष्य का असामान्य संग्रह और अपराध करने के तरीके के बारे में डॉक्टरों की व्यक्तिगत राय पर अत्यधिक निर्भरता, यह स्थापित करती है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी, जहां अंतिम रिपोर्ट अपीलार्थी की गिरफ्तारी के 12 दिनों के भीतर, डीएनए रिपोर्ट प्राप्त करने से पहले ही प्रस्तुत की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

26.2.विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि मुकदमा जल्दबाजी में चलाया गया था, जहां अपीलार्थी को आरोपों का सामना करने की तैयारी के लिए उचित समय नहीं दिया गया था और अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन के उद्देश्य से कम से कम दो महीने का समय दिया जाना चाहिए था।यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को गिरफ्तारी के बाद अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का अवसर नहीं दिया गया था और न ही उसे अपनी पसंद के वकील को शामिल करने का उचित

अवसर दिया गया था, जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत गारंटीकृत अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो गया था।

जी.

एच.

794

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

भारत का संविधान।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कानूनी सहायता में एक अनुभवहीन वकील नियुक्त किया गया था, जो मुकदमे में अपने बचाव का एक बेहतर संस्करण तैयार करने के लिए जेल में अपीलार्थी के साथ कोई बैठक या चर्चा करने में विफल रहा; और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह का तरीका वकील की तैयारी के अभाव और बचाव करने में उसकी अनुभवहीनता को दर्शाता है।

बी.

26.3.परिस्थितियों की श्रृंखला के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्षों का दावा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कुछ पहलुओं का उल्लेख विद्वान है, जो उनके अनुसार, अभियोजन मामले में कमियों और खामियों को दर्शाते हैं।इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले में शुरू में दायर लापता व्यक्ति की रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम उल्लेख नहीं किया गया था, जैसा कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 द्वारा स्वीकार किया गया था, हालांकि अपीलार्थी पीड़ित के परिवार को जानता था; और उक्त प्रारंभिक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ये कारक अपीलार्थी के दोषी नहीं होने की संभावना को जन्म देते हैं।विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि डॉक्टरों पीडब्लू-14, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-21 ने अपने बयानों में "क्रूर" और "अमानवीय" अभिव्यक्तियों का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया, हालांकि उनसे केवल शरीर पर पाई गई चोटों की प्रकृति और हथियार/वस्तु के कारण होने वाली चोटों के बारे में गवाही देने की उम्मीद की गई थी।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पीड़ित के शरीर पर और योनि के स्वाब में भी वीर्य की अनुपस्थिति इस मामले में बलात्कार के सिद्धांत के खिलाफ काम करती है।फिर भी, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चश्मदीद गवाहों सहित कई गवाहों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, घटना के समय बारिश, बूंदा-बांदी और तूफान था और अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को खुली जगह में रखा गया था।ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल की धातु की सतह पर खून के धब्बे रहने की संभावना भी दुर्लभ है।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि लड़की मानसिक रूप से मंदबुद्धि थी; कि गवाहों ने केवल यह बयान दिया है कि वह कमजोर दिमाग वाली थी और यहां तक कि उसकी

मानसिक क्षमता को साबित करने के लिए स्कूल से जारी प्रमाण पत्र पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्ति की कभी जांच नहीं की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

26.3.1.अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, उपरोक्त कारक व्यक्तिगत रूप से और संचयी रूप से इस स्थिति की ओर ले जाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों की कमजोर श्रृंखला का मामला है और अपीलार्थी का दोषसिद्धि अस्थिर बनी हुई है।

जी.

26.4.पुनः, इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति के संदर्भ में और इसे परिस्थितियों की कमजोर श्रृंखला का मामला बताते हुए, ए

एच.

795

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि किसी भी मामले में और किसी भी दर पर, अपराध करने में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में अवशिष्ट संदेह बना रहता है और वह इसके लाभ का हकदार है।26.4.1.प्रस्तुतियों की इस पंक्ति में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क देने का भी प्रयास विद्वान है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें सिर पर चोट के अलावा केवल चोट और खरोंच थीं; और पीडब्लू-21 के अभिसाक्ष्य के संदर्भ में कि मृत्यु बलात्कार के परिणामस्वरूप हुई हो सकती है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु का कारण अपीलार्थी का इरादा नहीं था।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, केवल कार्य के परिणाम के ज्ञान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन क्रूर तरीके से अपराध करने के इरादे की पूर्ण निश्चितता के बारे में अवशिष्ट संदेह मौजूद है।

बी.

सी.

26.5.विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि बलात्कार के अपराध के आरोपी को पॉक्सो की धारा 42 के अनुसार पॉक्सो और आईपीसी दोनों के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह केवल

किसी एक अधिनियम के तहत ही हो सकता है कि न्यायालय उसमें प्रदान की गई अधिकतम सजा दे सकता है और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो की धारा 6 के तहत अपराध के लिए दी गई आजीवन कारावास की सजा कानून में टिकाऊ नहीं है।27. जहां तक सजा के सवाल का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि जब आरोप उचित संदेह से परे साबित होता है, लेकिन पूर्ण सबूत के बजाय कुछ परिस्थितियों पर आधारित होता है, तो अवशिष्ट संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए और मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, भले ही यह मामला किसी भी तरह से दोषसिद्धि का वारंट करता हो, यह मौत की सजा का वारंट नहीं करता है क्योंकि यह एक दुर्लभ मामला हो सकता है, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

27.1.अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कम करने वाले कारकों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी समाज के लिए खतरा बन गया है या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है।यह भी रेखांकित किया गया है कि जब अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तब उसकी आयु लगभग 28 वर्ष थी; कि वह एक गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है; और यह कि उसका परिवार पत्नी, 8 वर्षीय बेटी और 70 वर्षीय पिता के साथ है जिनकी देखभाल करनी है।इन कारकों और समग्र परिस्थितियों के संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि अपीलार्थी मृत्यु के योग्य नहीं है और इस मामले में दी गई सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

27.2.अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मृत्युदंड के खिलाफ अपनी याचिका के समर्थन में इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख किया है जिसमें मृत्युदंड को बदल दिया गया था/अन्य सजा में परिवर्तित कर दिया गया था।

विरान ज्ञानलाल राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य सहितः**(2019) 2** एस. सी. सी. **311;** बाबासाहेब मारुति कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्यः**(2019) 13** एस. सी. सी. **640;** नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्यः**(2019) 16** एससीसी **278;** और केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम सक्रू महागु बिनजेवार और अन्यः**(2019) 20** एससीसी **102**।

बी.

28. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने अभिलेख पर साक्ष्य और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का विधिवत विरोध विद्वान है।

सी.

28.1.प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में आवश्यक विवरणों पर उचित ध्यान देने के साथ जांच की गई है और मामले के सार को प्रभावित करने वाली कोई कमी नहीं थी।मुकदमे में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और अभियुक्त-अपीलार्थी को अपना बचाव करने के अवसर के प्रश्नों के संबंध में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने कभी भी अपनी पसंद का वकील नहीं माँगा और यह कानूनी सहायता के माध्यम से था कि एक बचाव वकील नियुक्त किया गया था, जिसके पास लगभग 9 वर्षों का पर्याप्त अनुभव था। इसके अलावा, इस प्रकार नियुक्त वकील ने अपनी क्षमता के अनुसार गवाहों पर मुकदमा चलाने और उनसे पूछताछ करने के लिए गुणात्मक प्रयास किए, जो उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को उचित कानूनी सहायता और अपना बचाव करने के उचित अवसर से वंचित किया गया था।

डी.

ई.

28.2.प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि मृतक की माँ, पिता और नाना (क्रमशः पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय और निर्विवाद है और इसकी विधिवत पुष्टि पीडब्लू-5 मणिराज सिंह, पीडब्लू-12 रंजीत सिंह और पीडब्लू-17 दिनेश भाटिया द्वारा की जाती है, जो प्रासंगिक तथ्यों के स्वतंत्र गवाह थे, विशेष रूप से जो पीड़ित लड़की के उसके माता-पिता की वेंडिंग कार्ट से अपहरण से संबंधित थे।इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह तथ्य कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, किसी भी संदेह से परे स्थापित होता है।इस तर्क के संबंध में कि लापता व्यक्ति की रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम उल्लेख नहीं किया गया था, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यह तर्क सही नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ए का नाम सही नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

797

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

वास्तव में लापता रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था (उदा। पी-1) 8 पर पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज किया गया:15 यद्यपि इसका उल्लेख "मनोज प्रताप सिंह" के स्थान पर "मनोज सिंह" के रूप में किया गया था; और एफ. आई. आर. (एक्स. पी-2), जिसे उक्त रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया था, में भी अपीलार्थी का नाम है।प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करेंगे कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के माध्यम से, यानी, Exs। पी-11, पी-12 और पी-13 और पीडब्लू-18 डॉ. नरेंद्र पालीवाल के साक्ष्य से यह संदेह से परे साबित होता है कि मृतक मानसिक और शारीरिक रूप से वंचित बच्चा था, जो स्पास्टिक पाल्सी, यानी मांसपेशियों और जोड़ों की अनियंत्रित गति से भी पीड़ित था।28.3.प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ex. पी -35) और प्रस्तुत किया है कि इस तरह की चोटें किसी भी संदेह से परे साबित करती हैं कि मृतक का क्रूर बलात्कार किया गया था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जैसा कि मृतक के सिर के पश्च और पार्श्व क्षेत्र पर चोटों से ध्यान देने योग्य है और जैसा कि मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि उसकी मृत्यु उसके सिर पर चोटों के कारण हुई थी।विद्वान अधिवक्ता ने डी. एन. ए. परीक्षा पर एफ. एस. एल. की रिपोर्ट पर भी दृढ़ता से भरोसा किया है। पी -51) यह प्रस्तुत करना कि मृतक के शरीर से लिए गए रक्त के नमूने का डी. एन. ए. प्रोफाइल का अपीलार्थी के कपड़ों से लिए गए रक्त के नमूनों के साथ और अपराध में उपयोग की गई मोटरसाइकिल से लिए गए रक्त के नमूनों के साथ मिलान एक ऐसा ठोस सबूत है जो संदेह करने के लिए कुछ नहीं छोड़ता है कि मृतक के क्रूर बलात्कार और हत्या का श्रेय केवल अपीलार्थी को दिया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

29. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) की आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की तारीख और मौत की सजा देने की तारीख के बीच 3 दिनों का पर्याप्त समय अंतराल देखा गया था, जो भी अपीलार्थी को विधिवत सुनने के बाद, सभी भौतिक कारकों और

परिस्थितियों की विधिवत सराहना करने और विशेष कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद ही दिया गया था जो वर्तमान मामले को दुर्लभतम श्रेणी में ले जाते हैं।

एफ.

29.1.प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस मामले की भयावह परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि पीड़ित एक कमजोर दिमाग वाली और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की थी और जब अपीलार्थी पीड़ित को जानता था, तो विश्वासघात का एक तत्व था।विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य का भी उल्लेख करेगा कि पीड़ित लड़की को पहले चॉकलेट देने का लालच दिया गया था, यह प्रस्तुत करने के लिए कि अपीलार्थी की पूरी कार्यप्रणाली पूर्व-नियोजित थी।

जी.

एच.

जिससे असहाय लड़की के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या हो गई।विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि पीड़ित के निजी अंगों पर व्यापक चोटें सबसे शैतानी और बर्बर तरीके से लगी थीं, जो अपराध की भयावह प्रकृति को दर्शाती हैं; और चिकित्सा विशेषज्ञ साक्ष्य ने स्थापित किया है कि मृतक की मृत्यु उसके सिर पर लगी चोटों के कारण हुई थी।इस प्रकार, अपीलार्थी ने न केवल भयानक तरीके से बलात्कार किया, बल्कि पीड़ित का सिर बेरहमी से तोड़कर उसकी हत्या कर दी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस मामले के तथ्यों पर, अपीलार्थी की ओर से निर्दिष्ट परिस्थितियों को अपीलार्थी द्वारा किए गए बढ़े हुए अपराध को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए शायद ही कहा जा सकता है।इस प्रकार, इस मामले में कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं और अपराध की प्रकृति ऐसी है कि यह समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देती है और सभ्यता की नींव को हिला देती है; और इस मामले में, मौत की सजा देना अत्यधिक उचित है।

बी.

सी.

29.2.प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मृत्युदंड से संबंधित प्रश्न और उस संबंध में न्यायालयों द्वारा विकसित सिद्धांतों के संबंध में विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है, जिसमें विशेष कारणों की आवश्यकता और दुर्लभतम सिद्धांत शामिल हैं, जैसा कि स्पष्ट किया गया है।

डी.

बचन सिंघव के मामले में।पंजाब राज्यः(1980) 2 एससीसी 684;

जैसा कि माची सिंह और अन्य के मामले में समझाया गया है, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की तुलनपत्र की आवश्यकता।पंजाब राज्यः**(1983) 3** एस. सी. सी. **470** और अपराध और आपराधिक परीक्षण,

ई.

जैसा कि संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम राज्य

महाराष्ट्रः(2009) 6 एससीसी 498।

29.3.'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत का आह्वान करते हुए अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए तर्कों के संबंध में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए 'उचित संदेह से परे सबूत' की आवश्यकता को मान्यता देता है; और कोई भी स्थायी संदेह आरोपी को 'संदेह के लाभ' की ओर ले जाता है। अतः अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उचित संदेह से परे सबूत की ऐसी कड़ी आवश्यकताओं के बावजूद, दोषी पाए जाने और आरोपी को परिणामी रूप से दोषी ठहराए जाने के बाद किसी भी 'अवशिष्ट संदेह' के लिए कोई जगह नहीं है।विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 'अवशिष्ट संदेह' की अवधारणा हमारे देश में लागू नहीं पाई गई है; और इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है।

एफ.

जी.

शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्यः(2021) 1

एससीसी **596**।

एच.

799

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

29.4.वर्तमान मामले में मृत्युदंड का समर्थन करते हुए, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान है कि बार-बार होने वाले अंतर्निहित सिद्धांत यह हैं कि एक लड़की के बलात्कार और हत्या के मामलों में, यदि मृत्यु केवल बलात्कार के कारण होती है, तो आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि बलात्कार के बाद हत्या का अलग कार्य विद्वान जाता है, तो मृत्युदंड दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में, जहां भीषण बलात्कार के अलावा, लड़की को

उसके सिर पर भयानक चोट पहुँचाकर मौत के घाट उतार दिया गया था।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान मामला समान है और उन मामलों के समान है जहां मौत की सजा दी गई है और इसे बनाए रखा गया है।इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से उल्लेख किया है

बी.

कामता तिवारी बनाम एम. पी. राज्य मामले में निर्णय के बारे में:(1996) 6 एस. सी. सी. 250 के साथ-साथ वसंत संपत डुपारे बनाम राज्य में दो विस्तृत निर्णय।

सी.

महाराष्ट्र में, जहां चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में, इस न्यायालय ने मुख्य अपीलों (2015) 1 एस. सी. सी. 253 के रूप में रिपोर्ट की गई) को खारिज करते हुए मौत की सजा की पुष्टि की थी और फिर, समीक्षा याचिकाओं को भी इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया था कि गंभीर परिस्थितियां कथित शमनकारी परिस्थितियों से अधिक थीं।

डी.

[(2017) 6 एस. सी. सी. 631] के रूप में रिपोर्ट किया गया।

29.5.प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी प्रस्तुत किया है कि यदि इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की जाती है, तो अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार, बिना किसी प्रकार की छूट के अपने शेष जीवन के लिए सलाखों के पीछे रहना चाहिए।

ई.

स्वामी श्रद्धानंद **(2)** बनाम कर्नाटक राज्य का मामला:**(2008)**

13 एससीसी 767।

30. अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति से संबंधित कारकों के अलावा, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में अन्य चौंका देने वाले तथ्यों की ओर इशारा किया है जो अपीलार्थी के आचरण को देखते हुए और अधिक भयावह परिस्थितियों का कारण बनते हैं। अपीलार्थी के दोषसिद्धि के बाद के आचरण के संबंध में ये परिस्थितियाँ निम्नानुसार बताई गई हैं:-

एफ.

" B. अपराधी की बिगड़ती परिस्थितियाँ

जी.

क) जेल में रहते हुए आपराधिक अपराध की सजा का संचालन (पत्थर से एक और हत्या की):

i) दिनांक 17.04.2015 पर बंदी ने वार्ड संख्या 10 में चिरागमुद्दीन के एक अन्य बंदी बेटे मेहराजुद्दीन के साथ झगड़ा किया था, जिसके बाद बंदी को 7 दिन की सजा सुनाई गई थी।

एच.

800

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

ii) दिनांक 20.02.2019 पर बंदी ने जेल में निर्मित उच्च सुरक्षा वार्ड (वार्ड संख्या 10) के टी. वी. कमरे में अन्य बंदियों के साथ टीवी देखने के कारण बंदी शकर उल्ला @मोहम्मद हनीफ के साथ झगड़ा विद्वान था और टीवी लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर से हमला करके बंदी की हत्या कर दी थी। बंदी सुरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे मनोज प्रताप सिंह को विशेष न्यायाधीश (सती की रोकथाम) और अतिरिक्त न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत। वह एक पुनरावृत्तिवादी है यानी हत्या करने वाला और समाज/जेल के कैदियों के लिए खतरनाक लोग साबित होता है।"

बी.

सी.

(मूल लिखित प्रस्तुतियों में रेखांकित करना) 30.1।मौखिक सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के दोषसिद्धि के बाद के आचरण से संबंधित उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू और परिस्थितियाँ पहले सामने नहीं आईं और उनकी प्रकृति और प्रभाव को देखते हुए, हमने मामले को 16.02.2022 पर निर्देश के लिए रखा और जेल में अपीलार्थी को अग्रिम प्रति प्रदान करते हुए संबंधित कार्यवाही/निर्णय के साथ सभी आवश्यक विवरण देते हुए राज्य के अधिकृत अधिकारी का एक शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता जताई।हमने अपीलार्थी को जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी।

डी.

30.2.उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, केंद्रीय जेल, जयपुर के अधीक्षक का एक हलफनामा विशेष न्यायाधीश (सती की रोकथाम) और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जयपुर महानगर की न्यायालय द्वारा 2019 के सत्र मामले संख्या 204 (2019 का 11) में पारित निर्णय और आदेश की प्रति के साथ दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी को केंद्रीय जेल, जयपुर के तीन अन्य कैदियों के साथ आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।यह दोषसिद्धि तब दर्ज की गई जब उक्त विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को

साबित कर दिया कि आरोपी व्यक्तियों (अपीलार्थी सहित) ने उच्च सुरक्षा वार्ड के एक अन्य कैदी, शकर उल्ला उर्फ मोहम्मद हनीफ, एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या की, जो सजा काट रहा था।

ई.

एफ.

जी.

30.3.अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त तथ्यों के जवाब में, उक्त निर्णय और दिनांक 10.01.2020 के आदेश के पैराग्राफ 40 का संदर्भ इस प्रस्तुतिकरण के साथ दिया गया है कि उक्त मामले में आरोप अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक समूह में किसी भी कार्य के थे; घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था; हथियार में ए का उपयोग किया गया था।

एच.

801

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

केवल एक पत्थर था; और अपीलार्थी की ओर से विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के बारे में कोई सबूत नहीं था।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय और दिनांक 10.01.2020 के आदेश पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी ने पहले ही इसके खिलाफ अपील दायर कर दी है, जो 2020 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 78 है, जो उच्च न्यायालय में लंबित है।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में उसकी संलिप्तता के इस तरह के आरोप को छोड़कर, अपीलार्थी का समग्र आचरण बिना किसी दोष के है; कि वह एक सुधार व्यक्ति है और समाज के लिए खतरा नहीं है।यह भी आग्रह किया गया है कि दी गई परिस्थितियों में, सजा के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अपीलार्थी के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का आदेश दिया जा सकता है।

बी.

सी.

31. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में पूरे रिकॉर्ड को स्कैन किया है।

इन अपीलों का दायरा और विस्तार

32. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस मामले में समवर्ती रूप से निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम रहा है जिससे एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी पीड़ित लड़की के अपहरण,

बलात्कार और हत्या के अपराधों का दोषी है।मूल तथ्य, जैसा कि अपीलार्थी के खिलाफ साबित किया गया है, यह है कि पीड़ित, साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की, को आखिरकार अपीलार्थी के साथ देखा गया जब उसने उसे लुभाया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया।दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि साबित हुआ है, यह है कि पीड़ित लड़की का शव, उसके कपड़े और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अपीलार्थी के कहने पर एक दूर के स्थान पर बरामद की गई थी।इन दो पहलुओं के साथ ये कारक भी हैं कि अपहरण की घटना के लगभग साढ़े सात घंटे बाद जब अपीलार्थी बस स्टैंड पर पाया गया तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और मोटरसाइकिल के शरीर पर भी खून के धब्बे पाए गए थे; और इन खून के धब्बों से प्राप्त डीएनए प्रोफ़ाइल पीड़ित लड़की के रक्त के नमूने के डीएनए प्रोफ़ाइल से मेल खाती है।इनके अलावा यह भी स्थिति थी कि अपीलार्थी अपने ठिकाने की व्याख्या करने में विफल रहा क्योंकि उसे आखिरी बार पीड़ित लड़की के साथ देखा गया था और साथ ही उसके मृत शरीर के स्थान के बारे में उसकी जानकारी के बारे में भी।इन तथ्यों और कारकों को, चिकित्सा साक्ष्यों के साथ एक साथ लिया जाता है कि पीड़ित लड़की के पूरे शरीर पर कई चोटें थीं, जिसमें उसके गुप्तांगों पर भीषण चोटें और उसके सिर पर भयानक चोटें शामिल थीं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

802

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

अपहरण, बलात्कार और हत्या के अपराधों के संबंध में अपीलार्थी के अपराध पर निष्कर्ष निकालने वाली परिस्थितियाँ।

33. जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि की ओर ले जाने वाले समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी गई है जैसे कि यह नियमित अपील का विषय था; और जैसे कि इसकी सामग्री और इसके आसपास के कारकों पर पूरे साक्ष्य की पुनः प्रशंसा को आमंत्रित करना। हालाँकि, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान एक विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों का मामला है।यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील में मामलों की जांच करने के मानदंड इस न्यायालय द्वारा

कई निर्णयों में बार-बार निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इस मामले में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम उपयोगी रूप से दोहरा सकते हैं कि निम्नलिखित मामलों में क्या देखा गया है।

बी.

सी.

पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्यःआपराधिक अपील सं. **1097** -

1098 2018 का निर्णय 09.02.2022 पर लिया गया, जिसका उल्लेख करने के बाद

भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 136 और उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के साथ-साथ कई प्रासंगिक निर्णयों के विस्तृत संदर्भ के साथ, इस न्यायालय ने एक नियमित अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे में सूक्ष्म लेकिन प्रासंगिक अंतर को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया हैः-

डी.

"20. ऊपर जो देखा गया है, उसके सारांश में, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय/अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 1970 के अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट संभावनाओं के संबंध में इस न्यायालय में नियमित अपील की परिकल्पना की गई है।वर्तमान मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है और वर्तमान अपीलें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में विशेष अनुमति द्वारा की जाती हैं।विशेष अनुमति द्वारा ऐसी अपील में, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना के बाद तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से वापस कर दिया है, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही ऐसी अपील को साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के लिए किसी अन्य मंच के रूप में निपटाया जा सकता है।बेशक, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि से दूषित कहा जा सकता है या

ई.

एफ.

जी.

10 प्रीतम सिंह बनाम राज्य के मामलों की तरहःए. आई. आर. **1950** एस. सी. **169;** रमणीकलाल

गोकलदास और ओआरएस. वी.गुजरात का राज्यः**(1976) 1** एस. सी. सी. **6;** श्रीमती दलबीर कौर और अन्य बनामपंजाब राज्यः**(1976) 4** एससीसी **158;** और हरि एंड एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश राज्यः

2018 की आपराधिक अपील संख्या **186** ने **26.11.2021** पर निर्णय लिया।

एच.

ए.

साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना करने से गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हो सकता है, यह न्यायालय और उचित मामलों में, न्याय की गंभीर या गंभीर विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ऐसा पाठ्यक्रम केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है।संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है।यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इन अपीलों का दायरा यह है कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश करेगा ताकि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया जा सके।"

बी.

सी.

34. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम जांच कर सकते हैं कि क्या समवर्ती निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं, यह दोहराते हुए कि साक्ष्य का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन इन अपीलों के दायरे में नहीं है, भले ही हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से उचित रूप से निपटने के लिए पूरे साक्ष्य को स्कैन किया हो।

डी.

जाँच और मुक़दमे से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रश्न

35. अभिलेख पर साक्ष्य से संबंधित दलीलों पर विचार करने से पहले, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से इस मामले में जांच और मुकदमे से संबंधित प्रश्नगत प्रक्रियात्मक पहलुओं को संबोधित करना उचित समझते हैं।

ई.

35.1.जाँच प्रक्रिया के खिलाफ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह की गई दलीलों को केवल खारिज किया गया है।घटनाओं के कालक्रम और जांच में उठाए गए कदमों में कोई संदेह नहीं है कि इस मामले के जांच अधिकारियों (एस. एच. ओ. पीडब्लू-20 गणेश नाथ और सर्कल अधिकारी पीडब्लू-25 उमेश ओझा) और अन्य पुलिस अधिकारियों ने वास्तव में अपने कर्तव्यों का व्यवस्थित रूप से निर्वहन किया है।जाँच में दोष या कमियों को खोजने के बजाय, हम केवल जाँच की गहनता की सराहना कर सकते हैं, जहाँ हर कदम उचित और समय पर उठाया गया था और सभी प्रासंगिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया गया था; और जहाँ सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ आरोप पत्र को तेजी से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

एफ.

जी.

35.2.अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 11 की धारा 27 के लिए संदर्भित जानकारी जैसा कि अपीलार्थी द्वारा 2 पर प्रस्तुत की गई है:30 ए. एम. 18.01.2013 को पी. डब्ल्यू.-20 गणेश नाथ (एक्स. पी-40)।इसके बाद, अपीलार्थी को उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ

11 इसके बाद इसे 'साक्ष्य अधिनियम' भी कहा जाता है।

एच.

अपीलार्थी द्वारा दी गई उक्त जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की का शव और वही बरामद किया गया था।अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद पीडब्लू-20 गणेश नाथ द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के खिलाफ विवाद में कोई सार नहीं है।इसी तरह, ऐसा कोई असामान्य तरीका प्रतीत नहीं होता है जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ अन्य मामलों के लिए साक्ष्य एकत्र किया गया हो।जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी के खिलाफ अन्य मामलों में से अंतिम मामला उसी मोटरसाइकिल की चोरी का था, जिसका उपयोग वर्तमान अपराध में किया गया था।जाँच प्रक्रिया के खिलाफ दलीलों के दूसरे सूत्र, डॉक्टरों की व्यक्तिगत राय पर भरोसा करने के बारे में, की सराहना करना बहुत मुश्किल है।मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों का कर्तव्य था कि वे अपनी राय दें, विशेष रूप से चोटों की प्रकृति और अवधि और मृत्यु के कारण के संबंध में।35.3.यह सुझाव कि गिरफ्तारी के 12 दिनों के भीतर और डीएनए रिपोर्ट प्राप्त किए बिना भी आरोप पत्र दायर किया गया था और अपीलार्थी को पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए था, जांच एजेंसी और ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय द्वारा त्वरित कार्यवाही की वांछनीयता के साथ टकराव में खड़ा है।कानून के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा, और गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी, किसी अभियुक्त व्यक्ति के साथ जांच की तेजी और त्वरित कार्यवाही पर सवाल उठाने या यह सुझाव देने के लिए कि उस पर उसकी पसंद की गति से मुकदमा चलाया जाना चाहिए, एक संबंधित अधिकार में विस्तारित नहीं होती है।यह बेतुका लगता है कि एक अभियुक्त केवल अभियोजन पक्ष और विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए वेग के कारण मुकदमे की कार्यवाही पर सवाल उठाएगा ताकि मुकदमे को जल्द से जल्द इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जा सके।अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए, हम बल्कि यह देखेंगे कि वर्तमान जैसे मामलों में अपेक्षित गति और गति, प्रति बल, जांच एजेंसी

और विचारण न्यायालय द्वारा भी अत्यधिक अभियान की आवश्यकता होती है।35.4.यह तर्क कि अपीलार्थी को अपने बचाव के अधिकार से वंचित किया गया था और उसे एक अनुभवहीन वकील की सेवाएं दी गई थीं, बहुत दूर तक फैला हुआ और बल्कि अनुचित है।इसके अलावा कि विचारण न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई शिकायत का सुझाव कभी नहीं दिया गया था, हम रिकॉर्ड से पाते हैं कि कानूनी सहायता वकील की नियुक्ति स्वयं अपीलार्थी के अनुरोध पर की गई थी और वास्तव में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के लिए वकील की नियुक्ति के बाद ही मामले को आगे बढ़ाया।अभिलेख के अवलोकन से आगे यह स्पष्ट होता है कि कानूनी सहायता वकील ने अपीलार्थी का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रत्येक गवाह से बारीक और मामूली विवरणों के लिए पूरी तरह से जिरह की।उन्होंने ए का चुनाव लड़ा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

805

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

अभियोजन पक्ष के प्रत्येक प्रस्ताव और यहां तक कि पीडब्लू-1 को वापस बुलाने के आवेदन (केवल मृतक के कपड़ों की पहचान के उद्देश्य से, जो बाद में एफएसएल से प्राप्त किए गए थे) का भी उसने जवाब दाखिल करके और यह तर्क देते हुए पूरी तरह से विरोध किया कि अभियोजन पक्ष उनके मामले में एक कमी को भरने का प्रयास कर रहा था।इससे पहले, हमने कानूनी सहायता वकील द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए व्यापक तर्कों का उल्लेख किया है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 28.09.2013 12 के फैसले में किया था।अभिलेख की जांच करने के बाद, हम कानूनी सहायता वकील द्वारा मामले के संचालन के खिलाफ इस अपील में की गई आलोचना को अनुचित और अनुचित पाते हैं।उक्त वकील ने वास्तव में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था और अपीलार्थी का पूरी तरह से बचाव किया था।जहां तक बचाव पक्ष के संबंध में, यह नहीं दिखाया गया है कि क्या अपीलार्थी ने कभी वकील को उसके साथ एक या अधिक बैठकें करने या बचाव पक्ष के किसी विशेष पक्ष के बारे में उससे चर्चा करने की अपनी इच्छा के बारे में सुझाव दिया है।हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उक्त कानूनी सहायता वकील की

नकारात्मक टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस अपील में इस तरह की दलीलों को उठाने की सराहना करना मुश्किल है; इन दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

तथ्य के समवर्ती निष्कर्षः क्या हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

36. अपीलार्थी के अपराध पर निष्कर्षों पर जोर देने वाली प्रस्तुतियों की ओर बढ़ते हुए, हम दोहरा सकते हैं कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम रहा है जिससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी पीड़ित लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के अपराधों का दोषी है।हालांकि, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन मामले में कुछ तथाकथित कमियों और खामियों को पेश करने का प्रयास किया है।इस तरह की दलीलों पर विचार करते समय, हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों पर उपयोगी रूप से ध्यान दे सकते हैं।

ई.

एफ.

36.1.के मामले में बताए गए और प्रतिपादित सिद्धांत

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्यः**(1984) 4** एससीसी

116 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाण के संबंध में न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने रहते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख किया है।:ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 ने निम्नलिखित अंशों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले को साबित करने के लिए पांच सुनहरे सिद्धांतों, पंचशील का अनुमान लगाया हैः-

जी.

एच.

12 पैराग्राफ 18.18.1 और 18.2 (ऊपर) के माध्यम से।

" 152 .....महाजन, जे. के पास जो कुछ है उसे निकालना उपयोगी हो सकता है।

हनुमंत मामले में निर्धारित किया गयाः

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

बी.

सी.

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

डी.

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं।"साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793] में अभिनिर्धारित किया गया था, जहां टिप्पणियां की गई थीं:

ई.

एफ.

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना

चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

जी.

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, ए

एच.

807

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

बी.

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

155. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक आपराधिक मामले में सबूत के तरीके के संबंध में, एक कार्पस अभियोग की अनुपस्थिति में, उसी के सबूत के रूप में कानून का बयान ग्रेसन, जे. (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई) द्वारा किंग बनाम हॉरी [1952 एन. जेड. एल. आर. 111] में इस प्रकार रखा गया थाः

सी.

"इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध को नैतिक रूप से सुनिश्चित करती हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती हैं:परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना ठोस और सम्मोहक होना चाहिए कि एक जूरी को यह समझाया जा सके कि हत्या के अलावा किसी भी तर्कसंगत परिकल्पना पर तथ्यों का हिसाब नहीं दिया जा सकता है।"

डी.

156. लॉर्ड गोडार्ड ने "नैतिक रूप से निश्चित" अभिव्यक्ति को "ऐसी परिस्थितियों से संशोधित किया जो अपराध को निश्चित बनाती हैं।"

ई.

157. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को इंगित करता है कि एक मामले को केवल तभी साबित किया जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य हो और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोषसिद्धि पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

एफ.

37. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों की जांच करते हैं, तो हम उसमें कुछ भी सार नहीं पाते हैं।

37.1.अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में दर्ज की गई पहली लापता व्यक्ति रिपोर्ट में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, जैसा कि पीडब्लू-1 कमला और पीडब्लू-3 मदन लाल ने स्वीकार किया है; और यह कि उक्त पहली रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। इस तर्क की जड़ें पीडब्लू-1 कमला द्वारा अपनी जिरह में दिए गए बयान में आने वाली अंतिम पंक्ति में हैं कि उसने एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं बताया गया था।इसका आधार भी हो सकता है

जी.

एच.

पीडब्लू-3 मदन लाल द्वारा अपनी जिरह में दिया गया बयान कि आरोपी मनोज प्रताप सिंह द्वारा बच्चे को ले जाने के बाद, वे पुलिस चौकी बंदियाबादा गए, जहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई।

37.1.1.हालाँकि, विवाद वास्तविकता के साथ-साथ तथ्यात्मक मैट्रिक्स से भी पूरी तरह से अलग है।यह लगातार कहा गया है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की का लगभग 6 बजे अपहरण कर लिया था:30 पीडब्लू-1 कमला के वेंडिंग कार्ट से पी. एम.सभी संबंधित गवाहों द्वारा यह साबित किया गया है कि अपीलार्थी का पीछा करने का प्रयास किया गया था लेकिन उसे रोका नहीं जा सका।हालाँकि पुलिस चौकी बंदियाबादा में लिखित रूप में ऐसी कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन भले ही यह माना जाए कि वे पहले उक्त पुलिस चौकी पर गए थे (जैसा कि पीडब्लू-3 ने कहा है), अब तक

अपीलार्थी का नाम देते हुए बच्चे का अपहरण करने वाले व्यक्ति का संबंध है, पीडब्लू-3 ने स्पष्ट किया था कि उसका नाम उन्हें पता था और पुलिस चौकी को भी दिया गया था।उक्त पुलिस चौकी पर कुछ रिपोर्ट के संदर्भ का अभियोजन मामले पर शायद ही कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि पीडब्लू-1 कमला द्वारा पीडब्लू-3 मदन लाल के साथ शिकायत के रूप में बताई गई जानकारी वास्तव में पीडब्लू-19 नंद लाल द्वारा 8 बजे लिखित रूप में दर्ज की गई थी:15 पुलिस स्टेशन में पी. एम.यह स्थापित किया गया है कि पुलिस स्टेशन अपहरण स्थल से लगभग 7 किमी की दूरी पर था। पीडब्लू-1 द्वारा यह भी बताया गया है कि एक ऑटो में पुलिस स्टेशन पहुंचने में लगभग 30 से 45 मिनट लगे और मौखिक रिपोर्ट 8 बजे की गई:15 पी. एम संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा एक साथ बताए गए विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि अपहरणकर्ता का नाम और पहचान उन्हें पता थी, साथ ही अपहरण के क्षण (लगभग 6:30 अपराह्न) और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होने तक (लगभग 8 बजे:15 पी. एम.) आने-जाने के लिए समय का प्रावधान करते समय, अपीलार्थी का नाम हटाने का न तो कोई अवसर था और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए कोई कारण था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

37.1.2.रिपोर्ट (उदा. पी-1) और इसके आधार पर दर्ज की गई एफ. आई. आर. (उदा. पी-2) विशिष्ट था, जिसमें न केवल अपीलार्थी का नाम दिया गया था (हालांकि रिपोर्ट में दिया गया नाम मनोज सिंह था और मनोज प्रताप सिंह नहीं), बल्कि इसके अलावा, सूचना देने वाले ने यह भी बताया कि संबंधित व्यक्ति वह था जो पहले आवास बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था।पूर्व रिपोर्ट की सामग्री के सामने। पी-1 और एफ. आई. आर. एक्स. पी-2 के साथ-साथ पीडब्लू-1 कमला, पीडब्लू-2 धरम दास, पीडब्लू-3 मदन लाल, पीडब्लू-5 मणिराज सिंह और पीडब्लू-17 दिनेश भाटिया की लगातार गवाही, जिन्होंने बिना किसी अनिश्चितता के कहा कि यह अपीलार्थी था जिसने पीड़ित लड़की का अपहरण किया था, ए की ओर से तर्क दिया गया।

जी.

एच.

अपीलार्थी को केवल अस्वीकार किया जा सकता था।इसके अलावा, पीडब्लू-12 रंजीत सिंह ने एक महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित किया है कि लगभग उसी समय जब पीड़ित लड़की का अपहरण किया गया था, अपीलार्थी शराब की दुकान पर पहुंचा और बीयर खरीदी, जबकि एक लड़की उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी थी।इस गवाह की गवाही भी जिरह में अडिग रही है।अपीलार्थी यह नहीं दिखा सका है कि यह स्वतंत्र गवाह उसके खिलाफ गवाही क्यों देगा।अपीलार्थी यह बताने में विफल रहा है कि क्या पीडब्लू-12 रंजीत सिंह की दुकान से बीयर खरीदते समय उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी लड़की पीड़ित लड़की नहीं थी, बल्कि कोई और थी।

बी.

37.1.3.इस प्रकार, अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट और स्पष्ट है कि पीड़ित लड़की को आखिरी बार केवल अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था।

सी.

37.2.चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य के संदर्भ में विवाद के दूसरे भाग में भी कोई सार नहीं है। जिरह के दौरान मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों में से एक के अभिसाक्ष्य में एक वाक्य पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि मृत्यु बलात्कार के परिणामस्वरूप हुई होगी, कि अपीलार्थी का इरादा मृत्यु का कारण बनना नहीं था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (उदा. पी-35), जैसा कि यहाँ पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि असहाय पीड़ित को उसके पूरे शरीर पर व्यापक चोटें आईं और चोटें विशेष रूप से उसके सिर पर और निजी अंगों पर भी भयानक थीं।मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों की राय के अनुसार, उनकी मृत्यु अंततः सिर की चोटों के कारण हुई थी।पोस्टमॉर्टम कराने वाले मेडिकल बोर्ड की सदस्य डॉ. मंजू पुरोहित, पीडब्लू-14 के बयान के प्रासंगिक भाग को हमने यहां पुनः प्रस्तुत किया है।न्यायालय के प्रश्न के संदर्भ में उनके बयान में "क्रूर", "अमानवीय", "क्रूर" आदि अभिव्यक्तियाँ आईं, जहाँ उनसे चोटों की बाहरी और आंतरिक जांच करने और शरीर की परिस्थितियों और स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उनकी विशेषज्ञ चिकित्सा राय पूछी गई थी। और उसने राय दी

डी.

ई.

एफ.

इन चोटों के संदर्भ में कि 'आठ साल की मासूम लड़की के साथ बेरहमी से और अमानवीय तरीके से बलात्कार किया गया था और आपत्ति जताने पर, उसके साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति ने अमानवीय और क्रूर तरीके से व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अलग-अलग सरल और गंभीर चोटें आईं।

जी.

जिस पर वह मर गई '।उन्होंने आगे क्रूरता के बारे में अपनी राय बताई

यह कहते हुए कि 'मृतक की योनि का घाव दिखाता है कि उसके साथ अमानवीय तरीके से बेरहमी से बलात्कार किया गया था'।हालांकि, इसमें

उसकी आगे की प्रतिपरीक्षा, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की

13 पैराग्राफ 8.3 (ऊपर) के माध्यम से।

एच.

810

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण के बारे में राय दी गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि 'मृत्यु का कारण सिर पर लगी चोट थी'।परिस्थितियों के दिए गए समूह और ठोस विशेषज्ञ चिकित्सा साक्ष्य में, पीड़ित के शरीर पर या योनि के फाहे में वीर्य की अनुपस्थिति का पदार्थ के सार पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है।इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलें निराधार हैं और खारिज की जाती हैं।निरंतरता में, हम यह भी देख सकते हैं कि पीड़ित को सिर पर चोट के अलावा केवल चोट और घर्षण होने का संकेत देने वाली प्रस्तुतियाँ भी गलत हैं।व्यापक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (उदा. पी -35) और चिकित्सा बोर्ड पीडब्लू-14, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-21 के डॉक्टरों के बयान इन सुझावों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त हैं।

बी.

सी.

37.2.1.उपरोक्त के अलावा, पीडब्लू-21 डॉ. चेतना वैष्णव के अभिसाक्ष्य में आने वाली एक पंक्ति को अपीलार्थी की ओर से यह तर्क देने के लिए उठाया गया है कि पीड़ित लड़की की मृत्यु बलात्कार के परिणामस्वरूप हुई हो सकती है और यह प्रस्तुत किया गया है कि मृत्यु का कारण बनना अपीलार्थी का इरादा नहीं हो सकता है।यह तर्क पीडब्लू-21 डॉ. चेतना वैष्णव के कथन के गलत और अधूरे पठन पर आधारित है।वह भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बारे में अपनी जांच में स्पष्ट रही थी और पीडब्लू-14 डॉ. मंजू पुरोहित और पीडब्लू-15 डॉ. कैलाश चंद के साथ लगातार गवाही दी थी कि मेडिकल बोर्ड के अनुसार, सिर की चोट मौत का कारण थी।उन्होंने अपनी जिरह में भी इस तथ्य को दोहराया, जबकि कहा कि 'राय में'

डी.

ई.

मेडिकल बोर्ड के अनुसार, मृतक के सिर पर कई चोटें पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक रूप से मृतक की मृत्यु हो गई।वह।

बेशक, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि 'मृतक

क्रूर बलात्कार किया गया था और उसकी मौत हुई थी 'लेकिन, पढ़ना

समग्र रूप से उसकी गवाही, यह स्पष्ट है कि इस वाक्य में, वह जो व्यक्त करना चाहती थी, वह दो अलग-अलग कृत्यों के बारे में था, अर्थात, बलात्कार करने और मृत्यु का कारण बनने के बारे में। उसने यह नहीं कहा था कि मौत बलात्कार के कारण हुई थी।

एफ.

37.2.2.पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों की गवाही की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उनकी गवाही में होने वाली भाषा के साथ छेड़छाड़ करने से भी, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मृत्यु के कारण के बारे में मेडिकल बोर्ड में कोई संदेह या मतभेद था।दूसरे शब्दों में, डॉक्टर स्पष्ट, स्पष्ट और सुसंगत थे कि पीड़ित लड़की की मृत्यु उसके सिर पर लगी चोटों के कारण हुई थी।

जी.

एच.

811

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

37.3.कथित बारिश या बूंदा-बांदी या तूफान के कारण मोटरसाइकिल की धातु की सतह से रक्त के नमूनों के संग्रह पर संदेह के बारे में एक अन्य विवाद के संबंध में, सबसे पहले यह उल्लेख किया जा सकता है कि तूफान की प्रकृति में किसी भी अत्यधिक बारिश के बारे में कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं था। बेशक, गवाहों ने कहा है कि पीड़ित लड़की के अपहरण के समय बारिश हो रही थी/बूंदाबांदी हो रही थी।हालांकि, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के समय, या उसके प्रकटीकरण बयान के समय लगभग 2 बजेः00 ए. एम. 18.01.2013 पर, या लगभग 3 बजे शव बरामद होने के समयः15 a. m. 18.01.2013 पर, या मोटरसाइकिल की वसूली के समय लगभग 4 बजेः45 पी. एम. 19.01.2013 पर, या मोटरसाइकिल से रक्त का नमूना एकत्र करते समय लगभग 5 बजेः00 आई. डी. 1 को शाम को ऐसी बारिश या बूंदाबांदी हुई थी जिसके लिए आवश्यक नमूने एकत्र नहीं किए जा सकते थे।यह इस तथ्य के अलावा है कि एफएसएल ने स्पष्ट रूप से और निस्संदेह मोटरसाइकिल से एकत्र किए गए रक्त के नमूने पर डीएनए परीक्षण किया था (एफएसएल रिपोर्ट एक्स में डी-प्रदर्शनी संख्या 6 चिह्नित पैकेट। पी -51).इस प्रकार, मोटरसाइकिल से रक्त के नमूने के संग्रह पर संदेह करने वाली प्रस्तुति भी पूरी तरह से निराधार है और खारिज कर दी गई है।

बी.

सी.

डी.

37.4.पीड़ित लड़की की मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं के तथ्य पर सवाल उठाने की मांग करने वाली दूसरी प्रस्तुति में कोई सार नहीं है।इस तथ्य के अलावा कि बच्चे की मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं को उसके माता-पिता और दादा द्वारा लगातार बताया गया है, इस मामले का तथ्य 04.03.2010 पर बना हुआ है, मेडिकल बोर्ड ने उसे स्पास्टिक पाल्सी से पीड़ित पाया (पूर्व वीडियो। पी-11); और पीडब्लू-18 डॉ. नरेंद्र पालीवाल ने वास्तव में उक्त प्रमाण पत्र को साबित किया।वास्तव में, जांच अधिकारी पीडब्लू-25 उमेश ओझा ने उक्त प्रमाण पत्र के संदर्भ में पीड़ित लड़की की अक्षमता की प्रकृति के बारे में चिकित्सा राय/टिप्पणियां लेने का ध्यान रखा। पी-11 दिनांकित 22.01.2013 के माध्यम से (उदा.52) और उसके बाद, चिकित्सा अधिकारी ने

ई.

एफ.

उन्होंने इस प्रभाव का समर्थन किया कि 'उनके अंगों की कॉर्डिनेशन हरकतें जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, बाधित थीं और इस तरह वह शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बची थी'। प्रस्तुतियों के संबंध में

जब रिकॉर्ड पर समग्र साक्ष्य के संदर्भ में मामले की जांच की जाती है, तो स्कूल प्रमाण पत्रों के साक्ष्य मूल्य का कोई अर्थ नहीं होता है, जिसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि पीड़ित लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थी।अक्षमता का प्रतिशत यहाँ मुद्दा नहीं है।प्रासंगिक तथ्य यह है कि वह मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं से पीड़ित थी और उसकी आयु 8 वर्ष से कम थी।इन तथ्यों को अभिलेख पर विधिवत साबित किया गया है।

जी.

एच.

38. इसलिए, अपीलार्थी की ओर से कुछ गैर-मौजूद या अप्रासंगिक कारकों के संदर्भ में समवर्ती निष्कर्षों पर सवाल उठाने की मांग करने वाली दलीलों को पूरी तरह से खारिज करने की आवश्यकता है।

39. हम परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनाने वाले रिकॉर्ड पर संदेह से परे स्थापित तथ्यों और कारकों को उपयोगी रूप से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं किः क) मृतक साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की थी;ख) मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था जब उसने उसके माता-पिता के वैध संरक्षकता से उसका अपहरण कर लिया था;ग) अपहरण के लगभग साढ़े सात घंटे के भीतर अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था।घ) अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े खून से सने हुए थे, जिन्हें जब्त कर सील कर दिया गया था;ई) उसकी गिरफ्तारी के लगभग डेढ़ घंटे बाद, अपीलार्थी के प्रकटीकरण और जानकारी पर पीड़ित लड़की का शव दूर के स्थान पर बरामद किया गया था;च) अपीलार्थी द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल और पीड़ित लड़की द्वारा पहनी गई फ्रॉक भी अपीलार्थी के प्रकटीकरण और जानकारी पर दूर के स्थान पर बरामद की गई थी;छ) अपीलार्थी अपहरण के समय के बाद से अपने स्वयं के ठिकाने और पीड़ित लड़की के ठिकाने का हिसाब देने में विफल रहा;ज) अपीलार्थी उस स्थान/स्थानों के बारे में अपनी जानकारी का कारण दिखाने में भी विफल रहा जहाँ शव, मोटरसाइकिल और फ्रॉक बरामद किए गए थे;(i) अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, यह पीड़ित लड़की के क्रूर बलात्कार (गुप्तांगों पर और उसके आसपास भीषण चोटों के साथ) और निर्दयी हत्या (सिर पर भयानक चोटों के साथ) का मामला था।जे) पीड़ित के सिर पर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई;के) व्यक्ति से एकत्र किए गए रक्त और पीड़ित लड़की के कपड़ों का डीएनए प्रोफाइल अपीलार्थी के कोट, पैंट और शर्ट और मोटरसाइकिल पर पाए गए रक्त के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है।यह श्रृंखला अपने आप में इतनी पूर्ण है कि कल्पना का कोई भी विस्तार हमें आरोपित अपराधों के संबंध में अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर नहीं ले जा सकता है।अतः, विचारण न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष और

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

14 आपराधिक मामलों में डीएनए प्रोफाइल मिलान का मूल्य और मूल्य संक्षिप्त रूप से किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम राज्य के मामले में कहा गया है।

महाराष्ट्रः2014 (4) एस. सी. सी. 69 निम्नलिखित शब्दों मेंः- "18. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डी. एन. ए. एक अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध करता है।डी. एन. ए. जीनोटाइप किसी भी जैविक सामग्री जैसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अब, कई वर्षों से, डी. एन. ए. प्रोफाइल ने भी फोरेंसिक जांच पर जबरदस्त प्रभाव दिखाया है।आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डीएनए प्रोफाइल संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है।डी. एन. ए. प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष परिणाम में भिन्नता प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करती है।"

जी.

एच.

813

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

उच्च न्यायालय अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए तत्काल न्यायसंगत और उचित है और किसी भी तरह के हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है।

39.1.हम अभिलेख पर स्थापित कम से कम दो अन्य तथ्यों का भी संकेत दे सकते हैं जो न केवल ऊपर देखी गई परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को मजबूत करते हैं, बल्कि इस मामले में उनका अपना प्रभाव है।इन तथ्यों में से पहला तथ्य, जो परिस्थितियों की श्रृंखला से विधिवत जुड़ा हुआ है, यह है कि इस अपराध में उपयोग की गई मोटरसाइकिल जिसका पंजीकरण संख्या RJ30 3M 5944 है, वह स्वयं 14.01.2013 पर चोरी हो गई थी, जिसके लिए नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, जैसा कि पुलिस के उप-निरीक्षक पीडब्लू-23 रामदेव रेगर द्वारा स्पष्ट रूप से साबित किया गया है।अभिलेख पर यह विधिवत स्थापित किया गया है कि अपीलार्थी ने वास्तव में पीड़ित लड़की के अपहरण में उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था और अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल बरामद की गई थी।अपीलार्थी का यह मामला नहीं रहा है कि मोटरसाइकिल उसकी थी या उसके मालिक ने उसे दी थी।इस प्रकार, निस्संदेह, अपीलार्थी ने इस अपराध को करने में चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया।पीडब्लू-12 रंजीत सिंह की गवाही से विधिवत स्थापित इन तथ्यों में से दूसरा तथ्य यह था कि पीड़ित लड़की का उसके माता-पिता के वैध अभिभावक से अपहरण करने के बाद, अपीलार्थी मोटरसाइकिल पर बैठी पीड़ित लड़की के साथ शराब की दुकान की ओर बढ़ा; उसने बीयर की एक बोतल खरीदी और उसने कीमत के संबंध में झगड़ा भी किया; और वह बीयर की एक बोतल और मोटरसाइकिल पर बैठी पीड़ित लड़की के साथ शराब की दुकान से निकला।ये तथ्य और कारक अपीलार्थी के खिलाफ विधिवत साबित किए गए आचरण की आपराधिकता को और खराब करते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

40. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वर्तमान मामला जवाब देता है।

शरद बर्डिच और सारदा (ऊपर) के पंचशील सिद्धांतों के लिए।

अपीलार्थी को विचारण न्यायालय ने ठीक ही दोषी ठहराया था और उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि को सही ही बनाए रखा है।दूसरे शब्दों में कहें तो, मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को किसी भी संदेह से परे, उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से पूरी होती है और केवल इस परिणाम की ओर ले जाती है कि अपीलार्थी वह व्यक्ति था जिसने साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी।इसलिए, उपरोक्त अपराधों के अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और वे पुष्टि के योग्य हैं।

एफ.

जी.

एच.

814

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

41. यहां तक कि जब हम अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखते हैं, तो सवाल आई. पी. सी. की धारा 30 के तहत अपराध के लिए उसे दी गई मौत की सजा के बारे में रहता है, जिसे इन अपीलों में गंभीर रूप से चुनौती दी गई है।इस मामले में निर्धारण के लिए बुलाए गए इस प्रमुख प्रश्न से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हम पॉक्सो और आई. पी. सी. दोनों के तहत अपनी दोषसिद्धि के संबंध में अपीलार्थी की ओर से की गई अनावश्यक प्रस्तुतियों में से एक का निपटारा कर सकते हैं। पी. ओ. सी. एस. ओ. की धारा 42 के संदर्भ में किया गया यह निवेदन भी निराधार है।सजा देने का आदेश जो डिग्री में अधिक है, तदनुसार इस प्रस्ताव की ओर नहीं ले जाता है कि अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत और पॉक्सो की धारा 6 के तहत भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस पहलू को हमें अधिक समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोषसिद्धि की पुष्टि के बाद इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दी गई मौत की सजा को बनाए रखा जाए या किसी अन्य सजा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

बी.

सी.

क्या मृत्युदंड बरकरार रखा जाए या किसी अन्य वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए

डी.

42. जैसा कि देखा गया है, इस मामले में दी गई मौत की सजा को चुनौती देने वाले अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दो गुना प्रस्तुतियाँ सामने रखी गई हैं।पहला, कि वर्तमान मामला पूर्ण प्रमाण के बजाय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए, 'अवशिष्ट संदेह' का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए और मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान मामला दुर्लभ हो सकता है लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ नहीं है।दूसरा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उन कम करने वाले कारकों का उल्लेख विद्वान है जिनके कारण अपीलार्थी को मृत्युदंड से बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि वे अपराध करने के समय कम उम्र के थे; उनकी खराब आर्थिक पृष्ठभूमि; उनकी पत्नी, नाबालिग बेटी और वृद्ध पिता के साथ परिवार होना; और उनके सुधार की प्रबल संभावना।इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उन भयावह परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है कि अपीलार्थी ने एक मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी थी; कि उसके कृत्य और कार्य उसकी योजना और पूर्व-नियोजित कार्यों का खुलासा करते हैं; और यह कि भयानक अपराध एक शैतानी और बर्बर तरीके से विद्वान गया था।अन्य कारकों के अलावा, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलार्थी के दोषसिद्धि के बाद के आपराधिक आचरण के बारे में तथ्यों पर प्रकाश डाला है, जहां एक बार उसे किसी अन्य बंदी के साथ झगड़ा करने के लिए 7 दिनों की सजा दी गई थी और फिर, उसे एक अन्य ए की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

815

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

जेल का कैदी।प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी ने खुद को एक पुनरावर्ती साबित किया है, वह व्यक्ति जो लोगों की हत्या करने के लिए प्रवण है, जिसने अतीत में अपराध किए हैं और बार-बार अपराध में फिर से शामिल होने की प्रवृत्ति दिखाई है, और समाज के लिए खतरनाक है।42.1.प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन सजा एक प्राकृतिक जीवन की समाप्ति है, यह स्पष्ट है कि इस मामले में वैधानिक आवश्यकताओं के

साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों के संदर्भ में सभी प्रासंगिक पहलुओं की गंभीर और गहन जांच की आवश्यकता है।

बी.

फांसी की सजा:सिद्धांतों और मानदंडों का विकास

सी.

43. जहां तक वैधानिक आवश्यकताओं का संबंध है, धारा 235 सी. आर. पी. सी. की उप-धारा (2) के अनुसार, दोषी ठहराए जाने और परिवीक्षा पर या धारा 360 सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में चेतावनी के बाद रिहा नहीं होने पर, आरोपी को सजा के प्रश्न पर संबंधित न्यायाधीश द्वारा सुना जाना चाहिए और फिर, कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए।इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3) के अनुसार, यदि दोषसिद्धि मृत्युदंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास या वर्षों की एक विशेष अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण बताए जाने चाहिए; और मृत्युदंड के मामले में, निर्णय में इसके लिए 'विशेष कारण' बताए जाने चाहिए।

डी.

43.1.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 की उप-धारा (2), जो सजा देने से पहले अभियुक्त की अनिवार्य सुनवाई का प्रावधान करती है, निम्नानुसार है:-

ई.

"(2) यदि अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनेगा, और फिर उसे कानून के अनुसार सजा देगा।"

एफ.

43.2.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3), जिसमें सजा के लिए कारणों और मौत की सजा के मामले में 'विशेष कारणों' की आवश्यकता होती है, निम्नानुसार है:- "(3) जब दोषसिद्धि मृत्युदंड या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या वर्षों की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए होती है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण और मृत्युदंड की सजा के मामले में, ऐसी सजा के लिए विशेष कारण बताए जाएंगे।"

जी.

44. अब हम इस प्रश्न से निपटने के लिए कानूनी सिद्धांतों और मानदंडों के विकास की मुख्य विशेषताओं को उपयोगी रूप से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं -

एच.

ऐसे मामलों में सजा जहां मौत की सजा भी दी जा सकती है, विशेष रूप से प्रमुख मामलों और उनमें स्पष्टीकरण के संदर्भ में।

44.1.जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में:

(1973) 1 एस. सी. सी. 20, उनके व्यापक स्पेक्ट्रम में प्रस्तुतियों के साथ मौत की सजा की संवैधानिक अनिवार्यता के बारे में सवाल उठाए गए थे:(i) कि मृत्युदंड अनुचित था क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के खंड (ए) से (जी) के तहत गारंटीकृत सभी अधिकारों को समाप्त कर देगा; (ii) कि मृत्युदंड देने का न्यायाधीशों में निहित विवेकाधिकार किसी भी मानक या नीति पर आधारित नहीं था और इसलिए, प्रावधान विधायी कार्य के अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से पीड़ित था; (iii) कि न्यायाधीशों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास लगाने का अनियंत्रित और निर्देशित विवेकाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित था; और (iv) कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन से वंचित नहीं होगा, लेकिन कानून के प्रावधानों में एक प्रक्रिया का प्रावधान नहीं था।

बी.

सी.

डी.

44.1.1.संविधान पीठ ने उपरोक्त और आनुषंगिक दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के संविधान में अनुच्छेद 72 (1) (सी), 72 (3), 21,134 के प्रावधानों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 और 402 के तत्कालीन लागू प्रावधान भी इस बात का संकेत थे कि मृत्युदंड को स्वयं अनुचित या सार्वजनिक हित में नहीं माना गया था; और यह कि न्यायाधीश को सजा के मामले में बहुत व्यापक विवेकाधिकार देने में कानून की नीति का मूल मानकों को निर्धारित करने की असंभवता में है, बल्कि अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग अभियुक्त के लिए सबसे सुरक्षित संभव सुरक्षा उपाय है।15 जहां तक संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर आग्रह किए गए तर्कों का संबंध है

ई.

एफ.

15 संविधान पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में न्यायिक विवेकाधिकार के महत्व और मूल्य को रेखांकित किया:-

" 26 .....मानकों को निर्धारित करने की असंभवता भारत में प्रशासित आपराधिक कानून के मूल में है जो न्यायाधीशों को सजा की डिग्री तय करने के मामले में बहुत व्यापक विवेक के साथ निवेश करता है।सजा के मामले में विवेकाधिकार, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, उच्च न्यायालयों द्वारा ठीक किया जा सकता है।आदर्श न्यायिक संहिता में किए गए मानकों को सीमित सीमा तक निर्धारित करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग, अंतिम विश्लेषण में, अभियुक्त के लिए सबसे सुरक्षित संभव सुरक्षा उपाय है।"

जी.

एच.

817

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

भारत में, पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय मुख्य रूप से उन तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित होगा, चाहे वे उकसाने वाले हों या कम करने वाले, जो जांच के तहत विशेष अपराध से जुड़े हैं और जो प्रक्रिया के कानूनों के अनुसार साबित होने में सक्षम हैं; और अंत में दोनों पक्षों को न्यायालय को संबोधित करने का अवसर मिल रहा था, जिसके बाद न्यायाधीश अपराध और सजा पर निर्णय लेगा।संविधान पीठ ने कहा कि प्रासंगिक प्रावधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा थे और उन प्रावधानों को संवैधानिक रूप से अमान्य नहीं दिखाया गया था।इस प्रकार,

बी.

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमे के बाद दी गई मौत की सजा अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक नहीं है।'

सी.

44.2.जगमोहन (उपरोक्त) में निर्णय के बाद दो प्रमुख कारकों/घटनाओं ने हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ सजा देने की प्रक्रिया के संबंध में इस न्यायालय की संविधान पीठ को एक और संदर्भ दिया।1898 की पुरानी संहिता के प्रतिस्थापन में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के आगमन के साथ आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून का संशोधन किया गया था, जिसने सजा देने की प्रक्रिया के संबंध में धारा 235 की उपरोक्त उप-धारा (2) और धारा 354 की उप-धारा (3) की शुरुआत की थी।हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए कई व्यक्तियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं दायर कीं, जिसमें हत्या के अपराध के लिए आई. पी. सी. की धारा 303 में दी गई मौत की सजा की संवैधानिक वैधता और धारा 354 सी. आर. पी. सी. की उप-धारा (3) में दी गई सजा प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। दूसरी राय राजेंद्र प्रसाद के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ की बहुमत राय थी।

डी.

ई.

v. उत्तर प्रदेश राज्यः**(1979) 3** एस**.** सी**.** सी**. 646,** कथित रूप से मांग कर रहा है

एफ.

जगमोहन (उपर्युक्त) के अनुपात को कम करें और इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा इस तरह की राय की शुद्धता पर संदेह किया गया है।संविधान पीठ को इस प्रकार दिए गए संदर्भ का जवाब लोकस क्लासिकस बचन सिंह (सुप्रा) में इसके 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' सिद्धांत के साथ दिया गया। बचन सिंह में बहुमत की राय इस विषय पर बाद के सभी विकास और व्याख्याओं के लिए मार्गदर्शक प्रकाश और मूलभूत अनुशासन है।

जी.

44.3.बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने दो प्रमुख प्रश्नों की जांच की, अर्थात्, क्या आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी गई मौत की सजा असंवैधानिक थी; और यदि नहीं, तो क्या आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी गई मौत की सजा असंवैधानिक थी।

एच.

सी. आर. पी. सी. की धारा 354 (3) इस आधार पर असंवैधानिक थी कि इसने न्यायालय को निर्देशित और अनियंत्रित विवेक के साथ निवेश किया।

44.3.1.भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और 21 से संबंधित विभिन्न विशेषताओं और कारकों की जांच करने के बाद, न्यायालय (संविधान पीठ के बहुमत के अनुसार) ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दियाः- "132. संक्षेप में, यह सवाल कि क्या मृत्युदंड किसी दंडात्मक उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं, एक कठिन, जटिल और कठिन मुद्दा है।इसने मजबूत, अलग-अलग विचारों को जन्म दिया है।संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के आलोक में तर्कसंगतता के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 में मृत्युदंड के रूप में विवादित प्रावधान की संवैधानिकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी न किसी तरह से कोई स्पष्ट राय व्यक्त करें कि उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों द्वारा रखे गए इन दो विरोधी विचारों में से कौन सा सही है।यह कहना पर्याप्त है कि यह तथ्य कि तर्कशील, विद्वान और हल्के व्यक्ति इस मुद्दे पर अपनी राय में तर्कसंगत और गहराई से विभाजित हैं,

याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए एक आधार है कि विवादित प्रावधान में मृत्युदंड को बनाए रखना, पूरी तरह से कारण और उद्देश्य से रहित है।यदि, इसके विपरीत, उन्मूलनवादियों के दृष्टिकोण के बावजूद, समाजशास्त्रियों, विधायकों, न्यायविदों, न्यायाधीशों और प्रशासकों सहित दुनिया भर के लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी समाज की सुरक्षा के लिए मृत्युदंड के मूल्य और आवश्यकता में दृढ़ता से विश्वास करता है, यदि भारत में प्रचलित अपराध स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, संसद में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रसारित समकालीन जनमत ने पिछले तीन दशकों में बार-बार मृत्युदंड के क्षेत्र को समाप्त करने या विशेष रूप से प्रतिबंधित करने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है, जिसमें हाल ही में किया गया एक भी शामिल है, अगर मौत की सजा अभी भी दुनिया के अधिकांश सभ्य देशों में हत्या या किसी प्रकार की हत्या के लिए एक मान्यता प्राप्त कानूनी मंजूरी है, अगर भारतीय संविधान के निर्माता पूरी तरह से जागरूक थे-जैसा कि हम वर्तमान में दिखाएंगे कि वे थे।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

819

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

हत्या और अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए दोषसिद्धि की प्रक्रिया संसद के समक्ष थी और संभवतः उसके द्वारा विचार किया गया था जब 1898 की संहिता का संशोधन किया गया था और इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि दंड संहिता की धारा 302 में हत्या के लिए एक वैकल्पिक दंड के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान अनुचित है और जनहित में नहीं है।इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि धारा 302 में विवादित प्रावधान न तो पत्र का उल्लंघन करता है और न ही अनुच्छेद 19 के लोकाचार का।

बी.

***

***

***

136. अनुच्छेद 21 इस प्रकार हैः"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

सी.

यदि इस अनुच्छेद का विस्तार मेनका गांधी [(1978) 1 एस. सी. सी. 248] में बताए गए व्याख्यात्मक सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, तो यह निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

डी.

"वैध कानून द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

इसके विपरीत सकारात्मक रूप में, विस्तारित लेख नीचे पढ़ा जाएगाः

ई.

"वैध कानून द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।"

इस प्रकार व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए विस्तारित और पठित, अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से इस निहितार्थ को सामने लाता है, कि संस्थापक पिता ने वैध कानून द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के राज्य के अधिकार को मान्यता दी।संविधान में कई अन्य संकेत भी हैं जो बताते हैं कि संविधान निर्माता दंड संहिता, 1860 में हत्या और कुछ अन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से अवगत थे।सातवीं अनुसूची की सूची III-समवर्ती सूची में प्रविष्टियां 1 और 2, विशेष रूप से दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लेख करती हैं जो संविधान के प्रारंभ में लागू थी।अनुच्छेद 72 (1) (सी) विशेष रूप से निवेश करता है

एफ.

जी.

एच.

राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति है, और उन सभी मामलों में भी जहां सजा मौत की सजा है।इसी तरह, अनुच्छेद 161 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल को अन्य बातों के साथ-साथ, हत्या या अन्य मृत्युदंड के अपराध में दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति दी गई है।अनुच्छेद 134, संदर्भ में, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है, जिसे निचली विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद, अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है।लगभग 100 वर्षों से लागू क्रमिक दंड प्रक्रिया संहिताओं के तहत, फांसी की सजा दी जानी है।उपरोक्त संवैधानिक अभिधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड, या तो अपने आप में या फांसी द्वारा इसके निष्पादन के कारण, एक अनुचित, क्रूर या असामान्य दंड है।समान संवैधानिक अभिधारणाओं के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के निर्माताओं ने हत्या के लिए मौत की सजा या इसके निष्पादन के निर्धारित पारंपरिक तरीके को एक अपमानजनक सजा के रूप में माना जो संविधान की प्रस्तावना के विचार के भीतर "व्यक्ति की गरिमा" को अपवित्र करेगा।तर्क की समानता पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

44.3.2.दूसरे प्रश्न के संबंध में, न्यायालय ने कानून के विकास, विशेष रूप से धारा 354 (3) सी. आर. पी. सी. की शुरूआत के साथ विधायी नीति में परिवर्तन के साथ-साथ विधि आयोग की रिपोर्टों और विभिन्न पिछले निर्णयों की जांच की; और जगमोहन (उपरोक्त) में निर्धारित प्रस्तावों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया:-

एफ.

"160. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में, अब हम जगमोहन मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्तावों के अधिकार और प्रभाव पर उपरोक्त विधायी परिवर्तनों के प्रभाव पर विचार करेंगे।इन प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

जी.

(i) सामान्य विधायी नीति जो मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में निहित हमारे आपराधिक कानून की संरचना को रेखांकित करती है, वह है अपराध को पर्याप्त स्पष्टता के साथ परिभाषित करना और केवल अधिकतम सजा निर्धारित करना।

एच.

821

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

इसके लिए, और सजा की डिग्री तय करने के मामले में न्यायाधीश को बहुत व्यापक विवेक की अनुमति देना।

धारा 303 के एकमात्र अपवाद के साथ, वही नीति धारा 303 और दंड संहिता की कुछ अन्य धाराओं में व्याप्त है, जहां अधिकतम सजा मृत्युदंड है।

बी.

((ए) किसी अपराधी को सजा सुनाते समय ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाने या कम करने की कोई विस्तृत गणना संभव नहीं है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।"प्रत्येक मामले के मामलों और पहलुओं की अनंत विविधता सामान्य मानकों को या तो अर्थहीन 'बॉयलर प्लेट' या स्पष्ट कथन बना देगी कि किसी भी जूरी (न्यायाधीश) की आवश्यकता नहीं होगी।" (मैकगाउथा बनाम कैलिफोर्निया को संदर्भित किया गयाः(1971) 402 यू. एस. 183) (बी) मानकों को निर्धारित करने की असंभवता भारत में प्रशासित आपराधिक कानून के मूल में है जो न्यायाधीशों को सजा की डिग्री तय करने के मामले में बहुत व्यापक विवेक के साथ निवेश करता है।

सी.

डी.

(iii) फुरमान बनाम जॉर्जिया में बहुलता द्वारा लिया गया दृष्टिकोणः(1976) 1 एस. सी. सी. 425, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया कि एक कानून जो जूरी (या न्यायाधीश) को मौत की सजा और मृत्युदंड के लिए कारावास के बीच मनमाने ढंग से चयन करने के लिए अनियंत्रित और निर्देशित विवेकाधिकार देता है, आठवें संशोधन का उल्लंघन करता है, भारत में लागू नहीं होता है।हमारे संविधान में आठवें संशोधन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, और न ही हम उस स्वतंत्रता के साथ तर्कसंगतता की कसौटी को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके साथ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश "उचित प्रक्रिया" खंड को लागू करने के आदी हैं।हमारे देश में पश्चिमी अनुभव के प्रत्यारोपण की उपयोगिता के बारे में गंभीर संदेह हैं। सामाजिक स्थितियाँ भिन्न होती हैं और सामान्य बौद्धिक स्तर भी।दुनिया के एक क्षेत्र के संबंध में मान्य तर्क दूसरे क्षेत्र के संबंध में अच्छे नहीं हो सकते हैं।

ई.

एफ.

((क) सजा के मामले में इस विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायाधीश द्वारा अपराध की सभी उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने के बाद न्यायिक रूप से किया जाना है।

जी.

(ख) विवेकाधिकार को उच्च न्यायालयों द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग, अंतिम विश्लेषण में, अभियुक्त के लिए सबसे सुरक्षित संभव सुरक्षा है।

एच.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कहना असंभव होगा कि कोई भी भेदभाव होगा, क्योंकि अपराध के रूप में अपराध सतही रूप से समान प्रतीत हो सकता है लेकिन अपराध के तथ्य और परिस्थितियाँ व्यापक रूप से अलग हैं।इस प्रकार माना जाता है कि दंड संहिता की धारा 242 का प्रावधान इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है कि यह न्यायाधीशों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने के मामले में एक निर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार प्रदान करता है।

बी.

((क) अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को पूर्व-दोषसिद्धि चरण में न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई थी।जहाँ वकील अभियुक्त के चरित्र और स्थिति के संबंध में न्यायालय को संबोधित करता है, वहाँ न्यायालय द्वारा उन पर विधिवत विचार किया जाता है जब तक कि साक्ष्य में ही कुछ ऐसा न हो जो उसे झुठलाता हो या लोक अभियोजक तथ्यों को चुनौती देता हो।

सी.

डी.

(ख) इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि न्यायालय संहिता की धारा 302 में दिए गए दो वैकल्पिक वाक्यों में से किसी एक को चुनने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, "न्यायालय मुख्य रूप से उन तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित है, जो जांच के तहत विशेष अपराध से जुड़े हैं।ऐसे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ न्यायालय प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित मुकदमे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित होने में सक्षम हैं। मुकदमा तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि सभी प्रासंगिक तथ्य साबित नहीं हो जाते और दोनों पक्षों के वकील को अदालत को संबोधित करने का अवसर नहीं मिलता।केवल एक चीज जो बची है वह यह है कि न्यायाधीश को अपराध और सजा पर निर्णय लेना है और यही सीआरपीसी की धारा 307 (2) और 309 (2) के लिए प्रावधान करना है।ये प्रावधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा हैं और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि वे किसी अन्य कारण से अमान्य हैं, उन्हें वैध माना जाना चाहिए।यह दिखाने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं कि वे संवैधानिक रूप से अमान्य हैं और इसलिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमे के बाद दी गई मौत की सजा अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक नहीं है।(एस. सी. सी. पी. 36), (जोर दिया गया) "44.3। 3.इसके बाद न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त प्रस्तावों का अधिकार विधायी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन दो प्रस्तावों, संख्या (iv) (ए) और (v) (बी) में ए की आवश्यकता होगी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

823

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

सी. आर. पी. सी. की धारा 354 (3) और 235 (2) में वर्णित परिवर्तित विधायी नीति के संदर्भ में संशोधन। इस प्रकार, अन्यथा जगमोहन (उपर्युक्त) में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और निर्धारित कियाः- "164. धारा 354 (3) और 235 (2) में निरूपित विधायी नीति के अनुरूप, जगमोहन में प्रस्ताव (iv) (a) और (v) (b) को पुनर्गठित करना होगा और इसे निम्नानुसार कहा जा सकता हैः

बी.

(क) सामान्य नियम यह है कि हत्या के अपराध को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। न्यायालय उस नियम से अलग हो सकती है और मौत की सजा तभी दे सकती है जब ऐसा करने के लिए विशेष कारण हों।मृत्युदंड देने से पहले ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

(ख) न्यायालय संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी जाने वाली सजा के सवाल पर विचार करते समय, अदालत को अपराध से संबंधित हर प्रासंगिक परिस्थिति के साथ-साथ अपराधी को भी ध्यान में रखना चाहिए।यदि न्यायालय को लगता है, लेकिन अन्यथा नहीं, कि अपराध एक असाधारण रूप से अपमानजनक और जघन्य चरित्र का है और इसके डिजाइन और इसके निष्पादन के तरीके के कारण, बड़े पैमाने पर समाज के लिए गंभीर खतरे का स्रोत है, तो न्यायालय मौत की सजा दे सकती है।

सी.

डी.

165. जगमोहन में अन्य प्रस्तावों की दृढ़ता या अनुप्रयोग, और जिस परिसर में वे आराम करते हैं, तब से प्रभावी विधायी परिवर्तनों से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते हैं।इसके विपरीत, ये परिवर्तन जगमोहन में दिए गए कारणों को पुष्ट करते हैं, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के विवादित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।अब, संसद ने धारा 354 (3) में एक व्यापक और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है जो सजा सुनाने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय को पेश करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है।संसद ने सलाह दी है कि इस सजा के विवेकाधिकार को और सीमित नहीं किया गया है, क्योंकि अपने विधायी निर्णय में ऐसा करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। संसद इस बात से अवगत नहीं रह सकी कि 1955 के संशोधन अधिनियम 26 के बाद से, हत्या के दोषी व्यक्तियों के बहुत कम प्रतिशत पर अदालतों द्वारा मृत्युदंड लगाया गया है-एक तथ्य जो दर्शाता है कि अदालतों ने आम तौर पर इस चरम दंड को बड़ी सावधानी, सावधानी और संयम के साथ देने में अपने विवेक का प्रयोग किया है।भारत में मृत्युदंड के प्रशासन के पिछले अनुभव से अवगत,

ई.

एफ.

जी.

एच.

संसद ने अपने विवेक में, हत्या के गंभीरतम मामलों में इस गंभीरतम सजा को अदालतों के न्यायिक विवेक पर छोड़ना सबसे अच्छा और सुरक्षित समझा, जो तर्क, अनुभव और पेशे में खड़े व्यक्तियों द्वारा संचालित होते हैं।इस सजा के विवेकाधिकार के प्रयोग को अनियंत्रित और निर्देशित नहीं कहा जा सकता है।इसका प्रयोग न्यायिक निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक रूप से किया जाता है, जो धारा 354 (3) में अधिनियमित साइनपोस्ट के प्रति विधायी नीति की व्यापक रूपरेखा के साथ निर्देशित होते हैं।

बी.

166. नई धारा 235 (2) कई अन्य सुरक्षा उपायों की संख्या को जोड़ती है जो 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता में सन्निहित थे और जिन्हें 1973 की संहिता में फिर से लागू किया गया है।फिर, इस निर्देशित न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग में त्रुटियों को उच्च न्यायालयों द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।दंड संहिता के तहत हत्या और कुछ अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए मृत्युदंड देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदान की गई प्रक्रिया को किसी भी हिसाब से अनुचित, अनुचित और अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।न ही यह कहा जा सकता है कि यह सजा सुनाने का विवेकाधिकार, जिसके साथ अदालतों को निवेश किया जाता है, संसद द्वारा कानून बनाने की अपनी शक्ति को सौंपने के बराबर है।इस आशय का तर्क पूरी तरह से गलत है।इसलिए हम जगमोहन में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और मानते हैं कि विवादित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।"

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 44.3।4.न्यायालय ने यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के संदर्भ में 'विशेष कारणों' का स्पष्ट रूप से अर्थ 'असाधारण कारण' होगा, जिसका अर्थ है कि अत्यधिक दंड केवल निम्नलिखित शब्दों में चरम मामलों में लगाया जाना चाहिएः-

एफ.

"161. ....इस प्रावधान के संदर्भ में "विशेष कारण" अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है "असाधारण कारण" जो अपराध के साथ-साथ अपराधी से संबंधित विशेष मामले की असाधारण रूप से गंभीर परिस्थितियों पर आधारित है।इस प्रकार, धारा 354 (3) के सामने अब विधायी नीति व्यापक और स्पष्ट है कि दंड संहिता के तहत वैकल्पिक रूप से मौत के साथ दंडनीय हत्या और अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर, अत्यधिक दंड केवल चरम मामलों में ही लगाया जाना चाहिए।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

825

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

44.3.5.अपने समक्ष प्रस्तुत विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान देने के बाद, जो कम करने वाले कारकों की हो सकती हैं, और यह देखते हुए कि मृत्युदंड के क्षेत्र में कम करने वाले कारकों की गुंजाइश और अवधारणा को एक उदार और व्यापक निर्माण प्राप्त होना चाहिए, न्यायालय ने धारा 354 (3) दंड प्रक्रिया संहिता की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए आगे बढ़े, इन टिप्पणियों के साथ कि विधायिका ने स्पष्ट रूप से सामान्य सजा के रूप में आजीवन कारावास और अपवाद के रूप में मृत्युदंड को प्राथमिकता दी थी, और निम्नलिखित शब्दों में दुर्लभतम सिद्धांत के उच्चारण के साथः- "209. .....इसलिए, इस चिंता को व्यक्त करना अनिवार्य है कि अदालतें, हमारे द्वारा इंगित व्यापक सचित्र दिशानिर्देशों की सहायता से, धारा 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च स्तर पर निर्देशित निरंतर सावधानी और मानवीय चिंता के साथ कठिन कार्य का निर्वहन करेंगी।, कि हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए, आजीवन कारावास नियम है और मौत की सजा एक अपवाद है।मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को प्रस्तुत करती है।ऐसा दुर्लभतम मामलों को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है।"

बी.

सी.

डी.

(जोर दिया गया) 44.4।वास्तव में, बच्चन सिंह (उपर्युक्त) के निर्णय को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है और इसके सिद्धांतों को इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में समझायाः(1983) 2 एस. सी. सी. 277 आई. पी. सी. की धारा 303 की संवैधानिक वैधता के सवाल पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास की सजा के तहत हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। आई. पी. सी. की धारा 303 में निहित उक्त प्रावधान को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने के क्रम में, संविधान पीठ ने बड़ी संख्या में तर्कों पर विचार किया और उनमें से एक यह था कि बचन सिंह (ऊपर) में मौत की सजा की वैधता को पहले ही बरकरार रखा जा चुका था और इसलिए, ऐसे प्रश्नों को फिर से सिर उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इस तर्क की भ्रांति की ओर इशारा

करते हुए संविधान पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में बताया कि बचन सिंह का अनुपात वास्तव में क्या थाः-

ई.

एफ.

जी.

“7. ….बहुमत ने बचन सिंह में कोई अमूर्त प्रस्ताव नहीं रखा कि "मौत की सजा संवैधानिक है", अर्थात, "संविधान के तहत मौत की सजा का प्रावधान करने की अनुमति है"।सटीक रूप से, न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह नहीं था कि क्या

एच.

संविधान में मृत्युदंड का प्रावधान करने की अनुमति है।उस मामले में जो सटीक सवाल उठा वह यह था कि क्या दंड संहिता की धारा 302, जो दो वैकल्पिक वाक्यों में से एक के रूप में मौत की सजा का प्रावधान करती है, वैध है।यह याद किया जा सकता है कि धारा 303 एक वैकल्पिक सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान करती है जिसे लगाया जा सकता है।हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है; और यदि मौत की सजा दी जानी है, तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के तहत उस सजा को लागू करने के विशेष कारणों को बताने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है।यह बताता है कि क्यों, बचन सिंह में, न्यायमूर्ति सरकारिया, जिन्होंने बहुमत की बात की थी, ने फैसले के पैराग्राफ 19 में "वैकल्पिक" और "हो सकता है" शब्दों को रेखांकित किया, जबकि यह देखते हुए कि दंड संहिता एक वैकल्पिक सजा के रूप में मौत का निर्धारण करती है जिसके लिए अपराधी को सात प्रकार के अपराधों से संबंधित मामलों में सजा दी जा सकती है। बहुमत ने निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 307 तीन मुख्य कारणों से मान्य हैःपहला, कि धारा 232 द्वारा प्रदत्त मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा का एक विकल्प है, दूसरा, कि यदि सामान्य नियम को हटा दिया जाता है और मृत्युदंड दिया जाना है तो विशेष कारण बताए जाने चाहिए; और, तीसरा, क्योंकि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत सजा के प्रश्न पर सुनवाई का हकदार है।इन तीन कारणों में से अंतिम कारण प्रासंगिक हो जाता है, केवल इन कारणों में से पहले के कारण।दूसरे शब्दों में, ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय के पास दो वैकल्पिक सजाओं में से किसी एक को लागू करने का विकल्प है, इस नियम के अधीन कि हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है, कि सजा के सवाल पर आरोपी को सुनना महत्वपूर्ण है।

अतः बचन सिंह का अनुपात यह है कि मृत्युदंड संवैधानिक है यदि इसे हत्या के अपराध के लिए एक वैकल्पिक सजा के रूप में निर्धारित किया गया है और यदि हत्या के लिए कानून द्वारा निर्धारित सामान्य सजा आजीवन कारावास है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 44.5।इसके बाद, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ, माछी सिंह (उपरोक्त) मामले में, एक ऐसे मामले पर विचार करते हुए, जिसमें अपीलार्थी को एक साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक कलह के कारण 17 लोगों की हत्या कर दी गई थी, मौत की सजा से संबंधित दर्शन को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः- ए.

जी.

एच.

827

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

"32. …इस सुरक्षा के लिए समुदाय का प्रत्येक सदस्य समुदाय का ऋणी है।जब समुदाय के किसी सदस्य की "हत्या" करके कृतज्ञता नहीं दिखाई जाती है, जो खुद को हत्यारे को मारने से बचाता है, या जब समुदाय को लगता है कि आत्म-संरक्षण के लिए हत्यारे को मार दिया जाना है, तो समुदाय मौत की सजा को मंजूरी देकर सुरक्षा वापस ले सकता है।लेकिन समुदाय हर मामले में ऐसा नहीं करेगा।यह "दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में" ऐसा कर सकता है जब इसकी सामूहिक अंतरात्मा इतनी हैरान हो जाती है कि यह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से मौत की सजा देने की उम्मीद करेगा, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय वांछनीयता के संबंध में हो या अन्यथा मौत की सजा बनाए रखने के संबंध में।जब अपराध को अपराध के उद्देश्य या अपराध करने के तरीके के मंच से देखा जाता है तो समुदाय ऐसी भावना का मनोरंजन कर सकता है।…"

बी.

सी.

(जोर दिया गया) 44.5।1.न्यायालय ने बचन सिंह (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तावों और उन प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रासंगिक प्रश्नों को भी निम्नलिखित शब्दों में समझायाः-

डी.

"38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह मामले में बताए गए दिशानिर्देशों को हटाना होगा और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मौत की सजा देने का सवाल उठता है।बचन सिंह से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं -

ई.

मामलाः

((i) अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एफ.

((ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत होता है, और बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने के विकल्प का ईमानदारी से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

(iv) बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार करना होगा और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का उपयोग करने से पहले बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा।

बी.

39. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर दिए जा सकते हैंः

(क) क्या अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा का आह्वान करता है?

सी.

(ख) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

डी.

40. यदि उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में सभी परिस्थितियों के समग्र वैश्विक दृष्टिकोण को लेते हुए और ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मृत्युन्यायालय की सजा की आवश्यकता है, तो अदालत ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगी।"

ई.

(जोर दिया गया) 44.6।ध्यान देने योग्य एक अन्य प्रासंगिक निर्णय यह है कि स्वामी श्रद्धानंद (2) (उपर्युक्त) के मामले में।उक्त निर्णय इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस पृष्ठभूमि में दिया गया था कि हालांकि इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अपीलार्थी की आई. पी. सी. की धारा 302 और 201 के तहत अपराधों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने महसूस विद्वान कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दोषी के प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी, जबकि दूसरे विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि अपीलकर्ता मौत की सजा के लिए उत्तरदायी था।दंड के निरंतर बढ़ते नियमों को ध्यान में रखते हुए, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने एक अलग पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि आजीवन कारावास की सजा को एक शर्त के साथ रखा गया कि दोषी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने इस तरह की सजा के तर्क को निम्नलिखित शब्दों में समझाया, जो छूट की उपलब्धता को ओवरराइड करता हैः- ए.

एफ.

जी.

एच.

"92. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है।सजा सुनाने के मुद्दे के दो पहलू हैं।एक वाक्य हो सकता है

अत्यधिक और अनुचित रूप से कठोर या यह अत्यधिक असमान रूप से हो सकता है

अपर्याप्त।जब कोई अपीलार्थी निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा लेकर इस विचारण न्यायालय में आता है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, तो यह विचारण न्यायालय, जैसा कि वर्तमान अपील में पाया जा सकता है कि मामला दुर्लभतम श्रेणी से कम है और मौत की सजा का समर्थन करने में कुछ अनिच्छुक महसूस कर सकता है।लेकिन साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि छूट के अधीन आजीवन कारावास की सजा आम तौर पर 14 साल की अवधि के लिए काम करती है जो अत्यधिक असमान और अपर्याप्त होगी।फिर न्यायालय को क्या करना चाहिए?यदि न्यायालय का विकल्प केवल दो दंडों तक सीमित है, एक कारावास की सजा, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, 14 वर्ष से अधिक की नहीं और दूसरी मृत्यु, तो न्यायालय प्रलोभन महसूस कर सकता है और खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित पा सकता है।इस तरह का रास्ता वास्तव में विनाशकारी होगा।एक अधिक न्यायसंगत, उचित और उचित मार्ग यह होगा कि विकल्पों का विस्तार किया जाए और वास्तव में, जो कानूनी रूप से न्यायालय से संबंधित है, यानी 14 साल के कारावास और मृत्यु के बीच के विशाल अंतराल को अपने नियंत्रण में लिया जाए।इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि मामले के तथ्यों में, 14 साल के कारावास की सजा किसी भी सजा के बराबर नहीं होगी।

बी.

सी.

डी.

ई.

93. इसके अलावा, सजा की एक विशेष श्रेणी के औपचारिकरण का, हालांकि बहुत कम मामलों के लिए, क़ानून की पुस्तक में मृत्युदंड होने का बहुत लाभ होगा, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग जितना संभव हो उतना कम करने के लिए, वास्तव में दुर्लभतम मामलों में।यह केवल बचन सिंह के मामले में संविधान पीठ के फैसले का पुनर्कथन होगा, इसके अलावा यह दंड विधान में आधुनिक रुझानों के अनुरूप होगा।"

एफ.

(जोर दिया गया) 44.7।हमें विभिन्न परिस्थितियों और तथ्यात्मक मैट्रिक्स में दिए गए विभिन्न अन्य निर्णयों को इकट्ठा करके इस चर्चा को लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शंकर के मामले में निर्णय को संदर्भित करना उचित समझते हैं।

जी.

किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्यः(2013) 5 एससीसी 546, जिसमें

इस न्यायालय ने दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में मामलों का सर्वेक्षण किया, यानी जहां मृत्युदंड को बरकरार रखा गया था/दिया गया था या जहां इसे कम किया गया था; और

एच.

830

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

'अपराध परीक्षण', 'आपराधिक परीक्षण' और 'दुर्लभतम परीक्षण' को लागू करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया।इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों के संदर्भ में, गंभीर परिस्थितियों (अपराध परीक्षण) और विषयगत परिस्थितियों (आपराधिक परीक्षण) का वर्णन इस प्रकार किया:-

49. बचन सिंह और माची सिंह मामलों में, इस न्यायालय ने सजा देने के लिए विभिन्न सिद्धांत निर्धारित किए:(राजेन्द्र प्रल्हादराव मामला, एस. सी. सी. पीपी. 47-48, पैरा 33)

बी.

‘‘‘ बिगड़ती परिस्थितियाँ-(अपराध परीक्षण)

(1) अभियुक्त द्वारा हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित अपराध, जिसमें गंभीर हमलों और आपराधिक दोषसिद्धि का पर्याप्त इतिहास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए मृत्युदंड या अपराधों के लिए दोषसिद्धि का पूर्व अभिलेख हो।

सी.

(2) अपराध उस समय किया गया था जब अपराधी एक अन्य गंभीर अपराध में लिप्त था।

डी.

(3) यह अपराध बड़े पैमाने पर जनता में भय मनोविकृति पैदा करने के इरादे से किया गया था और सार्वजनिक स्थान पर एक हथियार या उपकरण द्वारा किया गया था जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है।

(4) हत्या का अपराध फिरौती के लिए या धन या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था।

ई.

(5) किराए पर हत्याएँ।

(6) यह अपराध केवल अभाव के कारण किया गया था, जबकि पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार और यातना दी गई थी।

एफ.

(7) यह अपराध एक व्यक्ति द्वारा कानूनी हिरासत में रहते हुए किया गया था।

(8) हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को अपने या किसी अन्य के वैध कारावास के स्थान पर गिरफ्तारी या हिरासत जैसे अपने कर्तव्य का कानूनी रूप से पालन करने से रोकने के लिए किया गया था।उदाहरण के लिए, हत्या उस व्यक्ति की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य का वैध निर्वहन किया था।(9) जब अपराध पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करने जैसे अनुपात में भारी हो।

जी.

एच.

831

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

(10) जब पीड़ित निर्दोष हो, असहाय हो या कोई व्यक्ति रिश्ते के विश्वास और सामाजिक मानदंडों पर निर्भर हो, जैसे कि एक बच्चा, असहाय महिला, एक बेटी या भतीजी जो पिता/चाचा के साथ रहती है और ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा अपराध के लिए उकसाया जाता है।(11) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता का प्रमाण देता है।

बी.

(12) जब बिना उकसावे के निर्मम हत्या की जाती है।(13) अपराध इतनी बेरहमी से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देता है।

सी.

कम करने वाली परिस्थितियाँ-(आपराधिक परीक्षण)

(1) जिस तरह से और परिस्थितियों में अपराध किया गया था, उदाहरण के लिए, सामान्य पाठ्यक्रम में इन सभी स्थितियों के विपरीत अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक गड़बड़ी या अत्यधिक उत्तेजना।

डी.

(2) अभियुक्त की आयु एक प्रासंगिक विचार है लेकिन अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं है।

(3) अभियुक्त के फिर से अपराध करने में लिप्त नहीं होने की संभावना और अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना।

ई.

(4) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और दोष ने उसके आपराधिक आचरण की परिस्थितियों को समझने की क्षमता को बाधित कर दिया।

(5) ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में इस तरह के व्यवहार को संभव बनाती हैं और उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म दे सकती हैं जैसे कि लगातार उत्पीड़न या वास्तव में, मानव व्यवहार के इतने चरम पर ले जाना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।

एफ.

जी.

(6) जहां साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर न्यायालय का विचार है कि अपराध पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था और मृत्यु के परिणामस्वरूप एक और अपराध हुआ था और यह कि इसे प्राथमिक अपराध के किए जाने के परिणाम के रूप में माने जाने की संभावना थी।

एच.

(7) जहाँ एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित है, हालाँकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को घर लाया है।"

इस न्यायालय ने आगे कहाः- "52. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिगड़ती परिस्थितियाँ, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं हैं, इसलिए कम करने वाली परिस्थितियाँ भी हैं।मेरे विचार में, मौत की सजा देते समय हमें जिन परीक्षणों को लागू करना है, वे हैं "अपराध परीक्षण", "आपराधिक परीक्षण" और "आर-आर परीक्षण", न कि "संतुलन परीक्षण"।मृत्युदंड देने के लिए, "अपराध परीक्षण" को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए, यानी, 100% और "आपराधिक परीक्षण" 0 प्रतिशत, यानी आरोपी के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं।यदि कोई परिस्थिति अभियुक्त के पक्ष में है, जैसे अपराध करने के इरादे की कमी, सुधार की संभावना, अभियुक्त की कम उम्र, समाज के लिए कोई खतरा नहीं, कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आदि, तो "आपराधिक परीक्षण" अभियुक्त को मृत्युदंड

से बचने के लिए अनुकूल हो सकता है।भले ही दोनों परीक्षण संतुष्ट हों, यानी पूरी हद तक बिगड़ती परिस्थितियाँ और अभियुक्त के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ न हों, फिर भी हमें अंत में दुर्लभतम मामले परीक्षण (आर-आर परीक्षण) को लागू करना होगा।आर-आर परीक्षण समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है और "न्यायाधीश-केंद्रित" नहीं है, यानी कि समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं।उस परीक्षण को लागू करते समय, न्यायालय को समाज के विभिन्न कारकों पर गौर करना पड़ता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

यौन उत्पीड़न और बौद्धिक रूप से अक्षम नाबालिग लड़कियों की हत्या जैसे कुछ प्रकार के अपराधों के प्रति घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा।

एफ.

शारीरिक अक्षमता, उन अक्षमताओं वाली वृद्ध और दुर्बल महिलाएँ, आदि। उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।अदालतें मौत की सजा देती हैं क्योंकि संवैधानिक मजबूरी के कारण स्थिति की मांग होती है, जो लोगों की इच्छा से परिलक्षित होती है न कि न्यायाधीशों की इच्छा से।"

(बल और अतिरिक्त बल दिया जाता है) 44.8।यह भी उल्लेखनीय है कि बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी की सजा का उक्त प्रस्ताव फिर से बहस का विषय था और संविधान पीठ के लिए एक संदर्भ का कारण बना, जिसका उत्तर भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण के मामले में दिया गया।

जी.

उपनाम मुरुगन और ओआरएस:**(2016) 7** एस. सी. सी**1.**कई ए थे

एच.

833

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

छूट की शक्तियों के संबंध में संविधान पीठ को संदर्भित प्रश्न, लेकिन उन सभी पहलुओं को यहाँ विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है।वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक पहलू यह है कि तीन न्यायाधीशों का बहुमत

स्वामी श्रद्धानंद (2) (ऊपर) में अनुपात को मंजूरी दी गई

छूट के बिना आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी।यद्यपि अल्पमत की राय इस बात से सहमत थी कि आई. पी. सी. की धारा 45 सहपठित धारा 52 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ केवल दोषी के शेष जीवन के लिए कारावास है, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत प्रदान की गई छूट, परिवर्तन आदि का दावा करने का अधिकार हमेशा उपलब्ध होगा, लेकिन, उपरोक्त विशेष श्रेणी की सजा को इस तर्क के साथ अनुमोदित करने वाले बहुमत के अन्य भाग से सहमत नहीं थे कि वास्तविक कारावास की अनिवार्य अवधि प्रदान करने का ऐसा पाठ्यक्रम धारा 433-ए. सी. आर. पी. सी. के साथ असंगत होगा। बहुमत का दृष्टिकोण, इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा होने के नाते, प्रासंगिक प्रश्न और उसके उत्तर से उपयोगी रूप से देखा जा सकता हैः-

बी.

सी.

" प्रश्न **52.1:**क्या दंड संहिता की धारा **45** सहपठित धारा **53** के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ कैदी के शेष जीवन के लिए कारावास है या आजीवन कारावास से गुजर रहे दोषी को माफी का दावा करने का अधिकार है और क्या स्वामी श्रद्धानंद **(2)** के पैरा **91** से **93** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार**,** बहुत कम मामलों के लिए सजा की एक विशेष श्रेणी बनाई जा सकती है जहां मृत्युदंड को आजीवन कारावास या चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास की सजा से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उस श्रेणी को माफी के आवेदन से परे रखा जा सकता है**?**

डी.

ई.

जवाब दीजिए।

एफ.

177. दंड संहिता की धारा 45 सहपठित धारा 53 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ केवल दोषी के शेष जीवन के लिए कारावास है।संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत प्रदान की गई छूट, परिवर्तन, स्थगन आदि का दावा करने का अधिकार हमेशा न्यायालय द्वारा अछूत संवैधानिक उपचार के रूप में उपलब्ध रहेगा।

जी.

178. हम मानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद (2) में निर्धारित अनुपात के अनुसार मौत के बजाय विशेष श्रेणी की सजा को आजीवन कारावास या 14 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखना अच्छी तरह से स्थापित है और हम उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से देते हैं।"

एच.

44.9.आगे बढ़ने से पहले, हम देख सकते हैं कि उपरोक्त निर्णयों के अनुसार सजा देने की प्रक्रिया पर कानून के विकास के साथ, कम करने वाले कारकों में से एक, दोषी के सुधार की संभावना और उसके पुनर्वास और मुख्यधारा के समाज में पुनर्एकीकरण को उचित विचार दिया गया है, बल्कि अतिरिक्त महत्व दिया गया है, जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा उजागर किया गया है।उदाहरण के लिए, हम राजेंद्र में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

बी.

प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्यः(2019) 12 एससीसी 460,

जिसमें अपीलार्थी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तीन वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ), 377 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।हालाँकि इस न्यायालय में उनकी अपील खारिज कर दी गई थी और समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन उनकी समीक्षा याचिका को बाद में फिर से खोल दिया गया और 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं है कि यदि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने याची के सुधार की संभावना सहित विभिन्न कारकों पर विचार नहीं किया, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़े।इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि किसी दोषी के समाज में सुधार और पुनर्वास की संभावना (संभावना या असंभवता या असंभवता नहीं) पर अदालतों द्वारा मौत की सजा देने से पहले गंभीरता से और ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए।यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) की "विशेष कारणों" की आवश्यकता के अधिदेशों में से एक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना शामिल है।इस आदेश को प्रभावी बनाने के

लिए, अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय को साबित करे कि संभावना यह है कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है।यह अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री, जेल के बाहर उसके आचरण, यदि वह कुछ समय से जमानत पर है, तो उसके मानसिक बनावट के बारे में चिकित्सा साक्ष्य, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि को रिकॉर्ड में लाकर प्राप्त किया जा सकता है।इसी तरह, दोषी इन मुद्दों पर भी सबूत पेश कर सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

***

***

***

47. दोषी के समाज में सुधार, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। बचन सिंह तक, ए द्वारा दिया गया बल

एच.

835

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

अदालतें मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, इसकी क्रूरता और गंभीरता पर आधारित थीं।बचन सिंह ने सजा देने की प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखा और दोषी के सुधार या पुनर्वास पर विचार करने की आवश्यकता की शुरुआत की।संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अपराध को प्रधानता देने और अपराधी को कुछ हद तक गौण तरीके से विचार करने की प्रवृत्ति है।जैसा कि संगीत 16 में कहा गया है, "सजा देने की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है और अपने अपराध के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है।इसलिए, यह अभियोजन पक्ष और अदालतों को यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, उसके अपराध के बावजूद, सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है।इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है,

लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए।पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुनर्एकीकरण शामिल है।बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ विशेषज्ञों द्वारा इसके विश्लेषण के बावजूद, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी का सामाजिक एकीकरण संभव नहीं हो सकता है।यदि ऐसा होना चाहिए, तो लंबी अवधि के कारावास का विकल्प स्वीकार्य है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

45. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुतियों के साथ कुछ निर्णयों का हवाला दिया है कि इन मामलों में, 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत को लागू करते हुए इस न्यायालय द्वारा मौत की सजा को अन्य सजा में बदल दिया गया था।हालाँकि यह देखा गया है कि उद्धृत निर्णय 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत पर आगे नहीं बढ़े, लेकिन हम उद्धृत निर्णयों की प्रासंगिक विशेषताओं पर ध्यान दे सकते हैं। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत से संबंधित तर्कों को थोड़ी देर बाद स्वीकार किया जाएगा।

एफ.

45.1.विरान ज्ञानलाल राजपूत (ऊपर) के मामले में, आरोपी

13 वर्षीय लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या और सबूतों को गायब करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302,201 और आई. पी. सी. एस. ओ. की धारा 10 और 14 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ काम करने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियाँ यह थीं कि उसे आखिरी बार उनके साथ देखा गया था।

जी.

16 संगीत और एन. आर. वी.हरियाणा राज्यः(2013) 2 एससीसी 452।

एच.

जब वह स्कूल से घर जा रही थी तब मृतक; बाद में शाम को उसे अकेला भागते हुए देखा गया; उसके कहने पर मृत शरीर और पीड़ित के कपड़ों जैसी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गईं; उसकी पैंट पर मिट्टी के दाग मौके से जब्त किए गए मिट्टी के दाग से मेल खाते थे; अपने व्यक्ति पर पाई गई चोटों को समझाने में उसकी विफलता; चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित के साथ जबरन बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी; सबूतों को दबाने के लिए मृत शरीर को छिपाया गया था; और अपीलार्थी उसके खिलाफ दोषपूर्ण परिस्थितियों के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।अन्य प्रावधानों के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की धारा 10 पॉक्सो के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करना दिया। जहां तक मृत्युदंड के संबंध में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि आजीवन कारावास नियम था और मृत्युदंड अपवाद था, जो केवल तभी लगाया जाना था जब आजीवन कारावास के विकल्प को निर्विवाद रूप से रोक दिया गया था।इस न्यायालय ने पाया कि भले ही अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध घृणित था, लेकिन इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' के दायरे में नहीं रखा जा सकता है।इस न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि अपीलार्थी में सुधार नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार, मौत की सजा को 20 साल की छूट की गुंजाइश के बिना आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। इस न्यायालय के इन निष्कर्षों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

बी.

सी.

डी.

“25. यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि किया गया अपराध घृणित प्रकृति का है, लेकिन इसे इतना क्रूर, अपमानजनक, जघन्य या शैतानी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और मौत की सजा देता है।हम स्वयं को अदालतों के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं कि अपीलार्थी समाज के लिए इतना खतरा है कि उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।दूसरी ओर, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया कि अपीलार्थी सुधार से परे था, विशेष रूप से उसकी कम उम्र को देखते हुए।हम इस अपराध के करने से पहले अपीलार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी और उसके कारावास के बाद के आचरण के बारे में भी सचेत हैं, जो किसी भी तरह से उसके सुधार की असंभवता का संकेत नहीं देता है।इस बिंदु पर यह अवलोकन करना उचित होगा कि यद्यपि निचली विचारण न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उसके पश्चाताप की कमी को नोट किया, और उच्च न्यायालय ने अपराध करने के बाद उसके पश्चाताप की कमी को नोट किया, क्योंकि वह शांति से इलाके में घूमता हुआ पाया गया था, यह किसी भी तरह से संकेत नहीं देता है कि अपीलार्थी के लिए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

837

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

26. इस प्रकार, न तो अपराध की परिस्थितियों और न ही अपराधी यानी अपीलार्थी की परिस्थितियों से यह पता चलेगा कि तत्काल मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, या यह कि आजीवन कारावास की सजा निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित और घोर रूप से असमान है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, हम अपीलार्थी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना उचित समझते हैं।27. साथ ही, हमारी राय है कि आजीवन कारावास की सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में नहीं होगी, और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का सबसे कठोर तरीके से जवाब देने की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी।इसके अलावा, हालांकि हमने ऊपर देखा है कि अभियुक्त के सुधार की संभावना पूरी तरह से बाधित नहीं है, फिर भी हम अपीलार्थी की ओर से पश्चाताप की कमी और पुनः अपराध की संभावना के बारे में निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की चिंताओं को साझा करते हैं।ऐसी स्थिति में, हम अपीलार्थी के 20 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास की सजा में छूट का दावा करने के अधिकार को प्रतिबंधित करना उचित समझते हैं।"

बी.

सी.

डी.

45.2.बाबासाहेब मारुति कांबले (ऊपर) के मामले में,

अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा302,376 (2) (एफ) और 342 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उक्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित था जिसमें वे परिस्थितियाँ शामिल थीं कि मृतक लड़की को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था; पीड़ित लड़की का शव उसके घर में और उसके बिस्तर के नीचे पाया गया था; और पीड़ित लड़की की चप्पलें और कपड़े भी उसके घर से खून से सने चादर के साथ बरामद किए गए थे; डीएनए और पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की।यह पाते हुए कि दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इस न्यायालय ने इन कारकों को ध्यान में रखा कि अपीलार्थी 60 वर्ष की आयु तक पहुँच गया था, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, सुधार

की संभावना थी और प्रतिवादी-राज्य जेल में उसके द्वारा किसी भी निंदनीय आचरण की ओर इशारा नहीं कर सकता था।इस प्रकार, इस न्यायालय ने बिना किसी छूट के 20 साल के कारावास की सीमा के साथ मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।45.3.नंद किशोर (उपरोक्त) के मामले में, लगभग 50 वर्ष की आयु के अभियुक्त-अपीलार्थी को 8 वर्षीय लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 302,363,366 और 376 (2) (आई) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था।मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था जिसमें मृतक लड़की के भाई पीडब्लू-4 ने परीक्षण में अपीलार्थी की पहचान की थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

838

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

पहचान परेड और स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी मृतक को मेले से ले गया।अंतिम बार देखे गए साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू-7 द्वारा की गई थी।इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।जहां तक सजा के प्रश्न का संबंध है, जहां अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई गई थी, यह न्यायालय

अन्य बातों के साथ-साथ, स्वामी श्रद्धानंद (2) में उच्चारण का उल्लेख किया गया है।

(ऊपर) और कहा कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह एक खराब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आ रहा था, जहां स्थानीय बार एसोसिएशन ने अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया था और उसे केवल आरोप तय करने के दिन ही कानूनी सहायता प्रदान की गई थी।इस न्यायालय ने यह भी पाया कि न्यायालयों द्वारा नीचे कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि अपीलार्थी में सुधार नहीं किया जा सकता था।समग्र परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित में छूट के किसी भी लाभ के बिना 25 साल की वास्तविक अवधि के साथ मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया:- "15. ...जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।यह अपीलार्थी का विशिष्ट मामला है कि उसे इस मामले में उचित कानूनी सहायता से वंचित कर दिया गया था और वह एक मैनहोल कार्यकर्ता है।अपीलार्थी की आयु लगभग 50 वर्ष थी।इसके अलावा, इस मामले में अवर न्यायालयों द्वारा इस आशय का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के सुधार की कोई संभावना नहीं है।हमारा विचार है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारण, जैसा कि उच्च

न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, अभियुक्त को मृत्युदंड देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के अर्थ के भीतर विशेष कारण नहीं हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. अभिलेख पर साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, और ऊपर चर्चा की गई केस लॉ की कसौटी पर परीक्षण को लागू करके, हमारा विचार है कि मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों में नहीं आएगा।मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, में संशोधन की आवश्यकता है।तदनुसार, इस अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है; निचली न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, जैसा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हम छूट के किसी भी लाभ के बिना 25 साल की वास्तविक अवधि के साथ आजीवन कारावास की सजा में संशोधन करते हैं।यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अपराधों के लिए लगाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी।"

एफ.

जी.

45.4.सक्रू महागु बिनजेवार (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का वर्तमान मामले के साथ कोई तथ्यात्मक संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इस न्यायालय ने बचन सिंह और माची ए के सिद्धांतों का उल्लेख किया है।

एच.

सिंह (ऊपर) ने यह इंगित करते हुए कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा इनका लगातार पालन किया गया है और यह भी कि इस न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद (2) (ऊपर) में विकसित सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जैसा कि वी. श्रीहरण (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है।उस मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई मौत की सजा को अन्य कारणों के साथ-साथ इस कारण से कम कर

दिया कि अभियुक्तों ने महसूस किया कि उन्हें एक आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था; और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड था। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, इस न्यायालय को अपील के तहत दिए गए फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

बी.

सी.

46. इसके अलावा, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके तर्कों के समर्थन में किए गए कुछ अन्य निर्णयों पर भी निम्नानुसार ध्यान दिया जा सकता हैः

46.1.कामता तिवारी (ऊपर) बलात्कार का मामला था जिसके बाद पीड़ित के परिवार के करीबी व्यक्ति द्वारा 7 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी और पीड़ित उसे "तिवारी अंकल" कहता था।लड़की का आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया था; बलात्कार किया गया था; गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी; और फिर, शव को कुएं में फेंक दिया गया था।अपराध की व्यापकता और विश्वास के दुरुपयोग ने इस न्यायालय को मौत की सजा की पुष्टि करने में मदद की।

डी.

ई.

46.2.संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार (ऊपर) में, यह

न्यायालय ने बचन सिंह (उपरोक्त) से उभरने वाले तीन व्यापक मूल्यों, अर्थात् व्यक्तिगत सजा, दुर्लभतम से दुर्लभतम की सीमा और सैद्धांतिक सजा पर व्यापक रूप से विचार किया और कहा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसारः-

एफ.

“131. जब अदालत को मृत्युन्यायालय के मामले का सामना करना पड़ता है, तो उसके समक्ष मामले का अन्य कथित रूप से समान मामलों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण संविधान की योजना के अनुरूप होगा।तुलना में समान परिस्थिति वाले पूंजी प्रतिवादियों के एक समूह की पहचान की आवश्यकता होगी।अपराध से संबंधित गंभीरता, प्रकृति और उद्देश्य इस विश्लेषण में एक भूमिका निभाएंगे।132. अगला कदम पूंजीगत मामलों में शामिल व्यक्तिपरकता से निपटना होगा।बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान की अशुद्धि को कम से कम किया जाना चाहिए।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समानता खंड का अधिदेश परिणाम के बजाय सजा देने की प्रक्रिया पर लागू होता है।तुलनात्मक समीक्षा होनी चाहिए

जी.

एच.

अदालतों के लिए उपलब्ध सजा सुनाने के विवेकाधिकार को दिशा देने के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रासंगिक परिस्थितियों की पहचान में निरंतरता लाने के लिए किया गया है।बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को एक कठोर उपाय के तहत अलग से पहचाना जाना चाहिए।

133. बचन सिंह जब सैद्धांतिक पूर्ववर्ती-आधारित सजा का आदेश देते हैं, तो कम करने वाली परिस्थितियों और बिगड़ती परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए मजबूर करते हैं और फिर एक ऐसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं जिसके द्वारा तुलनीय मामलों के पूल से दिखाई देने वाली बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की तुलना की जा सकती है।विशेष उत्तेजक और शमनकारी परिस्थितियों के लिए न्यायालय द्वारा दिया गया भार व्यक्तिगत सजा के नाम पर मामले-दर-मामले भिन्न हो सकता है, लेकिन साथ ही भार के विभाजन के कारण भी सामने आएंगे। इस तरह की तुलना अत्यधिकता की ओर इशारा कर सकती है और भविष्य में मनमानेपन की आपत्तियों को दूर करने में भी मदद करेगी।सजा सुनाने की सुनवाई, मामलों की तुलनात्मक समीक्षा और इसी तरह के उत्तेजक और कम करने वाले परिस्थितियों के विश्लेषण को केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब सजा सुनाने वाली न्यायालय आजीवन कारावास का विकल्प चुनती है।"

बी.

सी.

डी.

46.3.वसंत संपत डुपारे (ऊपर) के मामले में, जहाँ

इस न्यायालय ने मुख्य अपीलों पर विचार किया और उसके बाद, समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा की पुष्टि की, आरोपी ने पीड़ित लड़की को अपनी साइकिल पर ले लिया था जब वह आंगन में खेल रही थी और उसके साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी।उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के समान थे, जहां यह पाया गया कि आरोपी ने चार साल की पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार किया, और उसके सिर को पत्थरों से पीटा और उसकी हत्या कर दी।

ई.

एफ.

46.3.1.वसंत संपत डुपारे 17 में अपीलों से निपटने वाले मुख्य फैसले में, इस न्यायालय ने सभी परिस्थितियों की जांच की, जिसमें लड़की द्वारा आरोपी में व्यक्त किए गए विश्वास का दुरुपयोग; पूर्वधारणा, प्रवृत्ति और बलात्कार की इच्छा को उजागर करने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स; भ्रष्टता और अपमान की बात करने वाला अपराध; अपराध शैतानी और बर्बर होना; और दोषी के सुधार/पुनर्वास की कम संभावना शामिल है।इस प्रकार, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए मृत्यु की सजा को बरकरार रखाः-

जी.

17 (2015) 1 एस. सी. सी. 253 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

एच.

841

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

"58. वर्तमान में, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अपराध किस तरीके से किया गया था।अभिलेख पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी इलाके के निवासियों से अच्छी तरह से परिचित था और जैसा कि स्पष्ट है कि उसकी मृतक के पिता के घर तक पहुंच थी और बच्चे उसे "चाचा" कहते थे।उसने मृतक को चॉकलेट खाने के लिए अपने साथ जाने का लालच दिया था।यह पूर्ण निर्दोषता का लाभ उठाने का कार्य है।वह मृतक को अपनी साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह ले गया था और अंततः उसके साथ क्रूर तरीके से बलात्कार किया, जैसे कि उसे एक अतृप्त और उग्र भूख थी।नाबालिग लड़की पर लगी चोटों से समाज की रीढ़ की हड्डी में ठंडक आने और मानव विवेक के मज्जा में कंपकंपी होने की संभावना है।उसने उसे दो भारी पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला था।घायल नाबालिग लड़की किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं दिखा सकती थी।यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी ने क्षणिक चूक की हो।यह भी एक ऐसा मामला नहीं है जहां नाबालिग बच्चे की मृत्यु बलात्कार के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी, बल्कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर क्रूर हमले के कारण हुई थी।बर्बर कृत्य समाप्त होने के बाद, अपीलार्थी की शीतलता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उसने नल पर कपड़े धोए और चीजों को छिपाने के लिए उचित देखभाल की।जैसा कि स्पष्ट है, उन्होंने एक पल के लिए भी मृतक को हुए आघात और यातना के बारे में नहीं सोचा।चार साल की लड़की की भोली-भाली और दुर्बलता, जो इस प्रकृति की दुर्भावनापूर्ण रूप से डिज़ाइन की गई जैविक इच्छाओं के बारे में कोई विचार नहीं रख सकती थी, उस चाचा के साथ गई जिसने उसकी जीवन-चिंगारी को बुझा दिया।अपीलार्थी का बर्बर कार्य दूर से एक छोटे नाबालिग बच्चे के बहुमूल्य जीवन के लिए कोई चिंता नहीं दिखाता है जिसने वास्तव में जीवन नहीं देखा था। अपीलार्थी के आचरण की आपराधिकता न केवल अपमानजनक और अपमानजनक है, बल्कि समाज पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है।यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

***

***

***

60. इस मामले में, जैसा कि हम पाते हैं, बलात्कार न केवल क्रूर तरीके से किया गया था, बल्कि हत्या भी बर्बर तरीके से की गई थी।एक नाबालिग लड़की का बलात्कार और कुछ नहीं बल्कि अंधेरे में उसकी गरिमा का एक राक्षसी दफन है।यह एक बालिका के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ अपराध है और जिस तरह से ऐसा किया गया है, उससे इस तरह का अपराध और बढ़ जाता है।अपराध की प्रकृति और जिस तरह से इसे किया गया है, वह इसकी असामान्यता के बारे में बताता है।अपराध की बात करता है

जी.

एच.

दुष्टता, क्षरण और असामान्यता।यह शैतानी और बर्बर है।यह अपराध अमानवीय तरीके से किया गया था।निस्संदेह, ये बिगड़ती परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करते हैं।

61. हम पूरी तरह से सचेत हैं कि कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कम करने वाली परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अपीलार्थी अपने पचास के दशक के मध्य में है और उसके सुधार की संभावना है।यह ध्यान दिया जाए कि अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु लगभग सैंतालीस वर्ष थी।जैसा कि ध्यान देने योग्य है, अपीलार्थी की ओर से कोई पछतावा नहीं हुआ है।ऐसे मामले हैं जब इस न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है और पाया है कि आरोपी ने पश्चाताप व्यक्त किया

है या अपराध पूर्व नियोजित नहीं था।लेकिन चरण-दर-चरण प्रकट होने पर प्राप्त करने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स पूर्व-चिंतन, प्रवृत्ति और अत्याचारी इच्छा को दिखाएगा।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन हम पाते हैं कि वह एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई मामले लंबित थे।केवल यही पर्याप्त नहीं हो सकता है। नाबालिग लड़की के साथ उसके द्वारा दिखाई गई भयावह क्रूरता बेहद चौंकाने वाली है और जब उसकी उम्र को ध्यान में रखा जाता है तो यह बढ़ जाती है।यह किसी भी मानसिक तनाव या भावनात्मक अशांति के तहत नहीं किया गया था और यह समझना मुश्किल है कि वह इस तरह के कृत्य नहीं करेगा और उसे सुधार या पुनर्वास किया जाएगा।जैसा कि परिस्थितियाँ चित्रात्मक रूप से दर्शाती हैं, वह समाज के लिए एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि एक रक्षाहीन बच्चा उसका शिकार बन गया है।हमारी सुविचारित राय में, कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

62. जैसा कि हम समझते हैं, यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आने योग्य है।समाज के दृष्टिकोण से यह अकल्पनीय है कि लगभग दो और सात वर्ष की आयु का एक विवाहित पुरुष चार वर्ष की नाबालिग मासूम बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाता है और जानबूझकर उसकी मौत का कारण बनता है।अपीलार्थी के समाज के लोगों से परिचित होने के कारण एक असहाय और रक्षाहीन बच्चे का बलात्कार और हत्या कर दी जाती है।यह न केवल व्यक्तिगत विश्वास के साथ विश्वासघात है, बल्कि सामाजिक विश्वास का विनाश और विनाश है।यह अपनी विशालता में विकृति है।यह सामूहिक रूप से अत्यधिक घृणा और आक्रोश को अपरिहार्य रूप से आमंत्रित करता है।यह सामाजिक संतुलन के लिए अभिशाप है।हमारे विचार में, यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा उतरता है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा मानते हैं।

जी.

एच.

843

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

63. नतीजतन, हम अपीलार्थी द्वारा की गई आपराधिक अपीलों को खारिज करते हैं और मौत की सजा की पुष्टि करते हैं।"

46.3.2.पुनरीक्षण याचिकाओं में, मामले के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त द्वारा प्राप्त योग्यता और उसके सुधार की संभावना सहित कई अन्य कम करने वाली परिस्थितियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।इस न्यायालय ने पाया कि गंभीर परिस्थितियाँ, यानी अपराध की अत्यधिक भ्रष्टता और बर्बरतापूर्ण तरीके से कम करने वाली परिस्थितियों की तुलना में अधिक नुकसान होता है।इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने 18 के तहत टिप्पणी की और निष्कर्ष निकालाः- "21. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि समीक्षाधीन निर्णय के बाद, याची ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम पूरा कर लिया है जिससे वह स्नातक स्तर के अध्ययन की तैयारी कर सकता है और उसने गांधी विचार परीक्षा भी पूरी कर ली है और जनवरी 2016 में आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया था।यह दावा किया जाता है कि याची का जेल रिकॉर्ड बिना किसी दोष के है।बचन सिंह में निर्णय के पैरा 206 में उल्लिखित शर्तों (1), (2), (5), (6) और (7) के संबंध में इस मामले का विरोध नहीं किया गया है, लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वह यह है कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना है।हालाँकि याची की ओर से ये प्रयास समीक्षाधीन निर्णय के बाद किए गए हैं, लेकिन हमने यह देखने के लिए उस ओर से सामग्री पर विचार किया है कि क्या वे परिस्थितियाँ एक अलग दृष्टिकोण की गारंटी देती हैं।हमने अभिलेख पर सामग्री पर चिंता से विचार किया है, लेकिन पाया है कि गंभीर परिस्थितियाँ, अर्थात्, अत्यधिक भ्रष्टता और बर्बर तरीके से अपराध किया गया था और यह तथ्य कि पीड़ित चार साल की असहाय लड़की थी, स्पष्ट रूप से अब दर्ज की गई कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक है।इस मामले पर समग्र दृष्टिकोण रखने के बाद, हमारे सुविचारित विचार में, इस मामले में अलग दृष्टिकोण रखने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। इसलिए हम समीक्षाधीन निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और वर्तमान समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हैं।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

47. पप्पु (उपरोक्त) के मामले में, इस विषय पर विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, हमने मृत्युदंड से जुड़े मामलों में न्यायालयों द्वारा विकसित किए गए सिद्धांतों और मानदंडों को संक्षेप में प्रस्तुत किया था; और निम्नानुसार दोहराएंगेः-

18 समीक्षा याचिकाओं में निर्णय (2017) 6 एस. सी. सी. 631 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

एच.

844

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

"41. यह आसानी से देखा जा सकता है कि जबकि इस न्यायालय ने उचित मामलों में उचित सजा के लिए समाज के आह्वान के लिए निवारक के रूप में और उचित प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करने के लिए क़ानून पर मृत्युदंड देना उचित पाया है, लेकिन साथ ही, दंड के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं, यानी मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि इसकी समाप्ति अपरिहार्य न हो और समाज के अन्य सामाजिक कारणों और सामूहिक विवेक की सेवा करने के लिए न हो।इससे 'दुर्लभतम परीक्षण' का विकास हुआ है और फिर, 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ है।न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन ने भी आजीवन कारावास की सजा देते समय, विशेष रूप से वर्तमान जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटने के दौरान, छूट या समय से पहले रिहाई के अधिकारों को कम करने के लिए एक और मध्य-मार्ग दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है।"

बी.

सी.

अवशिष्ट संदेह का सिद्धांत

डी.

48. जहाँ तक 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत का संबंध है, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बहुत अधिक भरोसा विद्वान गया है, हम उपयोगी रूप से दोहरा सकते हैं कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों में किसी भी तथाकथित 'अवशिष्ट संदेह' सिद्धांत का उल्लेख या उपयोग नहीं विद्वान गया था।

बल्कि, सक्रू महागु बिनजेवार (ऊपर) के मामले में, प्रस्ताव

संदेह का लाभ बढ़ाने के लिए इस न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर भारी और निर्विवाद साक्ष्य के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था।चाहे जो भी हो, हम इस सिद्धांत के प्रति इस न्यायालय के दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए प्रासंगिक निर्णयों का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं और यह भी तथ्य कि

इस सिद्धांत के अप्रयोज्य होने के बारे में प्रस्तावों को बाद के निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसा कि चर्चा की गई है।

ई.

एफ.

48.1.रविशंकर उपनाम बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में:(2019) 9 एस. सी. सी. 689, की एक 3-न्यायाधीश पीठ

इस न्यायालय ने अपहरण, बलात्कार और परिणामस्वरूप 13 वर्षीय लड़की की मौत और सबूतों को नष्ट करने के अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की फिर से पुष्टि की।मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का था और सजा के सवाल पर, इस न्यायालय ने जांच की कि क्या मौत की सजा उचित थी।हालांकि इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस मामले में भी जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन फिर यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि यह न्यायालय 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत को तेजी से लागू कर रहा था, जो

जी.

प्रभावी रूप से ए के ऊपर और ऊपर प्रमाण का एक उच्च मानक बनाएँ।

एच.

845

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

“उचित संदेह से परे "मानक का उपयोग दोषसिद्धि के चरण में, नियमित मृत्युदंड के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

मृत्यु की अपरिवर्तनीयता।इस सिद्धांत को लागू करते हुए और कुछ 'अवशिष्ट संदेहों' का संकेत देते हुए, यह माना गया कि उक्त मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी से कम था और दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था।

बी.

48.2.हालांकि, शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र:(2021) 1 एस. सी. सी. 596, इस न्यायालय की एक अन्य 3-न्यायाधीश पीठ ने अपने मामा द्वारा ढाई साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषसिद्धि और मौत की सजा के खिलाफ अपील पर विचार किया।सजा सुनाने के सवाल पर, पिछले 40 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए 67 मामलों पर ध्यान दिया गया; और यह देखा गया कि जब अपराध आई. पी.

सी. की धारा 376 और 302 के थे, और पीड़ित की आयु 16 वर्ष से कम थी, तो 15 में मौत की सजा की पुष्टि की गई थी, लेकिन उनमें से 3 में, सजा को बाद में समीक्षा में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।इसलिए, 67 मामलों में से केवल 12 में मौत की सजा की पुष्टि हुई।जहां तक मार्गदर्शक कारकों का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों में मृत्युदंड देने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य निर्विवाद चरित्र का होना चाहिए जिसमें कम सजा का विकल्प होना चाहिए।न्यायालय ने 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत की भी जांच की और इस न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के सर्वेक्षण के बाद, निम्नलिखित अंशों में इस सिद्धांत की प्रयोज्यता के खिलाफ राय दीः-

सी.

डी.

ई.

" 75.4.ये विशेषताएं केवल यह कहने के लिए उदाहरणात्मक हैं कि "अवशिष्ट संदेह" का सिद्धांत जो विकसित हुआ, वह अपनाई गई प्रक्रिया में विशिष्टता का परिणाम था।फिर भी, ध्यान देने योग्य सामग्री यह है कि इस सिद्धांत को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार खारिज कर दिया गया है और जैसा कि ओ 'कॉनर, जे द्वारा कहा गया हैः"हमारे मामलों में कुछ भी नहीं

एफ.

मृत्युदंड की सजा के समय सबूत के इस बढ़े हुए बोझ को लागू करना अनिवार्य था।"

***

***

***

77. जब हमारे न्यायशास्त्र में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में अपनाया गया मानक, जैसा कि शरद बर्डहिचंद सारदा और बाद के निर्णयों में देखा गया है, यह है कि परिस्थितियों को न केवल व्यक्तिगत रूप से साबित या स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सुसंगत श्रृंखला बनानी चाहिए, ताकि अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को खारिज किया जा सके।ताकत पर

जी.

एच.

इन सिद्धांतों में से, ऐसे मामलों में बोझ पहले से ही अधिक है।एक बार जब उस बोझ को हटा दिया जाता है, तो यह निहित है कि कोई अन्य परिकल्पना या आरोपी की बेगुनाही, पहले से ही खारिज हो जाती है जब मामले को अपराध के निष्कर्ष को वापस करने के बाद सजा के चरण में लिया जाता है।इसलिए, सैद्धांतिक रूप से "अवशिष्ट संदेह" की अवधारणा या सिद्धांत का परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में कोई स्थान नहीं है।वास्तव में, अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था जैसा कि पहले चर्चा की गई थी।"

बी.

(जोर दिया गया) 48.2।1.इस न्यायालय ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया जहां 'अवशिष्ट संदेह' के उक्त सिद्धांत का उल्लेख किया गया था, जिनमें शामिल हैं -

सी.

कि अशोक देबबर्मा उपनाम अचक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्यः

(2014) 4 एस. सी. सी. 747, और यह बताया गया कि वे मामले थे

व्यक्तिगत तथ्य स्थिति के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, जहां मृत्युदंड के अधिरोपण के लिए उच्च या सख्त मानक के अनुसार, मृत्युदंड का विकल्प उचित पाया गया था।19

डी.

48.3.हम यह भी देख सकते हैं कि 'अवशिष्ट संदेह' का सिद्धांत पहले हमारे सामने पप्पु (उपरोक्त) के मामले में सुझाया गया था, लेकिन उस मामले में, इस पहलू पर अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं माना गया था क्योंकि आजीवन कारावास की सजा को कम करने के लिए एक मजबूत मामला फिर भी दोषी के सुधार और पुनर्वास और उसके संतोषजनक जेल आचरण की संभावना के कम करने वाले कारकों के साथ बनाया गया था।हालाँकि, हमने शत्रुघ्न बबन मेशराम के मामले में उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में निम्नानुसार संकेत दिया थाः-

ई.

एफ.

" 43.2.ऐसा कहने के बाद, हम यह देख सकते हैं कि जहां तक 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से अन्य तर्कों का संबंध है, वे बाद की 3-न्यायाधीश पीठ में हैं।

शत्रुघ्न बबन मेशराम (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय,

यह देखा गया कि उक्त सिद्धांत, जिसे अमेरिकी क्षेत्राधिकारों में अपनाई गई प्रक्रिया में विशिष्टता के परिणामस्वरूप विकसित किया गया है, को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समर्थन नहीं मिला है।हमें वर्तमान मामले में इस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुधार और पुनर्वास की संभावना का मजबूत शमन कारक, विशेष रूप से पूर्वजों के संदर्भ में और

जी.

19 शत्रुघ्न बबन मेशराम में उक्त निर्णय के अनुच्छेद 76 से 76.4 के माध्यम से।

एच.

847

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

अपीलार्थी की पृष्ठभूमि और उसके संतोषजनक जेल आचरण, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का मामला बनाते हैं।"

48.4.ऊपर जिस पर चर्चा की गई है और अभिलेख को सीधा रखने के लिए, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में अपराध का निष्कर्ष तभी दर्ज किया जाता है जब परिस्थितियां एक अटूट श्रृंखला बनाती पाई जाती हैं, जो इतनी सुसंगत होती है कि अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है।ये कठोर मानदंड होने के कारण, जैसा कि शरद बर्डीहिचंद सारदा (ऊपर) में व्याख्या किए गए पंचशील सिद्धांतों के आधार पर न्यायालयों द्वारा लगातार पालन किया जाता है, और मामले के सबूत की आवश्यकता उचित संदेह से परे होने के कारण, सैद्धांतिक रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में भी किसी भी 'अवशिष्ट संदेह' के संचालन की कोई गुंजाइश नहीं है।जिन मामलों में अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को बिल्कुल भी संदर्भित किया गया है, वे अपने स्वयं के तथ्यों पर खड़े थे, जहां मौत की सजा के विकल्प को उचित माना जाता था।हालाँकि, सजा सुनाने के लिए मामले को लेते समय, किसी भी कमजोर कड़ी का पता लगाने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को फिर से खोलने की उम्मीद नहीं है जो अवशिष्ट संदेह की श्रेणी में आ सकती है।यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यदि इस तरह का कोई भी संदेह उचित रूप से मौजूद है, तो दोषसिद्धि का आधार ही सवाल में होगा।दूसरे शब्दों में कहें तो अपराध पर अंतिम निष्कर्ष के बाद और दोषसिद्धि की घोषणा के बाद, सजा देने के उद्देश्य से अवशिष्ट संदेह की कोई अवधारणा उपलब्ध नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

49. हालाँकि, जब हमें अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत पर आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं मिलता है, तब भी वर्तमान मामले में सजा के प्रश्न का निर्धारण बचन सिंह (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सजा के सिद्धांतों और इस न्यायालय द्वारा अन्य निर्णयों में आगे विकसित किए गए सिद्धांतों/मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसा कि 'अपराध परीक्षण', 'आपराधिक परीक्षण' और 'दुर्लभतम से दुर्लभतम परीक्षण' के गहन विश्लेषण की आवश्यकताओं के साथ पहले देखा गया है।

एफ.

अपराध और आपराधिक परीक्षण:वर्तमान मामले की गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियाँ

जी.

50. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए भौतिक तथ्यों के साथ-साथ सभी प्रासंगिक कारकों और परिस्थितियों की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थी को दी गई मृत्युदंड को बनाए रखा जाए या किसी अन्य दंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए?

एच.

50.1.भौतिक तथ्यों और प्रासंगिक परिस्थितियों की जांच करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि जहां तक विचारण न्यायालय का संबंध है, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के संदर्भ में अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया था। दोषसिद्धि का निर्णय आई. डी. 1 पर घोषित किया गया था और सजा का प्रश्न 3 स्पष्ट दिनों बाद, यानी आई. डी. 2 पर लिया गया था; और मृत्युदंड केवल अभियुक्त-अपीलार्थी को विधिवत सुनने के बाद, उत्तेजक और कम करने वाले कारकों को विधिवत ध्यान में रखते हुए, और विशेष कारणों को विधिवत दर्ज करते हुए दिया गया था।

बी.

50.2.अपराध की जघन्य प्रकृति, वर्तमान की तरह, एक मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की के क्रूर बलात्कार और हत्या में, जो केवल साढ़े सात साल की थी, निश्चित रूप से अत्यधिक भयावह परिस्थितियों को जन्म देती है, विशेष रूप से जब बलात्कार और हत्या के दोनों प्रमुख अपराधों को करने का तरीका उच्चतम क्रम की भ्रष्टता को दर्शाता है और प्रत्यक्ष रूप से किसी की भी

अंतरात्मा को झकझोर देगा।पीड़ित को मारने का भयानक तरीका, सिर पर भयानक चोटों का कारण बनना, अपीलार्थी के क्रूर आचरण से कम नहीं था।हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, कार्रवाई और अपराध की वीभत्स प्रकृति, अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकती है, विशेष रूप से मृत्युदंड के सवाल के संबंध में।इस प्रकार, हमें अन्य प्रासंगिक कारकों, विशेष रूप से स्वयं अपराधी से संबंधित परीक्षणों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

सी.

डी.

50.3.निस्संदेह, अपराध के समय अपीलार्थी की आयु 28 वर्ष थी और उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक आठ वर्षीय बेटी और माता-पिता थे।उसे किसी समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी नहीं दिखाया गया है कि वह बहुत गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है या नहीं।समग्र रूप से देखने पर, अपीलार्थी की आयु, परिवार और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के ये कारक इतने प्रबल नहीं हैं कि वे उत्तेजक कारकों पर हावी हो जाते हैं।

ई.

एफ.

50.3.1.फिर, प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की उचित संभावना मौजूद है?यदि इस भौतिक प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो यह पता लगाने के लिए परीक्षण पर असर पड़ सकता है कि क्या मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है।लेकिन, यदि ऐसे कारक हैं जो सुधार और पुनर्वास की संभावना पर इस प्रश्न के सकारात्मक उत्तर के खिलाफ काम करते हैं, तो गंभीर परिस्थितियां निश्चित रूप से मृत्युदंड की गारंटी देने वाली कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक होंगी।

जी.

50.4.उपरोक्त के संबंध में, अभिलेख से उभरते तथ्य इस प्रकार हैं:

एच.

849

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

50.4.1.यह देखा गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी के लिए नरमी का अनुरोध करते हुए एक सुझाव दिया गया था कि यह उसका पहला अपराध था।हालाँकि, यह सुझाव सही नहीं लगता है।आरोप-पत्र की सामग्री से यह ध्यान देने योग्य है कि निवास सत्यापन की प्रक्रिया में, यह पाया गया कि अपीलार्थी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पुलिस स्टेशन गुगली के गांव बसंतपुर

का रहने वाला था। और यह पता चला कि उसके खिलाफ आपराधिक मामलों का इतिहास रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और आई. पी. सी. 307 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन शंभूपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ के मामले संख्या 2011 के 69 में आरोप पत्र दायर किया गया था। वह आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपराध के लिए 2012 के कांकरोली 20 मामले संख्या 78 और 2012 के 79 में भी शामिल था। और आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपराध के लिए 2012 के पुलिस स्टेशन राजनगर मामले संख्या 428 में। 50. 4.2.वर्तमान मामले के साथ सीधा सह-संबंध और संबंध रखने वाला एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जो पीडब्लू-23 रामदेव रेगर, उप-निरीक्षक, पुलिस लाइन, राजसमंद के बयान से निकलता है।उन्होंने इस तथ्य की गवाही दी कि 14.01.2013 पर, पंजीकरण संख्या वाली हीरो होंडा पैशन प्लस मोटरसाइकिल की चोरी के बारे में एक लिखित रिपोर्ट। आर. जे. 30 3 एम 5944 नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपराध के लिए 2013 की संख्या 39 वाली एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।उल्लेखनीय है कि उक्त मोटरसाइकिल का पंजीकरण सं। आर. जे. 30 3 एम 5944 वही था जिसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपराध में किया गया था।अपीलार्थी की सूचना पर यह मोटरसाइकिल अपराध स्थल के पास बरामद की गई थी और उससे खून के धब्बे भी एकत्र किए गए थे और उन खून के धब्बों का डीएनए प्रोफाइल पीड़ित लड़की के खून के नमूनों के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता था।

बी.

सी.

डी.

ई.

50.5.इस प्रकार, अभिलेख पर सामने आने वाले तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि विचाराधीन अपराध अपीलार्थी की एकमात्र आपराधिक गतिविधि नहीं थी।अपीलार्थी के पूर्ववृत्त में एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाया गया है जिसका आचरण दोषमुक्त नहीं था और किसी भी मामले में, उसने अपहरण के अपराध किए थे और पीड़ित लड़की की हत्या भी एक ऐसे वाहन के उपयोग से की थी जो उसका नहीं था, लेकिन एक चोरी का वाहन था।दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामले से पहले अपीलार्थी का अतीत आपराधिक मामलों में संलिप्तता का था और वर्तमान मामले के घृणित अपराध उसके द्वारा चोरी किए गए वाहन की सहायता से किए गए थे।ये तथ्य और कारक बिगड़ती परिस्थितियों को कई गुना बढ़ा देते हैं।

एफ.

जी.

20 वही पुलिस स्टेशन जिसने वर्तमान मामले को संभाला है।

21 पीडब्लू-23 रामदेव रेगर के साक्ष्य के अनुसार, विचाराधीन मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट वर्तमान मामले की घटना से 3 दिन पहले नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

एच.

850

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

51. ऊपर जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, अपराध परीक्षण और आपराधिक परीक्षण के शुद्ध परिणाम को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:वर्तमान मामला अपीलार्थी के अत्यधिक अमानवीय कृत्यों और कार्यों का था, जिसमें अन्य आपत्तिजनक कृत्यों और कार्यों के अलावा, उसने (1) पीड़ित लड़की का अपहरण कर लिया, जो केवल साढ़े सात साल की थी, जो अन्यथा मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थी, विश्वासघात के साथ जब पीड़ित लड़की को उसके द्वारा दी गई मिठाई की वस्तुओं का लालच दिया गया; (2) पीड़ित लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया, जैसा कि उसके गुप्तांगों पर और उसके आसपास की भीषण चोटों से ध्यान देने योग्य है और जैसा कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया है; और (3) पीड़ित लड़की के सिर पर भयानक चोटें डालकर निर्दयता से उसकी हत्या कर दी, जैसा कि न केवल डॉक्टरों द्वारा बल्कि अपराध स्थल पर खून के धब्बों सहित आसपास के तथ्यों द्वारा भी स्थापित किया गया था।व्यक्तिगत आधार पर, भले ही अपीलार्थी की आयु लगभग 28 वर्ष थी और उसकी पत्नी, एक बेटी जो लगभग 8 वर्ष की थी और वृद्ध माता-पिता का परिवार था, वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।भले ही पिछले अन्य मामलों को एक तरफ छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करके अपराध किए।दुर्भाग्य से मामला यहीं खत्म नहीं होता।

बी.

सी.

डी.

51.1.अपीलार्थी द्वारा अपने क्रूर आचरण से किसी की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए फेंके गए झटके इस अमानवीय अपराध के साथ और उसे दोषी ठहराए जाने के बाद भी नहीं रुके हैं।

ई.

52. जैसा कि देखा गया है, बड़ी संख्या में मामलों में, जब कुछ भी विचाराधीन अपराध को और नहीं बढ़ाता है, तो अदालतों ने वीभत्स हत्याओं के मामलों में भी मौत की सजा देने या उसे मंजूरी देने से परहेज किया है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि दोषी के सुधार की संभावना की झलक को भी

मौत की सजा देने के बजाय एक मौका दिया जाना चाहिए, जो कि अपरिवर्तनीय प्रकृति का है।इस संबंध में, दोषी के जेल आचरण का समग्र विचार में अपना प्रभाव और प्रासंगिकता है और यह न्यायालय निर्दोष जेल आचरण के मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के पक्ष में है, भले ही अपराध स्वयं वीभत्स या घृणित प्रकृति का हो 22 -23. हालांकि, वर्तमान मामले में,

एफ.

जी.

22 पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला:आपराधिक अपील सं. 1097-1098

2018 में हमारे द्वारा आई. डी. 1 पर तय किया गया निर्णय सीधे तौर पर इस दृष्टिकोण का एक दृष्टान्त है, जहां इसे सात साल की बच्ची के साथ भीषण बलात्कार और हत्या का समान मामला पाए जाने के बावजूद, हमने निर्दोष जेल आचरण को अन्य परिस्थितियों के साथ दोषी के सुधार की संभावना का संकेत देते हुए पाया और इसलिए, मौत की सजा ए को कम कर दिया।

एच.

851

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

और अधिक चौंकाने वाला और परेशान करने वाला कारक यह है कि जेल में रहते हुए भी, अपीलार्थी का आचरण दोषमुक्त नहीं रहा है, जहां अन्य कैदी के साथ 17.04.2015 पर झगड़ा करने और 7 दिनों की सजा अर्जित करने के अलावा, अपीलार्थी पर एक और हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया था और दोषी ठहराया गया था, इस बार जेल के एक सह-कैदी की, तीन अन्य कैदियों के साथ हाथ मिलाते हुए।

बी.

53. इस मोड़ पर, हम फिर से इंगित कर सकते हैं कि जेल में रहते हुए एक अन्य हत्या में अपीलार्थी की संलिप्तता और आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध की उसकी दोषसिद्धि के बारे में तथ्य सुनवाई के समापन के बाद प्रतिवादी-राज्य की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में ही बताया गया था।सुनवाई के दौरान इस तरह के तथ्य को निर्दिष्ट नहीं किए जाने के कारण, हमने मामले को आगे के निर्देशों के लिए पोस्ट किया और 14.02.2022 पर, राज्य को संबंधित अधिकारी के हलफनामे के साथ प्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया।इसके अनुपालन में, राकेश मोहन शर्मा, अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जयपुर का एक हलफनामा दायर किया गया है और विशेष न्यायाधीश (सती की रोकथाम) और अतिरिक्त सत्र न्यायालय जयपुर महानगर द्वारा 2019 के सत्र मामले संख्या 204 में दिनांकित निर्णय और आदेश की एक प्रति भी दायर की गई है।अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को तीन अन्य जेल कैदियों के साथ, एक अन्य जेल कैदी की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध की

विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, जो जेल के उच्च सुरक्षा कक्ष में एक पाकिस्तानी नागरिक था; और यह कि अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।हालांकि यह बताया गया है कि उक्त निर्णय के खिलाफ अपील लंबित है और हम उस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जेल में अपीलार्थी का दोषपूर्ण आचरण हमें इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या अभी तक उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विश्वास करना यथार्थवादी होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

आजीवन कारावास, लेकिन 30 वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक कारावास से गुजरने की शर्तों के साथ।

23 वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला:आपराधिक अपील संख्या 5-6

2018 हमारे द्वारा आई. डी. 1 पर निर्णय लेना इस दृष्टिकोण का एक और प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, जहां एक आठ वर्षीय बालिका के वीभत्स बलात्कार और हत्या का समान मामला पाए जाने के बावजूद, जो दोषी के चचेरे भाई की बेटी थी, हमने देखा कि दोषी के निर्दोष जेल आचरण और अन्य कम करने वाली परिस्थितियों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा; और दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावना से इनकार नहीं किया गया था।इसलिए, हमने फिर से 30 साल की अवधि के लिए वास्तविक कारावास की शर्तों के साथ मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की प्रक्रिया को अपनाया।

जी.

एच.

54. हम यह भी देख सकते हैं कि भले ही दुर्लभतम से दुर्लभतम सिद्धांत और इसके साथ के सिद्धांत, जैसा कि बचन सिंह और माछी सिंह (उपरोक्त) में प्रतिपादित और समझाया गया है, सजा के प्रश्न पर विचार करते समय देश के न्यायालयों द्वारा लगभग समान रूप से लागू किए गए हैं, जब कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है; और समय के साथ, बिना किसी छूट या कटौती के वास्तविक कारावास की बड़ी/लंबी अवधि का प्रस्ताव भी विकसित हुआ है, लेकिन अदालतों ने कभी भी इस सजा (मौत की सजा) को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए निरर्थक और अस्तित्वहीन बनाने का प्रयास नहीं किया है।ऐसे मामलों में न्याय की खोज, जिसमें केवल चरम मामलों में मौत की सजा दी जाती है और इसे बनाए रखा जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मामले से इस तरह से संपर्क

किया जाएगा और जांच की जाएगी कि मौत की सजा से बचा जाए, भले ही मामला वास्तव में इस तरह की सजा की मांग करता हो।हमारे विचार में, न्यायिक प्रक्रिया अपनी वस्तुनिष्ठता से समझौता करेगी यदि दृष्टिकोण प्रमुख अपराधों के लिए एक वैकल्पिक सजा के रूप में मौत की सजा देने वाले वैधानिक प्रावधान को रद्द करना है (जैसे कि आई. पी. सी. की धारा 302), भले ही यह न्यायिक जांच से पारित हो गया हो और इसे असंवैधानिक नहीं माना गया हो।कम करने वाली परिस्थितियों को इकट्ठा करने की कोशिश को किसी भी धारणा या विचार के साथ नहीं लिया जा सकता था कि किसी भी तरह से, कुछ कारक पाया जाए; या यदि नहीं पाया जाता है, तो किसी भी तरह से अनुमान लगाया जाए ताकि मौत की सजा को त्याग दिया जाए।इस तरह का दृष्टिकोण अवास्तविक, अनुचित और कानून के शासन को बनाए रखने वाला नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

55. अपीलार्थी की ओर से यह सुझाव देने का प्रयास किया गया है कि जेल में उसका समग्र आचरण हत्या के मामले में उसकी संलिप्तता के आरोप को छोड़कर किसी भी दोष के बिना है।हम केवल यह सोच सकते हैं कि जेल के एक साथी कैदी की हत्या के मामले में संलिप्तता और दोषसिद्धि नहीं तो और कौन सी आपराधिक गतिविधि दोष के रूप में योग्य होगी!यह एक अन्य जेल कैदी के साथ झगड़ा करने के लिए अपीलार्थी द्वारा अर्जित अन्य 7 दिनों की सजा के अलावा है।

एफ.

56. हम अपीलार्थी की ओर से दिए गए एक अन्य सुझाव को भी ध्यान में रख सकते हैं कि उसकी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट बुलाई जा सकती है।

56.1.अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम राज्य के मामले में

जी.

महाराष्ट्र का:2014 (4) एस. सी. सी. 69, इस न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त मामलों में, दोषसिद्धि के बाद, न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट बुला सकता है कि क्या अभियुक्त में सुधार किया जा सकता है या पुनर्वास किया जा सकता है; और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।एक बार फिर,

एच.

24 पैराग्राफ 33, एस. सी. सी. पी.86.

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

अनिल में उक्त निर्णय के संदर्भ में रिपोर्ट मांगने के लिए कोई सार्वभौमिक सूत्र नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में, जहां अपीलकर्ता विचाराधीन अपराध से पहले लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है; वर्तमान अपराध के वीभत्स कार्यों को अंजाम दिया है; आगे संदिग्ध जेल आचरण में शामिल रहा है, जिसमें एक साथी कैदी के साथ झगड़ा करना और 7 दिनों की सजा अर्जित करना शामिल है; और फिर, यह सब सीमित करने के लिए, किसी अन्य जेल कैदी की हत्या से कम नहीं के अपराध में शामिल किया गया है, अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना के बारे में कोई और रिपोर्ट केवल तभी प्रस्तावित की जा सकती है जब न्यायिक प्रक्रिया प्रत्येक मामले में मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द करने के लिए दृढ़ हो।इस तरह का दृष्टिकोण समाज में व्यवस्था बनाए रखने की पूरी प्रणाली के लिए प्रतिकूल होगा और इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब हम यह सोचने के लिए इच्छुक हों कि न्याय के लिए समाज की जो भी पुकार हो, मौत की सजा के वैधानिक प्रावधान को ही उसका अंतरण या दफन किया जाना चाहिए।जाहिर है, यह दृष्टिकोण वैधानिक अधिदेशों के साथ-साथ इस न्यायालय के कई संविधान पीठ के फैसलों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत होगा और कानून के शासन की जड़ों पर प्रहार करेगा।इस मामले की परिस्थितियों के दिए गए समूह में, किसी भी तथाकथित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट को बुलाने के बारे में सुझावों को केवल अव्यावहारिक और अवास्तविक कहा जा सकता है और केवल अस्वीकार किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

57. वर्तमान मामले में, जहां अपराध के आसपास के सभी तत्वों के साथ-साथ अपराधी के आसपास के सभी तत्वों ने परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों की बैलेंस शीट को काट दिया है, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि मौत की सजा को किसी भी अन्य कम डिग्री की सजा में परिवर्तित करने का कोई कारण नहीं है।अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति और उसके अपरिवर्तनीय आचरण को देखते हुए बिना किसी छूट के पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा देने का विकल्प भी उचित नहीं लगता है।58. हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं:वर्तमान प्रकृति के मामले में, अपराध अत्यधिक भ्रष्टता का था, जो विवेक को झकझोर देता है, विशेष रूप से लक्ष्य की ओर देखते हुए (एक साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की) और फिर, हत्या करने के तरीके को देखते हुए, जहां असहाय पीड़ित का सिर सचमुच तोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आगे की हड्डी के फ्रैक्चर सहित कई चोटें आईं।

यह इन तथ्यों के अलावा है कि निर्दोष पीड़िता का चोरी की मोटरसाइकिल पर कन्फेक्शनरी वस्तुओं की पेशकश से प्राप्त विश्वास का दुरुपयोग करके अपहरण कर लिया गया था और इस तथ्य के अलावा कि उसके साथ बेरहमी से और अमानवीय तरीके से बलात्कार किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

अपराधी (अर्थात, अपीलार्थी) से संबंधित परीक्षण मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से, उसका परिवार पत्नी और नाबालिग बेटी और वृद्ध पिता के साथ है और अपराध तब किया गया था जब वह केवल 28 वर्ष का था।हालाँकि, ये कम करने वाले कारक स्वयं अपीलार्थी से संबंधित कई अन्य कारकों के खिलाफ हैं।एक, वर्तमान अपराध से पहले उसकी गतिविधियों और कार्यों का होना जहां वह सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम, 1984, आई. पी. सी. की धारा 379 और यहां तक कि आई. पी. सी. 307 की धारा 3 से लेकर अपराधों के कम से कम चार मामलों में शामिल पाया गया था। दूसरा, यह तथ्य कि वर्तमान अपराध को चोरी की मोटरसाइकिल की सहायता से अंजाम दिया गया था।तीसरा, और महत्वपूर्ण है दोषसिद्धि के बाद का उसका आचरण जिसमें उसे न केवल एक सह-कैदी के साथ झगड़ा करने के लिए जेल में 7 दिनों की सजा मिली, बल्कि उसे एक अन्य जेल कैदी की हत्या के अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है।समग्र रूप से पढ़ें, अपीलार्थी से संबंधित तथ्य-पत्रक केवल इस तार्किक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि यदि कोई संलिप्तता दी जाती है तो वह इस अपराध में फिर से शामिल नहीं होगा।दुर्भाग्य से, उनके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।अपीलार्थी के एक ही अपराध में फिर से शामिल होने की यह संभावना और उसके सुधार/पुनर्वास की शून्य संभावना एक सीधी चुनौती है और साथ ही समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी खतरा है।इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्य, समग्र रूप से, यह स्पष्ट करते हैं कि यह संभावना नहीं है कि अपीलार्थी , यदि छूट दी जाती है, तो वह ऐसा अपराध करने में सक्षम नहीं होगा और फिर से ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। नतीजतन, हम इसे अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के अलावा किसी अन्य विकल्प का मामला नहीं पाते हैं, क्योंकि इस विशेष मामले में यह अपरिहार्य है।59. इस मामले पर समापन करने से पहले, हम अपीलार्थी के लिए कानूनी सहायता में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना उचित समझते हैं, जिन्होंने संभालने के लिए कठिन संक्षिप्त होने के बावजूद, अपीलार्थी के कारण का समर्थन करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास विद्वान है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

निष्कर्ष

60. तदनुसार, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है; भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363,365,376 (2) (च), 302 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है; और अपीलार्थी को दी गई सजा, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा भी शामिल है, की पुष्टि की जाती है।

जी.

बिभूति भूषण बोस

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एच.

(सहायकः राखी, एलसीआरए)